

राज्य सतरीय पर्यावरण द्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ की 147वीं
बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य सतरीय पर्यावरण द्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ की 147वीं बैठक दिनांक 07/06/2023 को अवधारण 1200 बजे श्री देवशीर दास, अमृत, राज्य सतरीय पर्यावरण द्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अवधारण में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित होंगे—

- श्री. शीपक शिंहा, सदस्य, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
- श्री आर पी. ठिक्की, सदस्य सचिव, राज्य सतरीय पर्यावरण द्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में एकनीकी अधिकारी, समिवालय, राज्य सतरीय पर्यावरण द्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अवधारण एवं सदस्यों का बवालत किया गया। लदूपराल एजेंट्सार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेंट्स लायट्स क्रमांक-1

राज्य सतरीय पर्यावरण द्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 146वीं बैठक दिनांक 22/05/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 146वीं बैठक दिनांक 22/05/2023 को लायोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा लायसेम्परि हो कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेंट्स लायट्स क्रमांक-2

राज्य सतरीय विसेश बूझकाने वाली, छत्तीसगढ़ की 468वीं एवं 469वीं बैठक द्वारा दिनांक 17/04/2023 एवं 18/04/2023 की अनुसंधान के आधार पर गौण/गुण्डा खंभिति, खिलेंग चरियोजना एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।

- वेसरी हीट्या लिका जारी कराई (प्री.- श्री शोभारम राज), ग्राम-ईट्या, लहसील-मस्तुरी, जिला-जिलासापुर (समिवालय का नंसी क्रमांक 2310) की नियाइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 410380 / 2023, दिनांक 15/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय नवीकृति भेज आवेदन किया गया है।

इसाप्त का विवरण — यह प्रस्तावित मिट्टी चलखाना (गौण खंभिति) सादान एवं कली ईट उत्पादन इकाई है। रुदान ग्राम-ईट्या, लहसील-मस्तुरी, जिला-जिलासापुर विधायिका नंसीका 21/1, 21/2, 22/2, 22/6 एवं 22/8, कुल संख्या-1,887 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। सादान की आवंटित उत्पादन क्षमता-1,000 घनमीटर द्वितीय है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक की एमईएसी सलूटीशन्स के द्वापन दिनांक 11/04/2023 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैधक का विवरण -

(अ) समिति की 458वीं मैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री होमाराम रावे, प्रोपर्टीटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न खिलिपि पाई गई:-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थीरता जारी नहीं की गई है।
- आग पंखायल का अनापतित प्रमाण पत्र — उत्कर्षन के संकेत में आग पंखायल ईंट्स का दिनांक 19/12/2021 का अनापतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्कर्षन योजना — यारी प्राप्त, इन्कावटेमेट मैनेजमेंट प्राप्त एवं कारी वलीयर प्राप्त प्रक्रुति किया गया है, जो एप संघालक (एपप्रा), जिला-जिलासपुर के द्वापन क्रमांक 2675/खनि/मिट्टी च.वो./2022 जिलासपुर, दिनांक 11/01/2023 हारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-जिलासपुर के द्वापन क्रमांक 2945/ख.खि./न.का./2023 जिलासपुर, दिनांक 07/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित कुन्य सहानी की संतुष्टा निरंक है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-जिलासपुर के द्वापन क्रमांक 2945/ख.खि./न.का./2023 जिलासपुर, दिनांक 07/02/2023 हारा यारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, कस्तुर, अस्पताल, काटर राप्लाई परियोजना, गढ़िर, नरियाद, गुरुद्वारा, गलाट, धार्मिक रथ्या इत्यादि प्रतिश्वेषित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
- भू-स्थानिक — भूमि खसड़ा क्रमांक 21/1 श्री शोभितराम, श्री लेमितराम, रजनी, राजन एवं श्रीमती अमृतावाई, खसड़ा क्रमांक 21/2 श्री शोभितराम रावे, खसड़ा क्रमांक 22/2 श्री जगन्नाथिया, खसड़ा क्रमांक 22/5 श्री लक्ष्मीकिशन तथा खसड़ा क्रमांक 22/6 श्री दानव्यारे के नाम पर है। उत्कर्षन हेतु भूमि स्थानिकी का सहनायि पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- एलओआई का विवरण — एलओआई श्री होमाराम रावे के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-जिलासपुर के द्वापन छ. /945/ शनि खनिज/न.का. 09/2022 जिलासपुर, दिनांक 23/06/2022 हारा यारी की गई, जो एक वर्ष तक नी अवधि हेतु की गई है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- वन विभाग का अनापतित प्रमाण पत्र — कार्यालय वनमन्डलाधिकारी, जिलासपुर वनमन्डल, जिला-जिलासपुर के द्वापन क्रमांक/तक./1757 जिलासपुर, दिनांक 16/03/2022 से यारी अनापतित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन की सीमा से 12.178 कि.मी. की दूरी पर है।

10. राष्ट्रपूर्वी संरक्षणस्थली की दूरी – निकटतम आवादी छाप-हाईवा 270 मीटर, राष्ट्रपूर्वी छाप-हाईवा 400 मीटर एवं अस्मालाल चिलासपुर 16.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजनगर 7.35 कि.मी. एवं राजनगर 32.30 कि.मी. दूर है। अरपा नदी 220 मीटर, तालाब 430 मीटर नहर 1.7 कि.मी. एवं नाला 1 कि.मी. दूर है। परकी नदीक 100 मीटर दूर है।
11. पारिवेशिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिभौमि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण कोठे द्वारा घोषित किटिकली पीलपुटेल परिया, पारिवेशिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
12. खनन संबंधी एवं खनन का विवरण – जियोस्टीचिकल रिजर्व 29,940 घनमीटर, नाईनेशन रिजर्व 37,546 घनमीटर एवं रिकाहरीबल रिजर्व 26,547 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर ऊँची सीमा बढ़ती (उत्क्षयन के लिए प्रतिशेषित क्षेत्र) का सीधेजल 685 वर्गमीटर है। लोपन कास्ट मेनुजल विधि से सुखनन किया जाएगा। उत्क्षयन की प्रशासित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बैंक की कारबैंड 1 मीटर एवं औड़ाइ 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के मीटर हीट निर्भाय हेतु बदला स्थापित नहीं किया जाएगा। हीट निर्भाय हेतु मिट्टी के साथ 30 प्रतिशत पलाई ऐसा का उपयोग किया जाएगा। खदान की संचालित ऊँचाई 30 फूट है। खदान में खगु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिक्कड़ाव किया जाएगा। अनुमोदित क्षारी चान अनुसार उत्क्षयन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ब	प्रस्तावित उत्क्षयन (घनमीटर)
प्रथम	1,000
द्वितीय	1,000
तृतीय	1,000
चतुर्थ	1,000
पंचम	1,000

13. जल आनुसूति – परियोजना हेतु आवादक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरडेल के माध्यम से हो जाएगी। इस बाबत सेन्ट्रल एएफडी बीटर की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. कृषानुपयोग कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में जाती ओर 1 मीटर की बढ़ती में गुल 340 लग कृषानुपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की ओर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	उत्क्षय (लगवी)	द्वितीय (लगवी)	तृतीय (लगवी)	चतुर्थ (लगवी)	पंचम (लगवी)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्क्षयन के दीर्घ समयको/पहुंच मार्ग से उत्क्षयन घूल उत्क्षयन के नियंत्रण हेतु जल छिक्कड़ाव	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
कृषानुपयोग (30 प्रतिशत)	3,400	--	--	--	--

जीवन दर्ता हेतु राशि						
कैपिटल हेतु राशि	85,000	—	—	—	—	—
खाद्य हेतु राशि	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
सिल्वर एवं स्व-रक्षण हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 11,73,400	3,06,400	2,17,000	2,17,000	2,17,000	2,17,000	2,17,000

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय नियमित (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु राशियों के सम्बन्धित विवरण से अब उपरांत मिमान्सुलाभ प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.26	2%	0.245	Following activities at, Govt. Primary School Village- Bhwa	
			Installation of UV Water Filter	0.15
			It's AMC (2000x6)	0.10
			Total	0.25

16. चीईआर के तहत प्रस्तावित रक्कुल के जारी (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. पब्लिकिटिव रस्ट उत्सवों के नियमन हेतु नियमित जल विकास किये जाने वाला शायद पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. माइंग लीज होम के अंदर सघन सुरक्षाकरण किये जाने वाले संप्रित पीसी का सरकाईकरण रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाला शायद पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खानिय नियमों के तहत बाहुन्दी पिल्लों द्वारा सीधाकान का कार्य सुनिश्चित किये जाने वाला शायद पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनी भी इकान का नृशित जल का प्रयाह प्राकृतिक जल रक्कुल, खालाव, नदी, नाला ये नहीं कियो जाने एवं इसके संस्थाप कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किनी भी न्यायालय में लाइट नहीं है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शायद पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विस्तृत इस परियोजना/ उदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किनी भी न्यायालय में लाइट नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शायद पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, एवं और जलवाय विभाग न्यायालय की अधिकृतता का आ. 804(अ), दिनांक 14 / 03 / 2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लाइट नहीं है।

23. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कौशले एवं कलाई ईट के लिए रक्षा-रखाव की लिए इन ही एवं उपयोग किये जाने हेतु राष्ट्र पत्र (Notarized undertaking) प्रमाणित किया गया है।
24. लीज सेव के अंदर किसी भी प्रकार का किसी भट्टा (फिल्मा किमनी) का निर्माण नहीं किया जायेगा या लीज सेव के अंदर किसी भी प्रकार के घटाए के बाहर भी पकड़ी ईट का निर्माण नहीं किये जाने वाला राष्ट्र पत्र (Notarized undertaking) प्रमाणित किया गया है।
25. समिति का बता है कि सीईआर, एवं यूआरोपन उद्योग के मॉनिटरिंग एवं पर्यावरण हेतु कि-पर्याय समिति (प्रौद्योगिकी/इंजीनियरिंग प्राच एवं विद्युत के प्रदातिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलीयगढ़ पर्यावरण संस्कारण पम्पल के प्रदातिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। जाथ ही सीईआर एवं यूआरोपन द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित कि-पर्याय समिति से सत्याग्रह करना आवश्यक है।
26. मानवीय एमजीटी, प्रिपिपल बैच, नहुं विल्डलाइन ग्रैन्ड भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलकान्य परिवर्तन मंत्रालय, नहुं विल्डलाइन एफिलेक्शन नं. 100 और 2018 एवं अन्य) ने दिनांक 13/09/2018 की घोषित आदेश में युल्य रूप वी निर्देशित किया गया है—
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किए उपरांत सत्याग्रहीय से निर्मानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय कर्मचार लग्निय जाला, जिला-बिलासपुर के द्वापन क्षेत्रों 2945/वा. लि./न.अ. /2023 जिलासपुर, दिनांक 07/02/2023 की अनुसार आवेदित खदान ही 500 मीटर की ओर आवेदित अन्य खदानों की संख्या निरेक है। आवेदित खदान (यान-ईट्टा) का एक्या 1,007 हेक्टेयर है। खदान वी सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीरत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कालज यह खदान वी-2 श्रेणी की गयी।
- समिति द्वारा विचार किए उपरांत सत्याग्रहीय वी आवेदक — ऐससे ईटका विचार अधीक्षे कराई (वी- वी सीमात्तम राहें) को यान-ईट्टा, राहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर के खदान क्षेत्र 21/1, 21/2, 22/2, 22/5 एवं 22/6 में विचल गिट्टी उत्क्षणन (गोप खगिज) खदान (विना किमनी भट्टा के), कुल क्षेत्रफल—1,007 हेक्टेयर, शामल—1,000 चनमीटर प्रतिक्षर्व हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति दी गई।

प्राधिकरण द्वारा ईटका वी विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/09/2023 को संघर्ष 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवाली/दसलांग जा अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि आवेदित खदान से केवल कालो ईट ही उपयोग किये जायेंगे। इन कालो ईटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (वी किमा जालन परको ईटों का निर्माण) हेतु कहाँ-जहाँ, किम-किम भट्टी में उपयोग किया जाएगा जहाँ उन भट्टी की



पर्यावरणीय नवीकृति द्वारा है जबका नहीं? इस संबोध में जानकारी बोगाला जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विभाग उपर्युक्त सर्वसम्मिलि से उचितोत्ता तथ्यों के परिवेश में परीक्षण उपर्युक्त अनुष्टुप्ता विवेद जाने हेतु प्रकरण को एसईएसी, छलीसगढ़ की समझ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एसईएसी, छलीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को द्वादशवार सूचित किया जाए।

२. ऐसासी मुख्यमान लाईम स्टोन नाईन (प्री.- श्री कमलेश देवांगन), याम-मुख्यार, लाहसील-पाठन, जिला-दुर्ग (परियोजना का नमांक 1771)

अनिलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईए/ ६६८७४ / २०२१, दिनांक २४ / ०८ / २०२१ द्वारा दी ओआर हेतु आवेदन लिया गया था। यहांनन में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईए/ ५१८३८० / २०२३, दिनांक १७ / ०२ / २०२३ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की लिए काईनल ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सूना पत्थर (गोल खनिज) खदान है। याम-मुख्यार, लाहसील-पाठन, जिला-दुर्ग लिपित खसरा कमांक ३१ / १(पाई), ३१ / २(पाई), ३३, ३४, ६०, ६१, ६२ / १, ६२ / २, ६३ / ३(पाई), ६५ / १(पाई), ६५ / २(पाई) एवं ६६ / ३(पाई), कुल क्षेत्रफल - १.८४ हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवृद्धि परिक्षण कमांक - २५,००१.२५ टन प्रतिवर्षी है।

पूर्व में एसईएसी, छलीसगढ़ के झापन दिनांक २८ / ०९ / २०२१ द्वारा प्रकरण 'बी१' कोटेगारी का होने के कारण जारी सुलझार, पर्यावरण, बन और जलवाया परिवर्तन अन्तर्गत द्वारा लाई, २०१६ में प्रकाशित स्टैच्फ़र्ड टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पॉर ईआईए/ईएम.पी. रिपोर्ट पॉर ग्रोवेक्टस/एकटीविटीज रिकार्डिंग इन्डस्ट्रीज वलीयरेस अप्पर हैआईए नीटिकलिकान, २००८ में वर्णित शेषी १(ए) का स्टैच्फ़र्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

याम-मुख्यार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छलीसगढ़ के झापन दिनांक १० / ०४ / २०२३ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैठक का विवरण -

(ब) नामिति की ४५८वीं बैठक दिनांक १७ / ०४ / २०२३:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमलेश देवांगन, प्रोप्रलैटर एवं पर्यावरण सलाहकार की तर्फ में मेसासी पी एम एम नील्युहन, नीएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुनी यूनन मेलहाम उपरिवित हुए। नामिति द्वारा नामी, प्रस्तुत प्राप्तकारी का अवलोकन एवं परिवाहन करने पर गिर्म लिखति पाई गई:-

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संकेती विवरण - इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
२. जाम वंशावल का जनापरित प्रभाव पत्र - उत्तरनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुख्यार का दिनांक २३ / ०३ / २०२१ का अनापत्ति प्रभाव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
३. उत्तरनन योजना - जारी पत्रम प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला-दुर्ग के झापन कमांक ६३७ / खनि. जन्-०१ / २०२१ दुर्ग दिनांक ०२ / ०४ / २०२१ द्वारा जनुरोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में लिखत खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज राज्य), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 770/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 27 खदानों, होचफल 48.428 हेक्टेएक्ट होना बताया गया है। जिसमें केवल विशालाधीन खदान के लीज भीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। एकल इमारत यत्र से यह स्थान नहीं हो रहा है कि एकल खदानों की 500 मीटर की भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? इंडिए. नोटिफिकेशन, 2008 (पश्चा संशोधित) में परिभाषित बलस्टर अनुसार 'कोई बलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के लीज दूरी तक नदुआ खनिज होते में अन्य कट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।' अर्थात् बलस्टर हेतु होनेवालनियस मिनरल होते में विशालाधीन खदान के लीज भीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले अन्य खदानों की शामिल करती हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज भीमा के 500 मीटर की भीतर आने वाले अन्य खदानों को (बलस्टर में खदानों की वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में लिखत सार्वजनिक सेत्र/सार्वजनात् – कार्यालय कलेक्टर (खनिज राज्य), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 770/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 द्वारा जारी प्रभाग यत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक सेत्र जैसे शामिल लघात, भौदिर, गमिजद, गरण्ड, अम्पलाल, बकुल, चुल, बांध, एवं कट, शाढ़ीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित सेत्र मिलता नहीं है।
6. भूमि एवं बलस्टर-आई. संबंधी विवरण – भूमि आवेदक के नाम पर है। इलाजी, आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज राज्य), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 531/खनिज/ख.प/2021 दुर्ग, दिनांक 06/07/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी पैकड़ा जाते दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तटलगांव संचालनात् भौमिकी तथा खनिजसं, नदा राघुपुर अटल नगर के नू ज्ञापन क्रमांक 5105/खनि 02/ख.प-अनुग्रहा./नक.50/2017(4) नदा राघुपुर, दिनांक 30/09/2022 द्वारा हस्तांत्रिकी जारी की पैकड़ा सुनिश्चित बाबत पत्र जारी किया गया है। जिले के अनुसार 'तटलगांव गैज खनिज नियम, 2016 में जारी संशोधित अधिसूचना' दिनांक 26.08.2020 (प्रकाशन दिनांक 30.08.2020) के नियम 42 के उप-नियम (5) परन्तु के तहत संबलक की प्रदला अधिकार या द्रायांग करती हुए प्रकारण में पर्यावरण स्थीकृति प्राप्त करने एवं तत्परश्चात् उत्तराधिकारी कीकृति आदेश जारी करने हेतु अधिकारी समन्वयि प्रदान किया जाता है। का उल्लेख है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं है।
8. यत्र विभान का अनापलि प्रभाग यत्र – कार्यालय बनाम्पलालिकारी, दुर्ग बनाम्पल, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/सक.अपि./2020/4937 दुर्ग, दिनांक 14/12/2020 की जारी अनापलि प्रभाग यत्र अनुसार आवंटित सेत्र यत्र की भीमा से 50 किमी, की दूरी पर है।
9. नहरपुर्ण संरथनालों की दूरी – निकटतम जावाही चाम-मुकुपार 320 मीटर, सकुल चाम-मुकुपार 320 मीटर, अस्पाल चाम-सेतुद 2.6 किमी, की दूरी यत्र

सिखत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 115 कि.मी. एवं राजमार्ग 26 कि.मी. दूर है। शिवनाम नदी 20 कि.मी. एवं तालाब 610 मीटर दूर है।

10. पारिविष्कृतीय/ वैविधिकता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अलगीजीय सीमा, राष्ट्रीय राजान, अभयारण्य, कंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण और द्वारा प्रोत्साहित क्षेत्रिकीय पौल्युट्रेल एवं पारिविष्कृतीय संवेदनशील क्षेत्र या प्रोत्साहित वैविधिकता क्षेत्र सिखत नहीं होना प्रतीक्षित किया है।

11. वातानन संबंध एवं खनन का विवरण – जिसोल्डिकल रिजर्व 9,20,000 टन, नाईनैटल रिजर्व 3,51,863 टन एवं रिक्वेटल रिजर्व 3,18,497 टन है। लीज की 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिश्वेत क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,382 वर्गमीटर है। ओपन कार्प सेमी मैकेनाइज्ड विभि से उत्तरानन किया जाएगा। उत्तरानन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की नोटर्ड 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,161 वर्गमीटर है। खेत की ऊपरी 1.5 मीटर एवं ऊँचाई 1.5 मीटर है। खाद्यान की संभावित आबू 14 कर्म है। लीज क्षेत्र में खाद्यान स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लीज हिंग से ड्रिलिंग एवं कार्पोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खाद्यान में यानु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का प्रिक्कलन जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्तरानन का विवरण निम्नानुसार है—

कर्म	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)
प्रथम	26,001.25
द्वितीय	26,001.25
तृतीय	26,001.25
चतुर्थ	26,001.25
पंचम	26,001.25

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.1 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति लीज क्षेत्र के निकट स्थित मेसरी रेटीन क्रान्त के संबंधित खाद्यान सीरेज वाटर की आवश्यक दी की जायेगी। इस बाबत मेसरी नित्या रेटीन क्रान्त का अनापठित प्रमाण पड़ द्वारा कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि पीने योग्य पानी (1.35 घनमीटर प्रतिदिन) के संबंध में संबंधित जाता का अनापठित प्रमाण पड़ द्वारा कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. मुकाबेलन कार्ब – लीज क्षेत्र की सीमा में याती और 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,348 वर्ग फुट आवश्यक प्रमाण किया जाना प्रस्तावित है। कुल 1,348 वर्ग पौँछों के लिए राशि 1,02,448 रुपये, खाद्य के लिए राशि 10,110 रुपये, खेत लिंक फैमिली के लिए राशि 2,67,800 रुपये, स्टेनाई एवं रख-दखाव आदि के लिए राशि 3,08,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 5,88,858 रुपये एवं अगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,79,008 हेतु पटकवार आय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. खाद्यान की 7.5 मीटर की ऊँची सीमा पट्टी में उत्तरानन कार्ब नहीं किया गया है।

15. गैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र में 232 वर्गमीटर क्षेत्र नाकीर्ण क्षेत्र होने के कारण एवं ऊँचाई कम होने के कारण 4,634 वर्गमीटर क्षेत्र की 13.5 मीटर गहराई का प्रश्वास गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी — मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य विकार गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिशेषीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर व्यावरीय स्थान मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता लेना ओर 8 स्थानों पर निट्रोज़े एक्सीज़ेट गर्न विश्लेषण विकार गया है।
- मॉनिटरिंग परियोजना के अनुसार पीएम, एसडी, एनडी, का सान्दर्भ लेखन—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	26.28	43.50	60
PM _{2.5}	47.2	66.50	100
SO ₂	9.08	14.63	80
NO ₂	11.33	20.24	80

- परियोजना स्थल के आधारात् जल उत्तीर्ण की गुणवत्ता— ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टैक्स अनुसार जलोत्तमात्मक, एलोराईट, नाइट्रोटास, साल्फर, कार्बोनेट्रा, लेक, आर्सेनिक, बर्डी, कीलिमिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्दर्भ लेखन मापतीय मानक से कम है।
- परिवेशीय शानि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	49.54	51.23	75
Night L _{eq}	40.07	52.41	70

जो उक्त स्तर के नियमित मानक सार से कम है।

- पी.सी.यू. की गणना— भारी वाहनों/चलाईएवशल हुयी वाहनों को समाझित करते हुये ट्रैफिक अव्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 830 पी.सी.यू. प्रतिघण्टा एवं व्ही.सी अनुपात (V/C ratio) 0.13 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 42 पी.सी.यू. की दृष्टि होगी। उत्पादात् कुल 872 पी.सी.यू. प्रतिघण्टा एवं व्ही.सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 होगी। विस्तार के उपरांत भी सी-सटीरिपल/प्रोजेक्टस के परिवहन हेतु सहक मार्ग की लोक नीरिंग क्षमता नियमित मानक (Excellent 0-0.2) के भीतर है।

- कलस्टर हेतु कौगन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान — परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि आंदोलित खदान को रामिल करते हुये कलस्टर में कुल 28 खदाने आती हैं। अतः कलस्टर में रामिल खदानी द्वारा कौगन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कौगन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान के लाभ निम्न कार्य प्रस्तावित हैं—

विवरण		प्रथम (करपये)	द्वितीय (करपये)	तृतीय (करपये)	चतुर्थ (करपये)	पंचम (करपये)
पहुंच यार्ग 10 कि.मी. के दोनों तरफ (2,667 नव.)	बुझारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	5,06,692	50,616	50,616	50,616	50,616
	फैसिंग हेतु राशि	61,33,600	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	50,010	5,010	5,010	5,010	5,010
	सिचाई एवं पश्च-पश्चात गेहु राशि	21,60,000	21,60,000	21,60,000	21,60,000	21,60,000
कुल राशि = 1,77,12,606		60,60,302	22,15,626	22,15,626	22,15,626	22,15,626

कौमन इन्डस्ट्रीजेटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (करपये)	द्वितीय (करपये)	तृतीय (करपये)	चतुर्थ (करपये)	पंचम (करपये)
पहुंच यार्ग के दोनों तरफ 344 वीटर (229 नव.)	बुझारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	17,404	1,748	1,748	1,748	1,748
	फैसिंग हेतु राशि	2,13,200	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	1,710	180	180	180	180
	सिचाई एवं पश्च- पश्चात गेहु राशि	74,167	74,167	74,167	74,167	74,167
कुल राशि = 6,10,861		3,06,481	76,095	76,095	76,095	76,095

18. भारत राष्ट्रकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मञ्चलय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना, 2006 (ज्ञा शोधित) की प्राकाशनी एवं माननीय एनजीटी द्वारा जारी आदेश की अनुसार जलस्टर हेतु कौमन इन्डस्ट्रीजेटल मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि जलस्टर ने जामिल सभी खदानों द्वारा जलन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की सेक्युरिटी एवं सहभागिता सहभागिता सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि जलस्टर में आगे बढ़े खदानों की सत्त्वनन नियमितियों से पर्यावरणीय छटकों पर पहुंचे वाले दुष्प्रभावों की सेक्युरिटी हेतु जलस्टर में आगे बढ़ी ऐसे समस्त खदानों को जामिल करते हुये, जलस्टर हेतु कौमन इन्डस्ट्रीजेटल मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कम्हाई से जिम्मानिल रूपाधी जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, हृदायती भवन, ज्ञा राष्ट्रपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (इलीशाराष्ट्र) के स्तर से उपयुक्त कार्यकारी किया जाना सुनित होगा।

19. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के ज्ञा विस्तार से वर्णीयता निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
Following activities at, Village- Mehtakotla				
60	2%	1.2	Pavitra Van Nirman	14.14
Total			Total	14.14

20. सीईआर के अंतर्गत 'परिव्र वन निर्माण' की तहत (गोम, झास, करंज, कदम्ब, जामुन, आंवला, अमलतारा, बरगद, पीपल आदि) कृष्णारेश्वर हेतु प्रस्तुत प्रशासन अनुसार 60 लक्ष पौधों के लिए राशि 38,400 रुपये, फैलिंग के लिए राशि 3,13,000 रुपये, सिंचाई व खाद के लिए राशि 3,810 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,04,500 रुपये, इस प्रशासन प्रधान कर्ता में कुल राशि 5,63,700 रुपये तथा आपाती 4 वर्ष में कुल राशि 8,60,780 रुपये हेतु प्रशासन व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिवेशना प्रशासन का द्वारा ग्राम पंचायत महाकालज्ञा के सहनीति उपकरण एवायोग्य स्थान (वस्ती क्रमांक 196, क्षेत्रफल 2.2 हेक्टेकर में से 0.6 एकड़) की संरक्षण में यानकारी प्रस्तुत की गई है।
21. उपरी घटटी के रख-रखाव हेतु उपरी घटटी की प्रधान योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
22. कमूल टाईमिंग के दोहरान ब्लास्टिंग न किये जाने वायत् शामल पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
23. कमूलिंग और एस्ट एस्टर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल विभाग किये जाने वायत् शामल पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
24. लीज क्षेत्र की सीमा के 7.5 मीटर की घटटी में निर्मित शेष को हटाकर कृष्णारेश्वर किये जाने वायत् शामल पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
25. कलसटर हेतु कौमन इन्हावर्लोमेट मेनेजमेट प्लान तैयार कर समाज सदाचारों को एक नवाचों में प्रदर्शित करनी हुये यानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही कलसटर में आने वाले समस्त सदाचारों हुए कौमन इन्हावर्लोमेट मेनेजमेट प्लान के तहत नियंत्रित जाने वाले कार्यों हेतु यानकारी प्रस्तुत किया गया है।
26. कलसटर में आने वाले समाज सदाचारों के लिए तैयार कौमन इन्हावर्लोमेट मेनेजमेट प्लान हेतु सभी सदाचारों को ज्ञानांक एवं वेतावत नवाचों में दर्शाने हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
27. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वासन नीति के तहत स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर नेपानार में ज्ञानगिक्ता दिये जाने हेतु शामल पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. जनसुनवाई के दोहरान विभिन्न ग्रामों के नियाकरण की दिशा में परिवेशना प्रशासनक द्वारा याचीओं के समझ दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शामल पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. कंट्रोल बलान्टिंग का कार्य विस्फोटक लाइसेंस हारक (Explosive License Holder) द्वारा करने जाने वाला शाफ्ट पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. कॉमिन इन्डस्ट्रीजल मेनेजमेंट प्लान के तहत तथा की गई राहि का उपचार चर्पीवरण के लिए में जिन्हे जाने वाला शाफ्ट पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. लीज लीज की सीमा में घासी और 7.5 मीटर की पट्टी में फौसिंग कराकर खुशारोपण जिन्हे जाने वाला शाफ्ट पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. लूपरी मिट्टी को लीज लीज के बाहर चार्पीविल कार सर्किल तक जाने हेतु मिट्टी का दुरुभयोग न करने, जिन्हें न बनाने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्मोर्चण में किये जाने वाला शाफ्ट पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. सीईआर के तहत तथा की गई राहि का उपयोग गाव के द्वारा दी गई जूमी में फौसिंग कराकर खुशारोपण जिन्हे जाने वाला शाफ्ट पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. नाईजिंग लीज लीज के ऊंचार साधन खुशारोपण जिन्हे जाने एवं सेपिल पीड़ी का सरकारीजन रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित जिन्हे जाने वाला शाफ्ट पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बालक्ष्मी विलर्स द्वारा सीमाकर्त्ता का कार्य सुनिश्चित जिन्हे जाने वाला शाफ्ट पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित पाल वा प्रदूषक जल रक्षेत्र, तालाब, नदी, नाला में नहीं जिन्हे जाने एवं इसके संखार जिन्हे जाने वाला शाफ्ट पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शाफ्ट पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनको जिकड़ इस परियोजना/साधान से संबंधित कोई नकारात्मक प्रकरण देख के अतिरिक्त किसी भी जागरूकता में लिपित नहीं है।
38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शाफ्ट पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके जिकड़ भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलवाया परिवर्तन विभाग द्वारा अधिकारित का अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लिपित नहीं है।
39. सोक सुनवाई दिनांक 16/09/2022 दोपहर 12:00 बजे प्राथ-पंचायत मुद्रपार, शाम-मुद्रपार, तहसील-पाटन, जिला-दुर्वी में संबंध रुही। सोक सुनवाई दस्तावेज संविध, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संवाद मंडल, नवा लूपपुर अटल नगर, जिला-तायापुर के पत्र दिनांक 11/11/2022 द्वारा देखित किया गया है।
40. जानसुनवाई के दीर्घन मुद्रण कार से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं—
- I. हैवी बलान्टिंग के दीर्घन पत्रक धर्ती व स्कूली छक आ जाते हैं। दिन में दस बार बलान्टिंग होता है, जिससे मूलांग जैसी लिपि बनी रहती है, जिससे

स्थूल में चढ़ने वाले छात्रों तथा यांत्रिकों की अधिनाइयों का राष्ट्रमना होना पड़ सहा है।

- ii. समाजार बड़ी खदानी से यांत्रिक वातावरण अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए युवाओंपर या कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले घूल से किसानों की पत्तालों, मनुष्यों एवं औज-जन्मजानों के स्थानप्य पर दूष लगार पड़ सहा है।
- iii. समस्त प्राण वालियों ने खदान खोलने का विशेष किया है। हीरे ब्लास्टिंग यी यज्ञ से जिन प्राण वालियों के यहाँ में टूट-फूट हुआ है उनको निरीक्षण करके उनके नुकसान का उपित्त मुझावजा किया जावे।
- iv. ऐसी जमीन खदान भी लगी हुई है। मैं आपनी जमीन खदान बाली को देता हूँ क्योंकि खदान बाले गुजे आपनी जमीन में जाने के लिए रास्ता नहीं देते हैं।

लोक सुनवाई के द्वारा सहाय गये विभिन्न मुद्रों के विवाहण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपरिक्त प्रतिनिधि/कंसलेट का स्थान निन्मनुसार है—

- i. अनुबोधी कॉटेक्टर की नियामनी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग लिम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुए बजावर लोगों को सुखना दी जाएगी, जिसीसी को कम नुकसान या चरेतानी होगी।
- ii. घूल उत्सर्जन को रोकने के लिए जल विकल्प किया जाएगा। खदान के बारी और तथा काली सड़क के लियारे युआनेप्य किया जाएगा, जिससे घूल का उत्सर्जन कम ही जाएगा।
- iii. हम आपको आख्यान देते हैं कि हम लमी नियमों का सुधार कर से जलन करेंगे जिससे आपको चरेतानी नहीं होगी।
- iv. हमने जो जमीन खोदी है, उसमें हम फौसिंच कराएंगे। उसके बाहरी जिससे से आप या सकते हैं।

41. होमीय अधिकारी, उत्तीर्णगद पर्यावरण संश्लेषण मण्डल, निलाई तथा अनिरिका जिला दण्डाधिकारी, जिला-दुर्ग द्वारा अनुमोदित किये गये लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण अनुसार लोग सुनवाई स्थल पर लिखित 61 एवं गोपिक 331 व्यक्तियों (02 व्यक्ति द्वारा 02 बार पुनर उद्बोधन) द्वारा 333 व्यक्तियों द्वारा आवाहित, सुझाव, विचार एवं टिका-टिप्पणिया प्राप्त हुई, जिसमें लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित खदान घूलने का विशेष किया गया है। लगिते कम मत है कि जब सुनवाई में उपरिक्तले लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा विशेष किया गया है, ऐसी जिला में खदान की अनुसंधा किया जाना उपित्त नहीं है। उपरोक्त के परिपेक्ष में आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार जिला उपरोक्त सर्कारीसे से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित परियोजना हेतु किये जाने सुनवाई के बायंवाही विवरण अनुसार लोग सुनवाई स्थल पर लिखित 61 एवं गोपिक 331 व्यक्तियों (02 व्यक्ति द्वारा 02 बार पुनर उद्बोधन) द्वारा 333 व्यक्तियों द्वारा आवाहित, सुझाव, विचार एवं टिका-टिप्पणिया प्राप्त हुई, जिसमें लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित खदान घूलने का विशेष किया गया है, ऐसी जिला में खदान की अनुसंधा किया जाना उपित्त नहीं है। उपरोक्त के परिपेक्ष में आवेदित प्रकरण जो डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की

गई। समिति का नाल है कि इस निर्णय से कलेक्टर, जिला-तुर्च एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंधी बगड़ान को अवगत कराया जाए।

प्राधिकरण द्वारा ऐडक में विचार – उचित उचित प्रक्रिया पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 की संख्या 147वीं ऐडक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नक्ती/दातावेज वा अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि आवेदित खदान एक नवीन खदान है। लोक सुनवाई के दौरान व्हारिको द्वारा उठाये गये विभिन्न विन्दुओं तथा आपत्तियों से इस द्वारा होता है कि बलवटर में शामिल अन्य संशालित खदानों में से किसी खदानी द्वारा पर्यावरणीय विवरों का कहाँ से नालन संभवतः नहीं विचार जा रहा होगा। उक्त के बावें मैं प्राधिकरण द्वारा विचार विभास उपरोक्त सर्वसम्मिति से विचारनुसार विचार किया गया है:-

1. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गए विभिन्न विन्दुओं तथा आपत्तियों के संबंध में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय एवं तकनीकी वृष्टिव्यवेग से विचारकरण किये जाने हेतु विन्दुवार प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं?
2. आवेदित रूपस द्वारा बलवटर में शामिल अन्य खदानों का पूर्ण विशेषज्ञ उपर्युक्तियों से व्यापिकरण को अवगत करने हेतु पूर्व में सञ्चय स्थानीय पर्यावरण प्रबल आकर्षन प्राधिकरण (एसईआईएए) छत्तीसगढ़ द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 29/03/2022 के सदस्य श्री एनडे. शंदकर, सदस्य, सञ्चय स्थानीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. गोहम्बद रहीक खान, सदस्य, सञ्चय स्थानीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा श्रीत्रीय अशिकारी, श्रीत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंधी बंडल, निलाई-तुर्च को सम्मिलित करते हुए तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन सदस्यीय उपसमिति विशेषज्ञ का कार्य करेंगी तथा अवगत विभास से अवगत जारी हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा विचार विभास उपरोक्त सर्वसम्मिति से उपरोक्त तथ्यों के परिवेद्य में पर्यावरण उपरोक्त उपरोक्त जनुसारा किये जाने हेतु प्रकरण को एसईएएसी, छत्तीसगढ़ के सम्बन्ध इस्तुत किये जाने वाले निर्णय लिया गया।

एसईएएसी, छत्तीसगढ़ एवं परिवोजना प्रस्तावक को जनानुसार सूचित किया जाए।

3. गैरानी झाँगोली पहाड़ राटोन क्षाती (दो:- श्री कुलदीप कुमार जाह), प्रान-झाँगोली, तहसील व जिला-महासनुद (साधिकालय का नक्ती क्रमांक 2311)

झाँगलाईन आवेदन – प्रयोजन नम्बर – एसआईए/ श्रीत्री/ एमआईए/ 418785 /2023, दिनांक 17/02/2023 द्वारा दी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रयोजन का विवरण – यह प्रस्तावित कार्यी पर्यावरणीय स्थिति खदान है। खदान प्रान-झाँगोली, तहसील व जिला-महासनुद विधित खसरा क्रमांक-1241(पाठी) 1202/1 एवं 1202/5(पाठी), कुल शेतफल-1.49 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थानन कमता-2,500.6 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

खदानुसार परिवोजना प्रस्तावक को एसईएएसी, छत्तीसगढ़ के जायन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया जाता।

ऐडक का विवरण –

(ii) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 17 / 04 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुलदीप साहू श्रीपटार्टर उपसिद्धि द्वारा। समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी का अनलीकन एवं चर्काया करने पर विषय सर्वोच्च है—

1. दूर्वे में जारी पर्यावरणीय स्पीकर्सि संस्थी विवरण— इस खदान से पूर्व में पर्यावरणीय स्पीकर्सि जारी नहीं की गई है।
2. पाल पंथायत का अनापलित प्रमाण पत्र — पर्ती पलघर उत्तरानन के संबंध में जाम पंथायत अफोली का दिनांक 18 / 02 / 2023 का अनापलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चारखगन योजना — पवारी पत्रान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ए.ड.) संयालनालय, भीमेली उक्त विभाग, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञानन ल. 800 / खालि 02 / ना.पल.अनुसूचन/न.अ.02 / 2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 03 / 02 / 2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 फीट की परिधि में विषय खदान — कार्यालय कालेक्टर (खनिज जारा), जिला—महासंग्रह के ज्ञानन छानांक 179 / क / खालि / न.अ. / 2022 महासंग्रह, दिनांक 09 / 02 / 2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 फीट की भीतर उपरिक्त 32 खदानों, शेषपक्ष 26.02 हेक्टेक्टर है।
5. 200 फीट की परिधि में विषय जारीजनिक क्षेत्र/सांचेकार — कार्यालय कालेक्टर (खनिज जारा), जिला—महासंग्रह के ज्ञानन छानांक 179 / क / खालि / न.अ. / 2022 महासंग्रह, दिनांक 09 / 02 / 2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 फीट की परिधि में कोई नीं जारीजनिक क्षेत्र यौंसे भीदि, भरियाद, यस्थल, चुल, नदी, नेल लाईन, जलपान, स्कूल, इनीकट वा एवं एवं जल आपूर्ति आदि इनियावित क्षेत्र निर्दित नहीं है।
6. नू—स्वामित्व — भूमि खाली छानांक 1202 / 5 आवेदक एवं खासरा छानांक 1202 / 1 व 1241 श्री नाथसुन राम की नाम पर है। उत्तरानन हेतु भूमि वहाँ का वाहनाली पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. एलओआई, का विवरण — एलओआई, श्री कुलदीप कुमार साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कालेक्टर (खनिज जारा), जिला—महासंग्रह के ज्ञानन छानांक 09 / क / खालि / न.अ. 07 / 2023 महासंग्रह, दिनांक 03 / 01 / 2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी क्रम्यमि 1 वर्ष हेतु पैद है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — कर्ता 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापलित प्रमाण पत्र — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जामानाल बग मण्डल, महासंग्रह के ज्ञानन छानांक / मा.वि / 5180 महासंग्रह, दिनांक 17 / 10 / 2022 से जारी अनापलित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन की सीमा 6 किमी. की दूरी पर है। साथ ही उक्त प्रमाण पत्र ने खदान भीना से 10 किमी. की परिधि के भीतर जैव विवितां क्षेत्र होने का उल्लेख है। समिति का मत है कि उक्त के राटोंमें कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला—महासंग्रह द्वारा विधित स्पष्ट करते हुए संशोधित अनापलित प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाई गई है। आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. यहत्वपूर्ण संवर्धनस्त्री की दूरी – निकटतम आवाही पान–अडोली 500 मीटर निकटतम स्थूल ग्राम–अडोली 1 कि.मी. की दूरी पर सिफ्ट है। राष्ट्रीय सड़ामार्ग 3 कि.मी. दूर है। कोडार नदी 650 मीटर की दूरी पर सिफ्ट है।
11. जारीसिवतिकीय/जीवविविधता संवर्धनस्त्रील सेत्र – जारीयोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, झन्दीय प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा संरक्षित फ़िल्टिकली बैल्कुटेड एरिया, जारीसिवतिकीय संवर्धनस्त्रील क्षेत्र पर प्रोत्साहित जीवविविधता सेत्र सिफ्ट नहीं होगा प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संभवता एवं खनन का विवरण – जिल्हीलीजिल्ल रिजर्व 2,23,500 घनमीटर, माईनिंग रिजर्व 1,17,396 घनमीटर एवं रिकवरीरिजर्व रिजर्व 88,047 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिविधित सेत्र) का क्षेत्रफल 4,000 वर्गमीटर है। औपन करार गैनुल्ल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकातम वाहनाई 17 मीटर है। लीज सेत्र में ऊपरी गिट्टी की गोटाई 2 मीटर है तथा खूल मात्रा 18,500 घनमीटर है। बैग की ऊपराई 1.5 मीटर एवं लौकाई 1.5 मीटर है। खदान की संगमित आवृ 47 वर्ग है। स्टोन कटर जब उपयोग किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विश्राव किया जाएगा। वर्षायार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

क्रम	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,500.5
द्वितीय	2,500.5
तृतीय	2,500.5
चतुर्थ	2,500.5
पंचम	2,500.5

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु उत्खनक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की अन्यूनति ग्राम पंचायत द्वारा ऐकर के मालाम से ही पाएगी। इस बाबत प्राप्त पंचायत का अनुमति प्राप्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. दूधारोपण कार्य – लीज सेत्र की सीमा में छारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग दूधारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज सेत्र के छारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण की दीरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऐसालाईन खदा कर्तव्यकरण वन कार्य अवधून 2021 से जनवरी 2022 तक किया गया। उक्त कार्य की संख्या में दिनांक 28/10/2021 को सूचना ही नहीं थी।
17. मानवीय एनजीटी, डिसिप्ल बैग, नई दिल्ली द्वारा सल्वेट पार्किंग विकल्प भास्त सारकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (जीरियगढ़ एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुद्रा कर्प से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभाग द्वारा संवादान्वयिते थी निम्नानुसार विवेच लिया गया-

1. कार्यालय कलेक्टर (नियमित राज्य), जिला—महासंग्रह के ज्ञापन नम्बर 179/क/खसि/नटो/2022 महासंग्रह, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आंदोलित खदान से 500 मीटर की दूरी पर आंदोलित 32 खदानों की कक्षत 20.02 हेक्टेयर है। आंदोलित खदान (प्राच—आंदोली) का एक्ष्या 1.49 हेक्टेयर है। इस उकार आंदोलित खदान (प्राच—आंदोली) को नियन्त्रकर युल एक्ष्या 27.51 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीरता/संचालित खदानों का युल कीक्षकत 5 हेक्टेयर से अधिक का कलहटर निर्धारित होने के कारण यह खदान 'बी' क्षेत्रों की बाही नहीं।
2. समिति द्वारा विचार विभाग द्वारा संवादान्वयिते से इन्हें 'बी' क्षेत्रों का होने के कारण भास्त वारकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन नियालय द्वारा जारी, 2015 में प्रकाशित स्टैफ़र्ड हासी औफ रिकार्ड्स (टीओआर) पार ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिफोर्म और प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिकार्ड्स हृत्याकरणीट वर्लीवरेस अप्प्स ई.आई.ए. गोटिकिकेशन, 2008 में वर्गित क्षेत्री 1(ए) पर स्टैफ़र्ड टीओआर (प्रोक सुनायाई सहित) नैन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न असिरिक ट्रैक्टर के सभ सारी किये जाने की अनुशंसा की गई।
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit modified top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iii. Project proponent shall submit the clarification regarding the distance from the lease boundary to nearest Biodiversity boundary from DFO, Forest Department.
 - iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - viii. Project proponent shall submit the copy of panchnamo and photographs of every monitoring station.
 - ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
 - x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.06.2017.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्रायिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्रायिकरण की दिनांक 07 / 08 / 2023 को संघन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्रायिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्रायिकरण द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वेशम्भवि से समिति की अनुसन्धान को स्वीकार करते हुये उपरोक्तनुसार टम्स और ऐफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई समिति) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टम्स और ऐफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई समिति) जारी किया जाए।

4. मेसनी अविनाश डेवलपमेंट लिमिटेड (आवेदक- वी आनंद सिंहनिया),
ग्राम-पुरेना, लहसील व विला-रायपुर (भाष्यवालय का नस्ती छनांक 2312)
ऑनलाइन आवेदन – प्रायिकरण नम्बर – एमएलईए/ वीपी/ इन्फा2/ 418922 /
2023, दिनांक 18 / 02 / 2023 द्वारा प्रयोगशील स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।
जस्ताव का विचार – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-पुरेना, लहसील व
विला-रायपुर स्थित खसता छनांक – 436/3 लोकल क्षेत्र में
प्रस्तावित विलिंग कन्वाटलान अपार्टमेंट (पलेट्स) एवं कोमर्शियल विलिंग टॉपल
फ्लॉप एरिया 38,312.3 वर्गमीटर के लिए प्रयोगशील स्वीकृति हेतु आवेदन किया
गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी उत्तीर्णगढ़ के द्वारा दिनांक
10 / 04 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विचार –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17 / 04 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिभेदित जाहीरता नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पड़ दिनांक 13 / 04 / 2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि ऑनलाइन आवेदन किये जाने के

दीर्घ समय के लिए जानकारी अंकित किये जाने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विवार विभागीय उपरोक्त सर्वेतत्त्वाधिकारी से परिवोजना प्रस्तावक के अधोदान की डि-लिस्ट / निरस्ता किये जाने की अनुसंधान की बई तथा ई-आईए अंकितकोशन 2008 (विवार संशोधित) के तहत चालन करते हुए युवा आवेदन करने की अनुसंधान की गई। साथ ही प्रस्तावित सौच में उल्लंघन है जबकि नहीं के संबंध में ज्ञात विवेदित हैं तथा समिति द्वारा दीन सदरवीय उपसमिति द्वारा नवोज युवाओं द्वारा प्रस्ताव सदरवीय उपसमिति एवं यो विवार सिंह युवा सदरवीय युवाओंका अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण वांचाय गएल, यायपुर का गठन किये जाने का विषय किया गया।

प्राप्तिकरण द्वारा बैठक में विवार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राप्तिकरण की विनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विवार किया गया। प्राप्तिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राप्तिकरण द्वारा विवार विभागीय उपरोक्त सर्वेतत्त्वाधिकारी से लिमिति की अनुसंधान की स्वीकार करते हुये आवेदन की डि-लिस्ट / निरस्ता करने का विषय किया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में द्वारा प्राप्त योजनावाले डि-लिस्ट / निरस्ता किया जाता है तथा परिवोजना प्रस्तावक की एह सुझाव दिया जाता है कि वह भासा वास्कार, पर्यावरण, यव और जलजम्बु वर्गीकरण विभागीय द्वारा जारी ई-आईए अंकितसूचना 2008 (विवार संशोधित) हवे समय–समय पर जारी वाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परिवोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेससे झाँकीली फसी पल्लव माईन (ई-वी निवेश युवाओंका वास्तविक), ग्राम-झाँकीली, तहसील व जिला-महाराष्ट्र, (वाधिकालय का नम्रता अन्वय 2316)

ओनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्रव – एसआईए/ रोजी/ एमआईए/ 419334/ 2023, दिनांक 22/02/2023 द्वारा ई-आवार हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फसी पल्लव (टीप लनिय) खदान है। ग्राम-झाँकीली, तहसील व जिला-महाराष्ट्र नियंत्रण वास्तवा अन्वय 1174/2, 1179/1 एवं 1179/2, युवा क्षेत्रफल-0.42 हेक्टेकर में प्रस्तावित है। खदान की अवैदित उत्तरांग लम्बाई-3,626.2 टन (1,810.6 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परिवोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ की इचान दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु वी निवेश युवाओंका ग्रोपराईटर उपसंचाल द्वारा समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखी पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण – इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

- प्रामाणिकता का अनापूर्ति प्रमाण पत्र – उत्तराखण्ड की राजधानी में द्वाम चंचायत अठोली का दिनांक 29/09/2022 का अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्तराखण्ड खोजना – काशी पठान इन्हायलोगिट ऐवेजर्सेट प्लानहाउस एचडब्ल्यू बदारी छोटोजर एकान इन्हायलोगिट किया गया है, जो संगुवत–संचालक (ए.प्र.) संचालनालय, भीमिकी तथा खणिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पु. झापन अ. 867/खनि 02/मास्ट्रक्युमोदन/नक्का 02/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 03/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में खिल खदान – कार्यालय कलेकटर (खणिज लाला), जिला-महाराष्ट्र के झापन क्रमांक 178/क./खति/नक्का. 02/2022 महाराष्ट्र, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवैधित 33 खदानों के उपरक 29.84 हेक्टेकर है।
- 200 मीटर की परिधि में खिल खदान/खदानाएँ – कार्यालय कलेकटर (खणिज लाला), जिला-महाराष्ट्र के झापन क्रमांक 178/क./खति/नक्का. 02/2022 महाराष्ट्र, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी खारेजनिक खोज दीको मंदिर, खणिकट, गवणट, पुल, नदी, रेत लाईन, अस्पताल, स्कूल, इमीकट या एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित सेत्र निर्मित नहीं हैं।
- एतत्तोऽस्मद् संकेती विवरण – एतत्तोऽस्मद् श्री निर्मित कुमार बोद्धा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेकटर (खणिज लाला) जिला-महाराष्ट्र के झापन क्रमांक 07/क./खणिज/मार्गि/नक्का. 11/2023 महाराष्ट्र, दिनांक 03/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी फैला जासे दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
- मू–रवानित्व – भूमि खसरा क्रमांक 1179/1 एवं 1179/2 श्री निर्मित कुमार बोद्धा के नाम पर सथा खणिज क्रमांक 1174/2 श्रीमती सरस्वती साहू के नाम पर है। उत्तराखण्ड हेतु भूमि स्थानी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- वन विभाग का अनापूर्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महाराष्ट्र के झापन क्रमांक/मार्गि/0063 महाराष्ट्र, दिनांक 10/10/2022 से जारी अनापूर्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खोज दीको की सीमा से 6 किमी की दूरी पर है। साथ ही उक्त प्रमाण पत्र में खदान शीमा से 10 किमी की परिधि के भीतर जैव विविधता दीको होने का उल्लेख है, जिसके संबंध में प्रस्तुतीकरण के दीर्घ वरियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि वन विभाग द्वारा जारी अनापूर्ति प्रमाण पत्र में नुटियत खदान शीमा से 10 किमी की परिधि के भीतर जैव विविधता दीको होने का उल्लेख हुआ है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला-महाराष्ट्र द्वारा स्थिरीय रूप से दूर संशोधित अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लाई जानी चाही. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- नहरपुरी संरक्षनाधी की दूरी – निकटालग आवादी द्वाम-जालोली 360 मीटर, स्कूल द्वाम-अठोली 840 मीटर एवं अस्पताल तुमनांव 7.8 किमी, की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.2 किमी, एवं राजमार्ग 18 किमी, दूर है। गौरानी

नाला 1 किमी, तालाब 1.3 किमी, महानदी 1.9 किमी। एवं विलारिका नहर 50 मीटर की दूर है। 60 मीटर की दूरी पर झाग्याली ग्राम सड़क योजना ही शिथित नालक निष्पत्त है।

11. पारिविविधिलीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिभौमि में अंगरेजीय लीग, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यासालय, कैन्टीन प्रदूषण विषयक बोर्ड द्वारा प्रोत्तिष्ठित किंटिकली पील्युटेल परिया, पारिविविधिलीय संवेदनशील क्षेत्र या प्रोत्तिष्ठित जीवविविधता क्षेत्र निष्पत्त नहीं होना प्रतीक्षित किया है।
12. खगन संचया एवं खनन जल विवरण – कियोलोगिकल रिजर्व 40,320 हेक्टेक्टर, मार्फ्टेनेक्टल रिजर्व 20,800 हेक्टेक्टर एवं इकाइक्टेनेक्टल रिजर्व 10,787 है। लौज की 3 मीटर ऊँची लीग पद्धति (उत्थानन के लिए अधिकारित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,175 वर्गमीटर है। औपन कास्ट मैन्युअल विहि से उत्थानन किया जाएगा। उत्थानन की प्रस्तावित अधिकारत गहराई 6 मीटर है। लौज क्षेत्र में तुकड़ी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल भाजा 1,485 वर्गमीटर है। लौज क्षेत्र में ओश्वर बहुम की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल भाजा 4,456 वर्गमीटर है। दैव ली कोटाई 3 मीटर ऊँची 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लौज क्षेत्र में छत्तर खाड़ीपित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान गै बायु प्रदूषण विषयक हेतु जल जल छिपाकाष विष्या जाएगा। अवश्य प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है—

क्रम	प्रस्तावित उत्थानन (हेक्टेक्टर)
प्रथम	3,306.0
द्वितीय	3,488.4
तृतीय	3,420.0
चतुर्थ	3,602.4
पंचम	3,826.0

13. लौज क्षेत्र में खासिटेंग नहीं किये जाने, उत्थानन हेतु एक दिन में 20 लाखिंत से अधिक कर्मचारी नहीं होंगे, अधिकारत गहराई 6 मीटर तक सीमित रहे जाने, उत्थानन कार्य क्षेत्र मैन्युअल विहि से किये जाने के कानून नियानानुसार मार्फ्टेन लौज बाघाड़ी के चारों ओर 3 मीटर ऊँचाई की पद्धति लीकी गई है। इसके साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि—

मार्फ्टेन एकट, 1962 (खानों में और क्षेत्र जल के विनियम से संबंधित) की भाना 3(1) के अनुसार खदान में उत्थानन हेतु किसी एक दिन में 20 लाखिंत से अधिक कर्मचारी नहीं होंगे, 6 मीटर से अधिक गहराई तक (उच्चतम से न्यूनतम विन्यु तक) उत्थानन नहीं होने लाया उत्थानन हेतु विस्फोटक (Explosives) का उपयोग नहीं होने के अवलम्बन मार्फ्टेन एकट, 1962 लायू नहीं होगा। कालाक्षयकाम लौज क्षेत्र की लीग में चारों ओर 7.5 मीटर की सुख्ता पद्धति की बाब्यता नहीं होने के कारण अनुभोगित मार्फ्टेनिंग जलान अनुसार मार्फ्टेन लौज क्षेत्र की लीग में चारों ओर 3 मीटर ऊँचाई की सुख्ता पद्धति छीला गया है।

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल ली भाजा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती। जल की आपूर्ति संस्थान के ग्राम से की जायेगी। इस बाबत संस्थान जालम्ब बोर्ड अधीक्षित से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाया है।

15. सूखारोपण कार्य – लीज होब की सीमा में बाजे और 3 मीटर की पट्टी में 100 ग्रन धूखारोपण किया जाएगा।
16. खदान की 3 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज होब के बारे में 3 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. गैर माईनिंग होब – लीज होब में 55 डिमीटर होब को संबोधी होने के कारण गैर माईनिंग होब रखा गया है।
18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी किया गया था कि ऐसाताईन आठ कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक किया गया। उक्त कलेक्शन में दिनांक 28/02/2022 की सूचना दी गई थी।
19. जननीय एन.पी.टी., प्रिसिपिट बैग, नहीं दिल्ली द्वारा गतिशील प्राप्तिय विभाग भारत सरकार, पश्चिम बंगाल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं दिल्ली एवं अन्य (जॉनियोजन समिक्षकोंशम नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में गुरुत्व कवय से निष्पानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किए गए सुपरिण लाईसेंसिं से निष्पानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्शन (जानिज आठा). विज्ञा-गहासमृद्धि के अधीन उम्मांक 118/क/खलि/नं. 02/2022 महासमृद्धि, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित 33 खदानों, होबफल 28.64 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (जाम-अछोली) का एकका 0.42 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (जाम-अछोली) को मिलाकर कुल जड़बा 30.06 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल होबफल 5 हेक्टेयर से अधिक का लकड़र निर्मित होने के कारण यह खदान 'सी' लेभी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार किए गए सुपरिण लाईसेंसिं से प्रकाशन 'सी' होटेनरी का होने के कारण भास्त सरकार, पश्चिम बंगाल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टॉचर्ड टार्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) कौर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट कौर प्रोजेक्ट्स/एकटीप्रिटीज रिक्वायरेंस इन्वेयरनेंट वलीवरेंस अप्लर ई.आई.ए. नीटिनिकोंशम, 2006 में वर्णित लेभी 1(ए) का स्टॉचर्ड टीओआर (सेंक सुनवाई सहित) नीन छोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अलिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की जनुरीशा की गई:-

 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit top soil and overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iii. Project proponent shall submit the clarification regarding the distance from the lease boundary to nearest Biodiversity area boundary from Forest Department.

- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall submit an affidavit that the workers working in the mine area shall be less than 20 person in a day and the maximum depth of mining not more than 6 meter due to which the plantation will be carried out at 3 meter wide greenbelt all along the mine lease boundary.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs. Union of India order dated 02.08.2017.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 3 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा ऐडमी में रिशार – एकारेन्स प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07 / 08 / 2023 को संघना 147वीं ऐडमी में रिशार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जली का अध्ययन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति ने अनुशासा को स्वीकार करके हुए टमस और ऐकारेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अलिंगित जली के अद्विन जारी करने का निर्देश दिया गया।—

"Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including River."

परिपूर्णता प्राप्ताक को रक्षण टमस और ऐकारेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गए।

६. नेसर्स अछोली फर्सी पत्तन माईन (अंगूष्ठी निर्मल कुमार बोधता), छाम-अछोली, राहसील व जिला—महाराष्ट्र (खण्डियालय का नामीक्रमांक 2314)

अंगिलाईन आवेदन — इलेक्ट्रॉनिक नम्र — इसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 417387 / 2023, दिनांक 22/02/2023 हारा दी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित कर्ती पत्तन (गौण खण्डित) खदान है। छाम-अछोली, राहसील व जिला—महाराष्ट्र जिला खासरा क्रमांक 112/६, कुल शेतकर 1.4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थनन क्षमता—8,447.4 टन (3,510.75 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एमआईए.सी. उत्थननक के लापन दिनांक 10/04/2023 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैशक का विवरण —

(अ) रामिति की 455वीं वैशक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु वी निर्मल कुमार बोधता, प्रोप्रोप्राईटर उपस्थित हूर। रामिति द्वारा नक्ती, प्रस्तुत जानवरती का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिति पाई गई—

१. नूई में जारी पर्यावरणीय स्थितिकृति संकेती विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय कीमिति जारी नहीं की गई है।
२. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्थनन के कांक्षय में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 15/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
३. उत्थनन योजना — योजना पत्रान् इन्वेस्टिमेंट मैनेजमेंट पत्रान् एप्ल क्लारी वस्त्रियान् पत्रान् प्रस्तुत किया गया है, जो संकुल—संचालक (एड.) संचालनगालय, भोमिकी राशा सामिल्हारी, नवा राष्ट्रपुर झटल नगर, जिला—राष्ट्रपुर के पृ. लापन क्र. 809/खालि 02/मा.पत्र.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(1) नवा राष्ट्रपुर, दिनांक 03/02/2023 हारा अनुमोदित है।
४. 500 बीटर की परिमि में लिखित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खण्डित शाखा), जिला—महाराष्ट्र के लापन क्रमांक 177/क/खलि/न.क्र. 02/2022 महाराष्ट्र, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर उत्थनिक्षण 30 खदानी, कुल शेतकर 28.06 हेक्टेयर है।
५. 200 बीटर की परिमि में लिखित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षणाद — कार्यालय कलेक्टर (खण्डित शाखा), जिला—महाराष्ट्र के लापन क्रमांक 177/क/खलि/न.क्र. 02/2022 महाराष्ट्र, दिनांक 09/02/2023 हारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 बीटर की परिमि में क्षेत्र वी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे महिला गरिमाद, मरम्पट, पुल, नदी, रेत जाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जाल आपूर्ति आदि प्रतिक्षिप्त क्षेत्र नहीं है।
६. एलओआर्ड. संबंधी विवरण — एलओआर्ड. वी निर्मल कुमार बोधता के नाम चर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खण्डित शाखा), जिला—महाराष्ट्र, के लापन क्रमांक 1067/क/खलि/न.क्र. 02/2022 महाराष्ट्र, दिनांक 18/02/2022 हारा जारी की गई, जिसकी वैकला जारी दिनांक से १ वर्ष की अवधि तक है।

7. भू-स्वामित्र – भूमि खासगत नमांक 112/5 की नियंत्रित कुमार बोडरा, जी बीतोन्द्र साहू, जी टिकेका कुमार साहू एवं जी राजेश कुमार साहू के नाम पर है। उत्थनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापलि प्रभाग पत्र – कार्यालय इनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला-महासभुद के इच्छन क्रमांक/मा.पि./2049 महासभुद, दिनांक 20/08/2022 से जारी अनापलि प्रभाग पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र नियंत्रण बन क्षेत्र की सीमा से 0 किमी. दूर है। साथ ही उक्त प्रभाग पत्र में खदान सीमा से 10 किमी. की चारियि के भीतर जीव विविधता क्षेत्र होने का उल्लेख है, जिसके संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान गवाह कि बन विभाग द्वारा जारी अनापलि प्रभाग पत्र में चुटियां खदान सीमा से 10 किमी. की परियि के भीतर जीव विविधता क्षेत्र होने का उल्लेख हुआ है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में कार्यालय इनमण्डलाधिकारी, जिला-महासभुद द्वारा विभिन्न त्वरण करते हुए संभालित जनापलि प्रभाग पत्र प्राप्त कर सकेंगे हैं। आइए, ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. बहुताधूरी संरचनाओं की दृष्टि – नियंत्रण आवादी प्राप्त-आठोली 1 किमी., स्कूल जाम-अठोली 1.7 किमी. एवं अस्पताल तुमगांव 8.3 किमी. की दृष्टि पर विभत है। चाढ़ीय राजमार्ग 0 किमी. एवं राजमार्ग 18.9 किमी. दूर है। राजमार्ग 2 किमी., महानदी 670 मीटर, नदी 640 मीटर एवं गौमांसी नदी 210 मीटर की दृष्टि पर विभत है।
11. पारिवेशिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की चारियि में औरतीजीय सीमा, चाढ़ीय उद्यान, अनमण्डल, कान्दीय प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित फिटिकली फैलबुटेक उरिया, पारिविष्टिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र विभत जहाँ होना प्रतिवेदित किया है।
12. अनन्त जापदा एवं खगन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,01,800 टन, माईनेशन रिजर्व 1,09,800 टन एवं विकाहरेवल रिजर्व 1,04,310 है। लीज की 7.5 मीटर लंबाई सीमा फट्टी (उत्थनन के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,865 घनमीटर है। औपन कास्ट मैनुअल रिपोर्ट से उत्थनन किया जाएगा। उत्थनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी फिटटी की मोटाई 0.6 मीटर है तथा कूल मात्रा 4,867.5 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपर बढ़न की मोटाई 1.6 मीटर है तथा कूल मात्रा 14,002.5 घनमीटर है। बैस की लंबाई 3 मीटर एवं लैंडसाईट 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। स्टोम चार का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का फिल्टराव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्थनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्थनन (टन)
प्रस्ताव	8401.8
द्वितीय	8436.0
तृतीय	8413.2
पार्श्व	8447.4
परम	8424.6

13. जल आवृत्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल वी सारा ६ मीट्रीटर प्रतिदिन होती। जल वी आवृत्ति भू-जल के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु ऐन्ट्रल प्राइव्ह लीटर अधीसिटी वी अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज लेव की सीमा में चारी ओर ७.५ मीटर की पट्टी में ९२४ वर्ग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की ७.५ मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्कर्षन – लीज लेव के चारी ओर ७.५ मीटर की सीमा पट्टी में उत्कर्षन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रवर्त्तीकरण के दोषान परियोजना प्रवर्त्तनक द्वारा कराया गया कि बेकलाईन छाटा कर्तव्यकार का कार्य ०१ नवं २०२२ से ३१ मई २०२२ तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक २८/०२/२०२२ को घूमना दी गई थी।
17. बानीव एन.जी.टी. ग्रिनिशल बैच, नई दिल्ली द्वारा सल्योड बायोडि ग्रिनिशल भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (आर्टिस्टिक एंटिकोलान नं. १८८ ऑफ २०१८ एवं अन्य) में दिनांक १३/०९/२०१८ की पारित आदेश में गुरुवा रुप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEWA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- समिति द्वारा प्रियार विनाश उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—**
1. कार्यालय कार्तेवटर (खनिज शाखा), जिला-नकासमूद के द्वापन तामांक १७७/क/खाली/नक्ष. ०२/२०२२ नकासमूद, दिनांक ०९/०२/२०२३ अनुसार आवेदित खदान से ५०० मीटर के भीतर अधीसित ३३ खदानों, लोअरफल २८.०६ हेक्टेक्टर है। आवेदित खदान (यान—आओली) का दक्षा १.४ हेक्टेक्टर है। इस द्रकार आवेदित खदान (यान—आओली) को गिलाकर कुल दक्षा ३०.०६ हेक्टेक्टर है। खदान की सीमा से ५०० मीटर की परिमि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल लोअरफल ५ हेक्टेक्टर ही अधिक का उत्तरातर निर्मित होने के बाल्य बहु खदान वी1 लेवी की जानी गयी।
 2. समिति द्वारा प्रियार विनाश उपरात सर्वसम्मति से प्रकरण 'वी1' कोटेजरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, २०१५ में इन्डियन स्टेप्लर्स टम्पी ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और ग्रोवेट्स/एकटीविटीज रिक्वायरमेंट वलीवरेंस अप्लाई है.आई.ए. नोटिफिकेशन, २००८ में वर्णित थम्पी १(ए) का स्टेप्लर्स टीओआर (लोक सुनवाई समिति) नौग कोल मार्किंग ग्रोवेट्स हेतु निम्न अंतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुरोधा की गई—
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit the clarification regarding the distance from the lease boundary to nearest Biodiversity boundary from Forest Department.

- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & overburden plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing
- v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- vii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- viii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnames and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में नियाम - उपरोक्त प्रकारण कर प्राधिकरण की दिनांक 07/08/2023 को संघर्ष 147वीं बैठक में नियाम लिया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अनुशोधन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नियाम संपर्क संवर्तनमें से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार टम्ही और ऐफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रबलावक को टम्ही और ऐफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

7. बेससं निरोस इन्डिया सर्किट लिमिटेड, प्रान-हथसाग, ओडीसी-मिशन, बिलाई-दुर्ग (सौधिवालय का नमूना क्रमांक 1896)

आवेदन — पूर्ण में चरित्रोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/08/2014 को पर्यावरणीय स्थीरता हेतु आवेदन किया गया था। कानून में दिनांक 20/07/2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्थीरता के तहत क्रमांक 34 "In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India/SEIAA, Chhattisgarh." अनुसार अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन किया गया है।

एसईआईए.ए. उत्तीर्णगढ़ के आपन क्रमांक 791, दिनांक 10/06/2016 द्वारा प्राप्त नं. 14-ए. वी. सी. एवं एवं 15(बटी) हेती इन्फ्रास्ट्रायल एरिया, मिलई में कुल क्षेत्रफल 20 एकड़ में उभया विस्तार के तहत इनांट / बिलेट = 30,000 टन प्रतीवर्ष से - 90,000 टन प्रतीवर्ष (पूर्ण स्थापित इन्फ्रास्ट्रायल फॉर्मेस 2 तुका 5 टन + उभया विस्तार के तहत 2 गुप्ता 10 टन). सेलिंग मिल उभया - 90,000 टन प्रतीवर्ष एवं कोल बैंसीफायर - 1 नग उभया 8,750 सामान्य छन्हीटर / घंटा हेतु पर्यावरणीय स्थीरता जारी किया गया है।

चरित्रोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित एवं निम्नलिखित हैं—

1. उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संख्या मण्डल के आपन क्रमांक 657, दिनांक 06/05/2022 द्वारा एमएस पाईप फैब्रिकेशन, शामता - 1,60,000 टन प्रतीवर्ष हेतु स्थापना स्थापित जारी की गई है। उदानुसार उक्त सुविधा की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमति जारा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तुत दृष्टिया हैआईए.अधिकार्यका, 2008 के अंतर्गत शेषकूल के जिसी भी कोटेगरी के अंतर्गत जामिल नहीं है। तरीव, पाईप फैब्रिकेशन सुविधा हेतु पर्यावरणीय स्थीरता जारीहोता नहीं है।
3. केन्द्रीय प्रदूषण विभाग द्वारा जारी कोटेगरी के अनुसार यह पैकिंकेशन एवं इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के तहत "ब्लाइंट कोटेगरी" के अंतर्गत वर्गीकृत है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. उक्त दृष्टिया में नाईल रसीट शीट को पैकिंकेशन कर (नोड्यूल इलेक्ट्रिक आउट ऐम्पियर पद्धति द्वारा केल कर) एमएस पाईप के सम में फैब्रिकेटेव किया जाएगा। प्रक्रिया का विवरण (manufacturing process for MS Pipe Fabrication) प्रस्तुत किया गया है।
5. इस प्रक्रिया में जिसी भी उक्त की दृष्टिया का उपयोग नहीं होगा। तरीव यामु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण नहीं होगा। उत्पन्न सूचीप को उद्योग परिषद में ही इन्फ्रास्ट्रायल फॉर्मेस में रिसाईकल कर लिया जाएगा।

प्राप्तिकरण द्वारा दृष्टक में लियार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राप्तिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 126वीं दृष्टक में लियार किया गया। प्राप्तिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राप्तिकरण द्वारा लियार लक्षण सर्वसम्मति से उपरोक्त तात्पर्यों के परिपेक्ष में परीक्षण उपलेख उपयुक्त अनुशंसा किये

जाने हेतु प्रकरण को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्देश लिया गया।

वैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 18 / 10 / 2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर उत्समय सर्वोच्चमहिला से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्ण में चाही गई वाहिन जानकारी एवं समस्त सुनिश्चित जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03 / 03 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09 / 02 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09 / 02 / 2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपेक्षित कारणों से आज वैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत जानकारी के आवार एवं अवलोकन पर विचार कर आवश्यक अनुमति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वोच्चमहिला से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्ण में चाही गई वाहिन जानकारी एवं समस्त सुनिश्चित जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10 / 04 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17 / 04 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनमोहन अद्यात्म, मैनेजर संघरणत हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठिति पाई गई—

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर के सहूल निम्नानुसार कार्य पूर्ण किया जाना चाहाया गया है—

S.No.	Particulars of Investment made under CER	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)
1.	Plantation at near by village (1340 nos plant)	5.6
2.	Plantation has been carried out in 1) Police Station 2) CSCB Boundary Wall	6.7
	Total	12.30

- झीकरई में एक नवीन एनएस पाइप एवं अन्य संरक्षण फैटिलोन यूनिट समता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष की उत्पादन जल अधिनियम तथा वायु अधिनियम के अनुरूप स्थापना सम्भवि तथा संचालन सम्भवि के अनुसार स्थापित की गई रुप संचालनरत है।

3. पर्यावरण नवीकृति प्राप्त सुविधाओं में किसी ब्रह्मर वा परिवर्तन नहीं किया है, उनकी प्रक्रिया, उनके काले माल, उनके प्रोफाइल मिल, उनकी कमता आदि भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
4. उपरोक्त पाईप फ़िलिंग यूनिट ईआईए अधिसूचना 2006 के झेड्यूल में सम्मिलित नहीं है। लादेव इस वार्षिक एवं अकिल हेतु अलग वो पर्यावरण नवीकृति की अन्वयनकता नहीं है। उक्त हेतु वार्षिक पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. एम.एस. पाईप फ़िलिंग कोई प्राईमरी या सेकंडरी बेटलिंगिंग नहीं है, बोल्ड एवं हीट लोडिंग प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है तथा किसी ब्रह्मर वा हीट ट्रीटमेंट रिमिल नहीं होने वाले वार्षिक पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. उपरोक्त पाईप फ़िलिंग यूनिट के प्रोप्रोर में किसी ब्रह्मर के जीवाशम ईशन जैसे कोवला, जन्मस आयल, औजल आदि वा उपरोक्त नहीं होता, प्रक्रिया के बाले हितु अभावित ही है।
7. उपरोक्त पाईप फ़िलिंग यूनिट के प्रोप्रोर हेतु मट्रिशिल बैलोंस तथा काले माल का सौन का निवल निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

इन्यूट (नामा टन प्रतिदिन में)		आउटप्रूट (नामा टन प्रतिदिन में)	
विवरण	मात्रा	विवरण	मात्रा
लिसेल्ह ब्रोडकट/एम.एस. स्ट्रीप/एम.एस. हीट आदि स्थिर के उपयोगन प्राथमिकता से उपयोग किया जाता है तथा जैव मात्रा बाजार वो खरीद कर उपयोग किया जाता है।	515.47	एम.एस. लीब्रिकेटेड पाईप एवं स्ट्रेचर जैसे जाली सेवान, स्लैयर, पाईप आदि	500.00
		एम.एस. स्ट्रीप	14.95
		मिल स्कैल	0.52
	515.47		515.47

कल्पा भाल जैसे रि-बोल्ड प्रोफाइल/एम.एस. स्ट्रीप/एम.एस. हीट आदि स्थिर के उपयोगन प्राथमिकता से उपयोग किया जाता है तथा जैव मात्रा बाजार वो खरीद कर उपयोग किया जाता है।

लोस अल्लिंग एम.एस. पलीय को स्थिर के इन्हेलन फैली में ग्री-मट्रिशिल के साथ में उपयोग किया जाता है तथा मिल स्कैल को फैली एलीप्रेस/पेलेट ब्लाट को कियाव किया जाता है।

8. उपरोक्त पाईप फ़िलिंग यूनिट वो स्थापना के प्रशासन वी बैरिकेट में 33 प्रतिशत घू-भाल (0.0 एकड़) पर शीनबेल्ट कियागया है। इस वार्षिक वार्षिक पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। ले-आउट जिसमें पूर्ण एवं पाईप फ़िलिंग यूनिट की स्थापना के प्रशासन शीनबेल्ट एवं अन्य सुविधाओं को व्यापी हुए प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना कल्पन वर्ष 2016 से 2023 तक लगभग 8,200 कुल लगाते रहे हैं, जिसमें से फर्मान में 7,400 कुल जीवित है। शीनबेल्ट का वैरोफिलिंग भी करवाया गया है एवं उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

8. लै-काउट के अनुसार उत्तरोत्तर परिकल्पन की यूंड एवं पहाड़ा ऐनवाटर इन्डीफ पोटेंशियल की गणना निम्नानुसार प्रस्तुत है—

पाइप लैंडिंग की स्थापना की यूंड —

Land use	Area (Acre)	Area (Hectare)	Rainfall (M/Yr)	Co-efficient of runoff	Runoff (CUM)
Built-up	8.3114	3.36	1.25	0.65	35,738
Road/paved/ parking/ storage yard	1.19	0.48	1.25	0.65	3,913
Open Land (including reservoir)	3.0066	1.24	1.25	0.2	3,045
Green Belt	6.6	2.67	1.25	0.15	5,008
Total	20	8.09			48,604

पाइप लैंडिंग की स्थापना की पारामार्श —

Land use	Area (Acre)	Area (Hectare)	Rainfall (M/Yr)	Co-efficient of runoff	Runoff (CUM)
Built-up	8.14	3.29	1.25	0.65	38,301
Road/paved/ parking/ storage yard	1.19	0.48	1.25	0.65	3,913
Open Land (including reservoir)	3.07	1.24	1.25	0.2	3,106
Green Belt	6.6	2.67	1.25	0.15	5,008
Total	20	8.09			51,328

10. परिसर में 8 नम ऐन वाटर हाउसिंस्टेट सिस्टम लगी हुए है जो एंडिंग लैंड से निकलने वाले ऐन ऑफ को RWMM04 एवं RWMM05 से कैपेक्ट किया गया है।

11. परियोजना प्रत्यक्षक द्वारा सीईआर के संबंध में अनुरोध किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्थीकृति सीईआर को प्रथम गाइडलाइन 1 नई 2018 से यूंड की है तदैय परियोजना पर यूंड में सीईआर अधिकारित नहीं था। पर्यावरण स्थीकृति में वर्णित सुविधाओं हेतु 15.46 करोड़ रुपये निवेशित किया जाना चाहिए सीए सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है।

उद्योग में इस पाइप लैंडिंग क्षेत्र हेतु कुल 11 करोड़ निवेश निए गए हैं जिसका सीए सर्टिफिकेट के अनुसार एवं नाईटरलाइन में अधिकतम सीईआर की सीमा के अनुसार 1 प्रतिशत तक 11 लाख होती है। इस संबंध में उद्योग ने लघवे 12.00/- से अधिक तक सीईआर में आय किया गया है, जिसका विवरण प्रस्तुत किया गया है।

12. उक्त उद्योग हेतु लगभग 516 एक ब्रिटिश कलो लाल की आवश्यकता होती है। इस हेतु 30 एक प्रतिटीच के अनुसार लगभग 18 ट्रिच अंतिरिक्त परिवहन से आवश्यकता होगी। परियोजना पूर्व से विकसित औद्योगिक होत्र में है तदैय उपरोक्त हेतु पर्यावरण संकेत इलायिं अपोस्टरबगार्ड पूर्व से ही विकसित है तदैय इस अंतिरिक्त परिवहन से भी झगड़ा नगम्य होता।

13. उत्तर उत्पाद में किसी प्रकार का अंतिरिक्त इच्छन उपयोग नहीं होगा केवल किसी अधिकारित प्रक्रिया का उपयोग किये जाने वाले राष्ट्र संघ (Notarized undertaking) द्वारा किया गया है। परियोजना से किसी प्रकार के वायु प्रदूषण की संभावना नहीं है। सब ही परियोजना के प्रक्रिया में जास वा उपयोग भी नहीं होता है। तर्दीव यात्रा प्रदूषण भी संभवित नहीं है।

14. उत्तर उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया आटोमेटिक प्रक्रिया है। तर्दीव इसमें अधिक अंतिरिक्त अवश्यकता वाली आवश्यकता नहीं होती। प्रक्रिया में निर्माण हेतु केवल 30 नवीन अभिक ही लगते हैं तर्दीव उनसे को लिए आवश्यक चर्चेत् जल की जलता में 1 किलो ही होती है। इससे उत्पन्न होने वाले लगभग 0.2 किलो चर्चेत् जल की वर्तमान स्थिति एस टी. पी. (16 किलो प्रतिदिन) में ही उपचारित किया जाता है। तर्दीव कंपनी की सौमित्रिक्याएँ से प्राप्त 285 किलो की एनओसी से प्राप्त जल नी हमारी उपरोक्त आवश्यकता की आपूर्ति हो जाती है।

15. उत्तर उत्पाद हेतु ने प्रक्रिया के काला एवं काल्ये नाल एवं उत्पादों हथालन से जीवनी उत्पन्न होता है उनको रोकथान हेतु निमानुसार उपाय किए गए हैं:-

- प्रक्रिया में अधिक होने उत्पन्न नहीं होता तथापि सभी गृहिण उपकरणों को लगातार ल्यूबिकेट किया जाता है।
- हथालन में सोने उत्पत्ति को जल से कम रखने का प्रयास किया जाता है। इस हेतु जल का छोक कर नहीं अपितु सहीके से जमा जल रखा जाता है जिससे कम भी कम रोन हो।
- परियोजना में हर टिकटी में बर्बादी पार्टी से जीवनी की नियनती करवाई जाती है।
- अधिक जीवनी उत्पत्ति होने में कार्बन करने वाले अभिकों को हड्डर प्लान / इंवर मफ उदान किया जाता है।
- अधिक जीवनी उत्पत्ति होने में कार्बन वाले अभिकों को रोटेप्लान के अधार पर कार्बन करवाया जाता है।

16. उत्तर उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया में जीते टन कैप्लिंग्सन में लगभग 60 यूनिट किलोटी की आवश्यकता होती है तर्दीव कुल 1.00 मेनावाट किलोटी सी किसीद्द नहीं है। जिसकी आपूर्ति करने के कैप्टिव पावर प्लाट तथा नीएलीसीए गिरा से प्राप्त विद्युत से कर ली जाती है हुस हेतु अलग से कोई पावर प्लाट क्योंकि नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिषेक्षण में वागिलि द्वारा विभार विभारी उपरोक्त सर्वेसम्बन्धी से निर्माण किया गया कि इसाधित उत्पाद / उत्पादन प्रक्रिया ईआईए अधिसूचना, 2006 (या संशोधित) के देखी के अंतर्गत नहीं आने के कारण परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में किया गया - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की विनाया 07/06/2023 को शाम 14:00 बैठक में विवार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसी का अल्लोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विभार विभारी उपरोक्त सर्वेसम्बन्धी से लागिलि की अनुशंसा को स्वीकार करते हुवे परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किये जाने का निर्णय किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को अनुसार सूचित किया जाए।

8. मेहरी श्री दुलसी फौसफेट्स लिमिटेड, विकासी औद्योगिक हीम, यान-विकासी, तहसील व जिला—महाराष्ट्र (संधिकालय का नमस्ती अस्थाक 1925)

ओमलाईन आवेदन – यूई मे प्रयोगल नम्बर – एसआईए/ शीर्षी / आईएनडी3/ 71821/2022 दिनांक 03/02/2022 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। यहांमान मे प्रयोगल नम्बर – एसआईए/ शीर्षी / आईएनडी3/ 296214/2022 दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी टीओआर मे संबोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा विकासी औद्योगिक हीम, यान-विकासी, तहसील व जिला—महाराष्ट्र स्थित प्लॉट नं. – 212, 213 एवं 214, कुल क्षेत्रफल – 4.26 हेक्टेयर मे प्रस्तावित सिवाय सुपर फौसफेट (एसएसपी) /ट्रिपल सुपर फौसफेट (टीएसपी) भवन-1,00,000 वर्ड्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया। परियोजना का कुल विनियोग राशि 17.5 करोड़ होगी।

एसईएसी, छत्तीसगढ़ के इापन क्रमांक 732 दिनांक 17/08/2022 द्वारा प्रकाश दी-1 के टेंगरी के काम्प महल नामकार के पर्यावरण, उन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 मे प्रकाशित स्टैचकॉड टम्ही ऑफिसियल (टीओआर) फौर ईआईए/ईएसपी रिपोर्ट फौर प्रोप्रीटेट्स/एकटीविटीज विकासात्मक हृद्यावरणीट वलीयरेस कम्पन ईएक्टॉर नोटिफिकेशन, 2006 मे जीवित थीं (अंतर्गत) कोमिकल पर्टिलाईजर्स हेतु स्टैचकॉड टीओआर (लोक सुन्नाई लहिर) जारी किया गया है।

यहांमान मे परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/12/2022 के माध्यम से जारी टीओआर मे क्षेत्रफल 4.26 हेक्टेयर के क्षमता पर 6,280 एकड़ (21,382.2 वर्गमीटर) किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार लेखक एवं उपरोक्त निम्नानुसार है—

Description	Area (m ²)
Main plant building	4,727.2
Parking	1,493.4
Open & Road area	7,229.7
Green area	7,069.4
Area for other Activities	582.5
Total Plot area	21,382.2

प्राविकरण द्वारा बैठक मे विचार – उपरोक्त प्रकाशन पर प्राविकरण की दिनांक 08/01/2023 को रायन 136वीं बैठक मे विचार किया गया। प्राविकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राविकरण द्वारा विचार मेहरी लुपतांत ताविकरण से निर्णय लिया गया कि यू-सी-एली दस्तावेजों के परिपेक्ष मे परिवास उपरोक्त उपकुप्त अनुरोध किये जाने हेतु प्रकाश को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के सभा प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

- (अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 10/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, समिति द्वारा सर्वसमय सर्वेताहमति ने लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुनावने चाहती है, / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनित किया गया।

(ii) समिति की 458वीं मैटक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी शिवम सुनार एवं श्री अमित सुनार, टीओआर उपरिक्त हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर मिन्न लिखति पाई गई:-

- प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में टीओआर हेतु आवेदन में त्रृटिया लीकल 4.36 हेक्टेयर का उल्लेख हो चका था। लदानुसार ही टीओआर प्राप्त हुआ है। जास्ताव में प्रस्तावित इकाई का लीकल 5.286 एकड़ है, जिस हेतु सीएसआईडीसी द्वारा दिनांक 26/10/2010 के माध्यम से जारी लोज लीक में लीकल 5.286 एकड़ हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त को संबंध में टीओआर में लीकल 4.36 हेक्टेयर के बचान पर 5.286 एकड़ ₹1,382.2 रुपयीटरहि किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
- प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्तीर्णगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल एक्सप्रेस कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन क्रमांक सीएसआईडीसी/भू-अर्द्धन/23/8881 राजमुद्र दिनांक 07/12/2022 द्वारा जारी पत्र में “(1) औद्योगिक लैंड विकेटी, जिला-महासंग्रह की स्थापना की धीरणा – कहा में उपलब्ध अप्रिलेंडी के अनुसार कार्यालय कलेक्टर, जिला महासंग्रह के पत्र क्रमांक 351/पिकास/पा./98, दिनांक 09-10-1998 को औद्योगिक लैंड विकेटी, जिला-महासंग्रह की स्थापना हेतु यून 96.42 हेक्टेयर शासकीय भूमि के हस्तांतरण हेतु अनुरोधी/कार्यालयी करने का होता है। (2) भूमि का हस्तांतरण – विधायिका भूमि का अधिकार्य नहाइक्याक, जिला व्यापार एवं उद्योग कंगड़, महासंग्रह के मालदम से सीएसआईडीसी द्वारा दिनांक 04-02-2000 को प्राप्त किया जाता है।” का उल्लेख है। मारत सरकार के पर्यावरण, बन और उत्तराधि परिवर्तन बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी औफिस ऐमोरेन्टम क्रमांक J-11011/321/2016-IA.III, दिनांक 27/04/2018 द्वारा Exemption from Public Consultation for the projects/activities located within the Industrial Estates/Parks हेतु स्टैम्पहृ टीओआर (जिना लोक सुनवाई) जिये जाने की अनुशंसा की गई है। अतः एक दस्तावेज एवं जारी औफिस ऐमोरेन्टम के परियोज्य में पूर्व में जारी टीओआर (लोक सुनवाई सहित) को बचान पर लीकल 5.286 एकड़ एवं टीओआर (जिना लोक सुनवाई) कले हुये मिन्न अधिकारिक शर्ती के अधीन संलोकन किये जाने की अनुशंसा की गई:-

उपरोक्त गत्ती के दर्शक्य में समिति द्वारा पिंचार लिया सर्वांत वार्तामति से मिन्न लिया गया कि दूर्व में एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/04/2022 द्वारा जारी टीओआर में “लीकल 4.36 हेक्टेयर एवं टीओआर (लोक सुनवाई सहित) को बचान पर लीकल 5.286 एकड़ एवं टीओआर (जिना लोक सुनवाई) कले हुये मिन्न अधिकारिक शर्ती के अधीन संलोकन किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall submit clarification regarding no change in project cost as per previous issued ToR & applied amendment in ToR. Project proponent shall also submit project cost break up with proper details incorporating land cost, plant and machinery cost, electric installation cost, other etc..
- ii. Project proponent shall submit layout plan of previous issued ToR & applied amendment in ToR.
- iii. Project proponent shall submit land area statement of previous issued ToR & applied amendment in ToR.
- iv. Project proponent shall submit the layout plan with minimum 40% plantation (i.e. 2.1144 acre) all along the boundary.

एस.ई.ए.सी. प्रतीकरण को ज्ञापन इनांक 732, दिनांक 17/06/2022 द्वारा जारी हो आए की अवधि होती यथावत् रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – कुफलता प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संगमन 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नमी का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार मिसां उपरान्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करती हुई कुफलतानुसार टम्ही और रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) में संहोषण जारी करने का निर्णय किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टम्ही और रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) में संहोषण जारी किया जाए।

७. ऐसां गंगज रप्ती एवं बटील प्राइवेट लिमिटेड, शाम-विल्हा एवं मोहनदारा, ताहसील-विल्हा, जिला-बिलासपुर (संचिकालय का नमी नमीक 1493)

श्रीनाराईन आवेदन— पूर्व में प्रयोगल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ ६२६२४ / २०२१, दिनांक 10/04/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोगल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ ७२१२८ / २०१०, दिनांक 28/03/2022 द्वारा चार्यालयीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पराईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण — श्रीरामजना प्रस्तावक द्वारा शाम-विल्हा एवं मोहनदारा, ताहसील-विल्हा, जिला-बिलासपुर विधान सभात क्रमांक 313/३, 313/४, 313/५, 313/६, 314/१, 314/२, 314/३ एवं 313/७, कुल हेतुपत्र — ६.५ एकड़ में इष्टपक्षन कर्नेस कमता — 72,000 टन प्रतिवर्ष एवं शीलिंग मिल कमता — 1,05,000 टन प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरान्त विविधों की कुल लागत 41 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. प्रतीकरण के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण बी-१ केटेगरी का होने को जानना भागत सरकार की पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मञ्चलय का अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैफर्ड टम्ही और रिफरेन्स (टी.ओ.आर.) पौर हीआईए/ईएमपी रिपोर्ट पौर ग्रोवेनर्स/एक्टोरिक्टोर रिकार्डरिंग इन्कामरेंट बोर्डरेस अमर ईआईए नीटिकोशन, 2006 में बर्जित अंगी ३(ए) का स्टैफर्ड टी.ओ.आर (विना लोक गुनवाई) मेटालजिकल इण्डस्ट्रीज (सोरस एप्ल नीन-केस) हेतु जारी किया गया है।

लानुसार परियोजना द्रव्यावक को एचईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/06/2022 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) शभिति की 40% की बैठक दिनांक 26/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी शिक्षित अधिकारी, डॉकेटर एवं पर्सनल सलाहकार मेंसर्स एफडीपीआई, इनायती प्राइवेट लिमिटेड, हेठलालाल जी और उसे भी शिक्षित कुमार उपरिख्यत हुए। शभिति हारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अगलोंहन एवं परिवर्तन तथा पर शिख रिपोर्ट पाई गई।

1. सूची पर्यावरणीय स्थीरकृति का विवरण –

- एसडीआईएए, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/11/2012 हारा इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्मसा धमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल धमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरकृति जारी की गई थी। ईआईए अधिसूचना (जो राज्योदयित), 2006 के प्रावधानों के अनुसार उक्त पर्यावरणीय स्थीरकृति की केवल दिनांक 19/11/2018 तक थी।
- परियोजना द्रव्यावक का द्वारा बताया गया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्मसा धमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल धमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति में से इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्मसा धमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष के संबंधन हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संस्थान भेदल, जब रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर से जल एवं वायु सम्पत्ति प्राप्त की गई है। ही इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्मसा एवं रोलिंग मिल की स्थापना का कार्य होता है। जलमान में उद्योग की स्थापना हेतु 60 प्रतिशत से अधिक का निर्माण कार्य किया गया है।
- परियोजना द्रव्यावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही भी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। शभिति का बता है कि परियोजना द्रव्यावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, जन सुख उल्लङ्घन, परिवहन भेदभालय, जागत सहकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. जल एवं वायु सम्पत्ति –

- उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संस्थान भेदल, जब रायपुर अटल नगर से इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्मसा धमता – 36,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति में संतोषजन दिनांक 19/06/2020 को जारी की गई है।
- पूर्व में जारी सम्पत्ति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विवृद्धावर जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. निकटतम रिपोर्ट लियावन्नायी संबंधी जानकारी –

- निकटतम अवायी विल्हा 1 किमी की दूरी पर स्थित है। निकटतम ऐल्यू स्टेशन विल्हा 1 किमी की दूरी पर स्थित है। विलासपुर एयरपोर्ट 4.5 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किमी दूर है। भवित्वाती नदी 9 किमी दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 मिलीमीटर की लैंड में ओरेंजीय सीमा, राष्ट्रीय रुदान, अव्याहारण, कंचीय प्रदूषण नियंत्रण और द्वारा दोषित हिंदूकली पौलुलेट एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का दोषित दोषितिक्षेत्र द्वारा सिंह नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. संग्रह परिया स्टेटमेंट -

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Furnace	2,660	10.18
2.	Rolling Mill Area	4,565	17.36
3.	Finished Good Area	1,843	6.24
4.	Raw Material Area	1,860	7.06
5.	Parking Area	2,400	9.12
6.	Road Area	2,600	9.55
7.	Greenbelt	10,556.6	40.14
Total		26,304.6	100

5. री—मटेरियल -

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)		Source	Mode
		Existing	After expansion		
For Induction Furnace					
1.	Sponge Iron	63,171.2	1,26,342.4	Local Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	19,117.6	38,235.2		
3.	Ferro Alloys	631.2	1,262.4		
For Rolling mill					
4.	Billets	-	1,23,000	In house Billets	Conveyor

6. संतापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी -

S. No.	Name	Existing Installed Capacity	Proposed Capacity	Total Capacity After Expansion
1.	Induction Furnace	72,000 TPA	72,000 TPA	1,44,000 TPA
2.	Hot Charged Rolling Mill	-	1,05,000 TPA	1,05,000 TPA

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण अवस्था — बिल्डर में स्थापित 2 नग प्रस्तावित फर्मेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कालेचरल ट्रूड के साथ बैग फिल्टर एवं 1 नग विनी (तुलाई 30 मीटर) प्रवर्तित हैं। प्रस्तावित वायंकलाप हेतु 2 नग प्रस्तावित फर्मेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कालेचरल ट्रूड के साथ बैग फिल्टर एवं 1 नग विनी (तुलाई 30 मीटर) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत दोनों विनीवाली से पर्टिकुलेट मैटर का उत्तरांत 20 मिलीमीटर/सालान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। लौट आर्थिक अव्याप्ति संलिङ्ग वित्त में हूँडा का उपयोग नहीं करने के कारण रीसिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण एवं विनी की स्थापना विना जाना प्रस्तावित है।

नहीं है। कम्पनिटि डस्ट लताजीन विधवा हेतु जल छिक्काव दिया जाता है। यही जलस्ता प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित कार्यकलाप उपर्यात इच्छावान फर्नीस से उत्पादित एमएस फिलेट्स को हीट आर्किंग आधारित शैलिंग मिल के माध्यम से रोलड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाएगा तथा ये फिलेट्स की आस-पास की अन्य इकाईयों में विक्रय किया जाएगा। रि-हीट्स कर्मी की जलस्ता नहीं किया जाएगा। अतः इस बाबत् उपर्यात प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था – बर्तमान में इच्छावान फर्नीस से स्लेट – 7,188 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के स्वरूप में उत्पन्न होता है। इस्तावित कार्यकलाप के उपर्यात स्लेट – 14,388 टन प्रतिवर्ष, मिल स्कोल – 5,400 टन प्रतिवर्ष, फिल्टर डस्ट 1 टन प्रतिवर्ष एवं पूर्व औद्योग 200 लीटर ठोस अपशिष्ट के स्वरूप में उत्पन्न होता है। स्लेट की शीर्षी/ईट मिलींग इकाईयों की उपलब्ध करनाया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपर्यात भी अपनाई जाएगी। पूर्व औद्योग की अविष्ट ऐफ्टर की गिरण किया जाएगा। मिल स्कोल एवं फिल्टर डस्ट की स्वरूप के इच्छावान फर्नीस में पुनरुत्पयोग किया जाएगा। अतः इस बाबत् शाफ्ट पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल उपर्यात स्वं कठोर – बर्तमान में परियोजना हेतु खुल 41 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट स्लेट्सन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपर्यात परियोजना हेतु कुल 85 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 55 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट स्लेट्सन हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं झीन बैल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से वर्षी जाती है। आवश्यक जल की अपूर्ति हेतु सेंट्रल ब्राउथ वीटर अभीरिटी से अनुगति प्राप्त किया गया है, जो दिनांक 18/12/2023 तक की अवधि हेतु दिया है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। चैलिंग मिल से कुलिंग उपर्यात प्राप्त दूषित जल को टंका कर पूर्ण कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को टंका कर पूर्ण कुलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप उपर्यात घरेलू दूषित जल की जाता 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपर्यात हेतु एकीकी आधारित सीधेज ट्रीटमेंट प्लांट की अनुगति द्वारा नवीन, औद्योग एवं धीरा ट्रीट, री-सीधेज कालेक्शन ट्रैक, एकीकीआर ट्रैक, स्लेज एव्यू, फिल्टर प्रेस, इटर्नेटिवेट ट्रैक, ड्रेसर सेप्ट फिल्टर, एपिटेटेल कार्बन फिल्टर एवं अन्द्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की विकली रखी जाएगी।

- भू-जल सुरक्षण प्रबंधन – परियोजना क्षेत्र सेंट्रल सार्वजनिक जल बोर्ड के अनुसार सेंक जल में आता है। जिसके अनुसार-
 - (अ) गृह एवं निवासी उद्योगों को जल से जल 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्वापन एवं पुनर्वापयोग किया जाना है।
 - (ब) सार्वजनिक जल बोर्ड ने अपनाई नई तकनीक यथा ऐनवाटर हार्डिंग / ऑटोमेटिकल जल रियर्ज के अधार पर भू-जल नियंत्रण जाने की अनुमति सेंट्रल सार्वजनिक जल बोर्ड द्वारा दिये जाने वाला प्राप्त्यान है। अतः उद्योग को ऐनवाटर हार्डिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- ऐन बौंटर हार्डिंग व्यवस्था – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल राखींग 15,272 घनमीटर है। ऐन बौंटर हार्डिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 नए रियर्ज बिट (लंबाई 2.5 मीटर, ऊँचाई 2.5 मीटर, व्यासाई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित ऐन बौंटर हार्डिंग व्यवस्था परिसर के पूर्ण रनओफ को रियर्ज किया जा सकेगा। सभी रियर्ज कटुकर्त्ता हुए प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें साधारण मात्रा में जल जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

11. नियुत आपूर्ति इवोल – परियोजना हेतु 4 मैगाकोट नियुत की आवश्यकता होगी। नियुत की आपूर्ति उल्लीभवह राज्य नियुत नियंत्रण लंयने लियिंड से ही जाएगी।
12. कूपारेवन संस्थी जानकारी – हरित पटिटला के विकास हेतु कुल शेतकरण के 1.06 हेक्टेयर सेत्र (कुल शेतकरण का 40.14 फ्रेशिया) में 2,660 नए पीपे नीपित किया जाना प्रस्तावित है। कुल शेतकरण का 40.14 प्रतिशत में हरित पटिटला के विकास किये जाने वाला तरल पत्र इस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विवरण-
 - i. जल एवं वायु जल्दि गुणवत्ता संस्थी जानकारी – नीनिटरिंग कार्य अवरूद्ध 2021 से दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता नामन् 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता नामन् 8 स्थानों पर व्यावे स्तर नामन् 8 स्थानों पर सलाही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर निट्रो के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
 - ii. नीनिटरिंग परियामी के अनुसार पीएम, एसओ, एनओ, और सार्वजन लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	GPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	17.1	36.2	60
PM ₁₀	42.6	82.5	100
SO ₂	10.2	19.4	80
NO _x	13.0	21.8	80

पीएम₁₀ के इन्डीकेटर जारा की जानकारी-

Impact				
Pollutants	Baseline Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Incremental ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Resultant ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	GPCB Norms
PM ₁₀	82.5	1.43	83.93	100

iii. परियोजना क्षेत्र के आवासीय जल स्तरों की वृद्धिकरता— ईआईए के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टैबल अनुसार बलोचिस्तान, नक्कटेट्टा, लालकर, काबीनेट्टा एवं छन्द इतावधिक तरली का वृद्धिकरण लेपत भास्तीय मानक से कम है।

iv. परियोजना व्यापक स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{dn}	50.9	61.4	75
Night L _{dn}	42.6	53.6	70

जो उक्त तीव्र के नियांसित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना— भासी याहनों / मल्टीएक्साल इंडी याहनों को समावित करते हुये ट्रैफिक ऊपरायन लिंगोट प्रस्तुत की जाई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 423 पी.सी.यू. प्रतियोजना एवं वही/सी अनुपात (WC ratio) 0.14 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 733 पी.सी.यू. की वृद्धि होती। तापशब्दात् युक्त 430.33 पी.सी.यू. प्रतियोजना एवं वही/सी अनुपात (WC ratio) 0.143 होती। जिसका उपरांत वही लै-मैट्रिक्स / ग्रोववट्टा के परिवहन हेतु सबक नारी की लोड कीरिंग अमरा नियांसित मानक (Very Good) के मीठे है। यह बताया गया है।

14. कौर्यारिट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभिति के सम्बन्धीय आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग के पहुंच भारा के दोनों तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा। संभिति यह भल है कि उद्योग के पहुंच भारी के दोनों तरफ में 16 मीटर की ओरी यद्दी में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये से—आठट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से जनी हुई स्पैज आपनन इकाई है, जो कि आवेदित उद्योग के द्वारा ही स्थायित की गई एक युक्ति इकाई है। स्पैज ऊपरान हकर्त्ता एवं प्रस्तावित इप्पवशान फर्मेस टेक्नोलॉजी बिल इकाई की वारप्पी बैंगन होने के कारण दोनों इकाईयों की बैंगन बातचीड़ी के दोनों तरफ कम से कम 10–10 मीटर में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त वृक्षारोपण को से—आठट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विनियोग की युक्त लागत 41 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रैक—अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

संभिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. एर्ट में जारी जल एवं वायु सम्पत्ति के तरली के पालन में की गई कार्यकारी की विन्दुओं जानकारी छलीकरण एवं संख्या अंकल, नवा राष्ट्रीय अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

- पूर्व में जारी पदोन्नतीय स्थीकृति के सभी के पालन में जी गई कार्रवाही की विश्वासार जानकारी एवं कैलूल कीमीय कार्रवाई, आसत जानकार, पर्मावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, जबा दायरपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- पूर्व में जारी पदोन्नतीय स्थीकृति के सभी के अनुसूचि निर्धारित उत्तीनुसार सूक्ष्मारोपण (मध्यमीय छजाइ की लीडी) इसी मानसूचि में कहाँ हुए लीडी में संख्यांकन (Numbering) एवं लीडी के नाम का उल्लेख किया जाकर कोटीदाशक सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- वर्तमान विषय में विभिन्नोंग की कुल लागत का ब्रैक-अप प्रस्तुत किया जाए।
- वर्तमान में स्थापित हकार्ड एवं प्रस्तावित इकाई (उत्तर सहित) को लै-आउट में वहाँसे हुए लै-आउट प्लान लीन बैल्ट सहित कैरमएल कार्हिल को सभा प्रस्तुत किया जाए।
- वि-हीटिंग फैजेस की व्यापक नहीं किये जाने वायरल शपथ पञ्च प्रस्तुत किया जाए।
- मिल कर्केल एवं मिल्टर लस्ट को व्यवहार कर्केल में पुनरुत्थायीक किये जाने वायरल शपथ पञ्च प्रस्तुत किया जाए।
- कुल कोशल का 40.14 प्रतिशत में हस्ति चट्टिका के विकास किये जाने वायरल शपथ पञ्च प्रस्तुत किया जाए।
- वर्तमान हकार्ड एवं प्रस्तावित इकाई में कार्रवाई अभिकी ली संख्या के संबंध में जानकारी (सारणीधर्म में) प्रस्तुत किया जाए।
- उद्घोग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 बीटर की लीडी पट्टी में सूक्ष्मारोपण तथा स्कैंट आवरण इकार्ड एवं प्रस्तावित इन्डक्शन फर्नीचर तथा रोलिंग मिल हकार्ड की वारुणी कीवन होने के कारण दोनों इकार्डों को जीवन वारुणी के दोनों तरफ कम से कम 10-10 बीटर में सूक्ष्मारोपण की दराई हुये लै-आउट प्लान प्रस्तुत किया जाए। सभा ही वृक्षान्तोपय हेतु लीडी का सेवन सुखा हेतु रोलिंग, रोल एवं शिंखार्ड तथा रक्षा-रक्षाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव मी प्रस्तुत किया जाए।
- ई.एम.पी. (Environment management plan) का अवलोकन वन नुसारीय ई.एम.पी. प्रस्तुत किया जाए।
- सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वाचित जानकारी/इकार्डों प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्रवाही की जानकारी।

उत्तीनुसार एस.ई.ए.सी., उत्तीनगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक हुआ जानकारी/इकार्डों दिनांक 29/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति हासा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर मिनानुसार मिथित पाई गई यि-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताना में स्थापित हुकाईयों हेतु छलीसगढ़ पर्यावरण संबंध में भूमि द्वारा जारी कार्यवाही की विनुदार प्रानकारी प्रस्तुत की गई है। सभिति का यह है कि बताना में स्थापित हुकाईयों हेतु छलीसगढ़ पर्यावरण संबंध में भूमि द्वारा कार्यवाही की विनुदार प्रानकारी छलीसगढ़ पर्यावरण संबंध में भूमि द्वारा प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा यूर्जे में जारी वर्षावर्षीय स्थीरता के राती के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। सभिति का यह है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत संचीय कार्यालय, भासा संचार, वर्षावरण, जन एवं जलवाया परिवर्तन गंतव्यात् याकृष्ण से यूर्जे में जारी वर्षावर्षीय स्थीरता का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- यूर्जे में जारी वर्षावर्षीय स्थीरता के राती के अनुकूल नियन्त्रित रक्तानुचार 1,900 लग कूलरोपण (स्थानीय प्रजाओं के पीछे) इसी मानस्कूल में करते हुए पीछों में संखाचिन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख करते हुए कौटीवारस सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- बताना मिथिति में विनियोग की बुज जाति का इक-अप प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार—

Particulars	SMS (Lakh)	Rolling Mill (Lakh)	Total (Lakh)
Land & Site Development	20	30	50
Building & Civil Works	400	500	900
Plant & Machinery	1,000	1,500	2,500
Electrical Installation	125	75	200
Preliminary & Pre-operative Expenses	50	50	100
Contingencies	125	75	200
Deposites	30	20	50
Pollution Control Equipment	40	10	50
Other Fixed Assets	20	30	50
Total Investment	1,810	2,290	4,100

- बताना में स्थापित हुकाई एवं प्रस्तावित इकाई (सारका सहित) की ले-आउट में दर्शाते हुए ले-आउट प्रान द्वीन बेल्ट सहित केंद्रगत फाईल के साथ फुटनीव प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
- रि-हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किये जाने वाला एवं मिल स्टोर एवं फिल्टर छर्ट को रखने के इम्प्रेशन फर्नेस में पुनरुत्पत्ती किये जाने वाला एवं कुल क्षेत्रफल का 40:14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने वाला साथा पन्न परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में सभिति का यह है कि नुकोरेक्ट हेतु अपन्य यन (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- बताना हुकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यस्त अधिकों की संख्या के संबंध में जानकारी (सारणीकृत नहीं) प्रस्तुत किया गया है।
- कालोग के पहुंच भार्ट के दोनों तरफ में 15 मीटर की ओरी फट्टी में दृष्टान्तप्राप्त तथा संरेख आवश्यक हुकाई एवं प्रस्तावित इम्प्रेशन फर्नेस एवं सेलिंग मिल

इकाई की बहुमूली कीमत होने के बावजूद दोनों इकाईयों की कीमत बहुमूली के दोनों तरफ कम से कम 10-10 मीटर में बहारीपाल की उत्तरी हुई ते-आटट ज्वान प्रस्तुत किया गया है, जो कि पठनीय नहीं है। साथ ही बहारीपाल हेतु दोनों का रोपण भूम्भा हेतु कोशिंग, खाद एवं शिंचाई तथा रख-रखाव के लिए ५ वर्गी का पटकावाव छाया का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. ई-एम-पी (Environment management plan) का अपलोडन कर पुनर्वितर्कीय प्रस्तुत किया गया है।

10. दी-ईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण कियरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उत्पादक संवैधानिकी से निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. अपलोड विन्दु छायाकों 1, 2, 4, 6, 8 एवं 10 के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना से जिन-जिन रूपों से प्रयुक्तिवाले उत्तर उत्पादन होगा, उन रूपों पर नियमित जल विकाव की व्यवस्था किये जाने चाहते राष्ट्रीय वक्त्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना उत्पादक द्वारा इस आवाय का वाचन एवं प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालीन प्रबन्ध दंड के अवर्गत विन्दी वी न्यायालय में लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपर्युक्त आवासी कार्यवाही की जाएगी।

निम्नानुसार एसडीएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/10/2022 के परिणाम में परियोजना उत्पादक द्वारा दिनांक 15/12/2022, 16/12/2022 तक 21/12/2022 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(अ) समिति दी 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परिवर्तन करने पर निम्न निष्ठाएँ पाई गईं—

1. शोधीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंधी नंदल, जिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 07/12/2022 द्वारा जल एवं जातु राम्भि नवीनीकरण के पालन में जी गई कार्यवाही की प्रभावित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें सम्मति नवीनीकरण के सभी रूपों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।

2. एवीकूल शोधीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बग एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी, नवा रामपुर छट्टल नगर के ज्ञापन दिनांक 12/12/2022 द्वारा पूर्ण में जारी चयावर्णीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार शार्ट छायाकों 1, 2, 3xx, 3xxi, 3xxii & 3xxiii का अलैंग पालन एवं शार्ट छायाकों 3xi, 3xi, 3xii, 3xi, 3xx, 3xxi, 3xxii, 3xxiii & 3xxiv का अपूर्ण पालन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में परियोजना उत्पादक द्वारा आशिक पालन एवं अपूर्ण पालन शर्ट के परिणाम में किये जाने वाले कार्यों हेतु जिसमें जानकारी प्रस्तुत की गई है। चयाव की संबंध में परियोजना उत्पादक द्वारा पत्र दिनांक 21/12/2022 के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है—

- i. प्रस्तावित कार्यकलाप से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। जल का उपयोग कूलिंग हेतु किया जाता है, जिसका नुगालकाम कर उपयोग में लाया जाता है, जिसके कारण दूषित जल का नियन्त्रण रेन गार्डर हार्डिंग पाइप में नहीं होता है। सदैव शून्य नियन्त्रण की लिखति रखी जाती है।
- ii. प्रस्तावित छाट के संबंध में हाथीय कार्यकलाप, बिलासपुर द्वारा किये गये नीफिटिंग रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुता की गई है, जो कि नीफिटिंग मानकों के अनुरूप है।
- iii. परियोजनाकारी एवं अन्य छाटिंग (प्रबल एवं सीमापार लोडलन) जियां, 2016 के दृष्टिकोण से व्यावरण कार्यक्रम नंबरल द्वारा प्राधिकरण जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 19/05/2024 तक है।
- iv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजित व्यावरण का मापन किया गया है, जो कि नानकों के अनुरूप है। उक्ता का उल्लेख ईआईए रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही फारवर सेक्टरी एवं जिजाफटर मैनेजमेंट का उल्लेख भी ईआईए रिपोर्ट में किया गया है।
- v. सीएसआर एवं सीलिंगी हबोरोनीमी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक बताया गया कि उनको द्वारा लागत ₹8,00,000 रुपये का भी बंगल उभयन्/पार्क का निर्माण किया जाया है, कॉर्टिन-19 मार्गशारी के सम्पर्क सीएम रिलिए काल्पनि, पी.एम. कोर्ट सफ्ट, इण्डियन रेड और सीसीसीएटी आदि में 10,51,000 रुपये दिया एवं इस्ट में 1,11,111 रुपये दिया गया है।
- vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में 151 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें से 60 जनित्र सर्वेक्षणीय हैं। प्रस्तावित कार्यकलाप ईत्यु अलिंगित 110 कर्मचारी रुक्ता जाना प्रस्तावित है, जिसमें अधिक से अधिक कर्मचारी स्थानीय रुक्ता जाना प्रस्तावित है।
- vii. पूर्व में जारी व्यावरणीय स्वीकृति के सूचना का प्रकाशन अस्तवार में किया गया है, जिसकी जूति संतुष्टि किया गया है।
- viii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यातन चलियदेन प्रस्तुत किया गया है।
- ix. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (सालता सहित) को से-आउट में दर्शाते हुए से-आउट यातन शीन बेल्ट सहित कॉमएल फाईल के साथ परनीय प्रति प्रस्तुत की गई है।
- x. नि-हीटिंग फैजेस की स्थापना नहीं किये जाने वाला एवं निल एकेल एवं निलटर इस्ट की स्थान की इष्टवशन फैजेस में पुनरायोग किये जाने वाला तथा चूल शीक्षण का 40.54 प्रतिशत में हाउट परिदृक्त के विकास किये जाने वाला तथा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- xi. उदीन की पहुंच मार्ग के दोनों दर्शक में 15 नीटर की जीडी पट्टी में चूलारीबन तथा स्वेच्छा आपरन इकाई एवं प्रस्तावित इष्टवशन फैजेस तथा सोलिंग निल इकाई की बातचीड़ी कीभन होने के कारण दोनों इकाईयों को बीमान बातचीड़ी के दोनों दर्शक दर्शक से बम 10-10 नीटर में चूलारीबन की दर्शाते हुये से-आउट यातन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही चूलारीबन हेतु पीछी का रोपण, सुख्ता हेतु फैलिंग, छाट एवं शिंचाई तथा राज-रखाव के लिए 5 वर्षों के विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रथम वर्ष में 5 लाख, द्वितीय से चतुर्थ वर्ष में 4 लाख प्रतिवर्ष तथा पंचम वर्ष में 3 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

६. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4100	2%	82	Under existing CER work total investment Rs. 79,62,111/- Under proposed CER work following activities at nearby, 3 Government schools Plantation with fencing New toilet construction work Water harvesting system Potable drinking water facility Medical camps	20.00
			Total	22.00
			Grand Total	101.62

सीईआर के तहत प्रस्तावित अवै (१) शासकीय प्राथमिक शाला कोशला, (२) शासकीय प्राथमिक शाला इलका एवं (३) शासकीय प्राथमिक शाला निषग्धी ने किया जाएगा।

७. सीईआर के तहत प्रस्तावित संकाल के प्राथमिक (Principals) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
८. परियोजना से जिन-जिन स्थलों को क्षुद्रिटिक कर्त उत्तराधिकारी होगा, उन स्थलों पर नियमित चल नियमित की घोषणा कियी जाने वाला तापता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
९. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का तापता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके पिछले इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालीन प्रबन्ध देह के अंतर्गत किसी भी व्यापारात्मक मैलिंग नहीं है।

परियोजना स्थलों के आवाय पर समिति द्वारा नियमित उचित सार्वजनिक तो गैरसार्वजनिक अवै एवं स्टील प्राइवेट लिमिटेड, प्राप्त-विलहा एवं खोलभट्टा, तहसील-विलहा, जिला-जिलासंपूर नियमित चालाक लान्हांक 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 314/1, 314/2, 314/3 एवं 313/7, कुल लान्हांक - 45 एकड़ में इकाइलान कर्नल लान्हांक - 72,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग नियमित लान्हांक - 1,06,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षीकृति दिए जाने की अनुशंसा गई थई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विवार - उपरोक्त प्रहरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 की वायन 141वीं बैठक में विवार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा गोट किया गया कि सीएसआर एवं

सोशली इनोवेशनों के बारे में परियोजना प्रस्तावक बताया गया कि उनके द्वारा लागत 68,00,000 रुपये का ही मनमुद्भव संबोधन/पार्क चल निर्मित किया गया है, कोटिंग-19 माहामारी के समय सीएन एंड एस एनोट फॉर्म गोवर्नर्स फॉर्म, इंडियन ऐंड लौंग सोशाली आवि में 10,51,000 रुपये दिया एवं ट्रस्ट में 1,11,111 रुपये दिया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, बन और अलगाव वरिष्ठतम् वंचालय, जई दिल्ली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) का प्राकाशन है। आवेदित इन्हनमें कर्तमान में वान की गई राशि 79,42,111 रुपये की सीएन आर (Corporate Social Responsibility) वाद के तहत सर्व लिया जाना समझा जाता है तो यह है। अतः इस संघर्ष में राष्ट्रीयत्व प्रस्तुत करते हुये सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) की जागरूकता जाना आवश्यक है।

प्राक्तिकरण द्वारा विद्यार विभार लिया सर्वसारोत सर्वसम्मिति से उपकोक्त लघ्यों के वरिष्ठत्व में परिवाप सर्वसारोत उपयुक्त अनुदाना किये जाने हेतु इन्हनमें कर्तमान में वान की गई राशि 79,42,111 रुपये की सीएन आर (Corporate Social Responsibility) वाद के तहत सर्व लिया जाना समझा जाता है तो यह है। अतः इस संघर्ष में राष्ट्रीयत्व प्रस्तुत करते हुये सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) की जागरूकता जाना आवश्यक है।

(८) समिति की वडों की बैठक दिनांक 17/04/2023:

समिति द्वारा नसी, इस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने गिर्वान समिति पाई गई:-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/03/2023 को प्रेसित जानकारी में बताया गया कि यूई में दिये गए प्रस्ताव में यूटिलिटी सीईआर के स्थान पर सीएसआर का उल्लेख हो गया था, याकूब में किये गए व्यय सीईआर गव के रूपान्तर ही है जिस हेतु चरियोजना प्रस्तावक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक कोषाल 1.85 एकड़ में किये गए कार्य की जानकारी सीए द्वारा प्रमाणित कर प्रति प्रस्तुत की गई है। याच ही जारीकीय प्राथमिक शाला केंद्रला में रेनवाटर हार्डिंग, नवीन सीधालय, बुआरोपाल एवं ड्रिंकिंग बॉटर पूरीकायर यह कार्य किया गया है, जिस हेतु अधानपाठक, जारीकीय प्राथमिक शाला केंद्रला का सहभागी पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सीईआर के तहत जारीकीय प्राथमिक शाला निपनिया में रेनवाटर हार्डिंग, नवीन सीधालय, बुआरोपाल एवं ड्रिंकिंग बॉटर पूरीकायर यह कार्य किया जाना प्रस्तावित गिर्वान है, जिस हेतु अधानपाठक, जारीकीय प्राथमिक शाला निपनिया का सहभागी पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- यूई में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्याव बैलो के समीप लागत 68 लाख से नियमित बंगल संबोधन/पार्क एवं जारीकीय प्राथमिक शाला केंद्रला में रेनवाटर हार्डिंग, नवीन सीधालय, बुआरोपाल एवं ड्रिंकिंग बॉटर पूरीकायर में लागत 8 लाख रुपये की किये गए कार्य तथा प्रस्तावित जारीकीय प्राथमिक शाला निपनिया एवं इलाया में प्रस्तावित रेनवाटर हार्डिंग, नवीन सीधालय, बुआरोपाल एवं ड्रिंकिंग बॉटर पूरीकायर की इलायित लागत 15 लाख रुपये को सीईआर के तहत लागत को समिति द्वारा मान्य किया गया।
- इस्तावित कार्य बुआरोपाल बॉटर हार्डिंग शिवटम् बोटेल ड्रिंकिंग बॉटर क्लिनिकों गार्ड टायलेट निर्माण कार्य (१) जारीकीय प्राथमिक शाला केंद्रला, (२) जारीकीय प्राथमिक शाला इल्या एवं (३) जारीकीय प्राथमिक शाला निपनिया में किया जाना प्रस्तावित है।

4. समिति द्वारा पाया गया कि निर्मित श्री मंगल उपवन/पार्क जिली भूमि का है। इस संबंध में समिति का मत है कि श्री मंगल उपवन/पार्क में अवरिक्षित बूढ़ी की कटाई नहीं किये जाने एवं उक्त पार्क हमेशा आम नागरिकों के लिए खुला रखने तथा उक्त पार्क पर नियमी अधिकार नहीं रखे जाने बाबत शपथ चर्चा (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिवेश में जारीली द्वारा विभार विभार उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया गया है—

1. यूई में जारीली की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में ती गई अनुसंदेश के अधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्थीरकृति जारी किये जाने की अनुसंदेश की रही।
2. श्री मंगल उपवन/पार्क में अवरिक्षित बूढ़ी की कटाई नहीं किये जाने एवं उक्त पार्क हमेशा आम नागरिकों के लिए खुला रखने तथा उक्त पार्क पर नियमी अधिकार नहीं रखे जाने बाबत शपथ चर्चा (Notarized undertaking) को एसडी आईएए, छत्तीसगढ़ में अनियार्य काम से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्थीरकृति की सशर्त अनुसंदेश की जाती है।
3. श्री मंगल उपवन/पार्क के बाहर आन नागरिकों (Public park) हेतु सूखना पटल लगाये जाने बाबत शपथ चर्चा (Notarized undertaking) को एसडीआईएए, छत्तीसगढ़ में अनियार्य काम से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्थीरकृति की सशर्त अनुसंदेश की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में दिया है— उपरोक्त पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संघन 147वीं बैठक में विभार विभार द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट दिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/06/2023 को नामन से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार—

1. श्री मंगल उपवन/पार्क में अवरिक्षित बूढ़ी की कटाई नहीं किये जाने एवं उक्त पार्क हमेशा आम नागरिकों के लिए खुला रखने तथा उक्त पार्क पर नियमी अधिकार नहीं रखे जाने बाबत शपथ चर्चा (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. श्री मंगल उपवन/पार्क के बाहर आम नागरिकों (Public park) हेतु सूखना पटल लगाये जाने बाबत शपथ चर्चा (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विभार विभार उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. यूई में जारीली की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में ती गई अनुसंदेश के अधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्थीरकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया समिति द्वारा निपारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का चलन सुनिश्चित किया जाए। चलन नहीं किये जाने की स्थिति में विभिन्न कार्रवाई की जाएगी।
2. श्री मंगल उपवन/पार्क हेतु नियोजित भूमि को उसका रिकार्ड के प्रद्वालन में नियमी भूमि को सूचारोपण एवं परिवक पार्क के काम में विलक्षित कर जन समुदाय के उपरोक्त हेतु उपलब्ध कराये जाने बाबत शास्त्र अभिलेख में उल्लेख बनाकर प्रस्तुत किये जाने के उपरोक्त एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज यूई होने की स्थिति में ही चरियोजना प्रस्तावक को उसकी पर्यावरणीय स्थीरकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को दानुसार सुनिश्चित किया जाए।

१०. मेसाली एम.आर. इंटरडाईजेस (फर्टन- भी गिरिया अवाकल), प्लाट नं. १८, १३८ इव्वा, हैंडी इण्डस्ट्रीयल एरिया बधखोज, खिलाई, जिला-दुर्ग (संधिवालय का नम्बर उम्मांक २०१७)

जींगलाईन आवेदन - प्रधानमंत्री नम्बर - एमस्लाईए/ सीजी/ आईएनसी/ ७८४५ / २०२२, दिनांक ११/०५/२०२२ द्वारा दी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा हैंडी इण्डस्ट्रीयल एरिया बधखोज, खिलाई, जिला-दुर्ग दिया प्लाट नं. १८, १३८ इव्वा, कुल शेअफल - २.४२ हेक्टेयर में अगला विस्तार को लाहौ इण्डस्ट्रीयल फॉर्मेस (एम.एस.विल्डस) क्षमता - ३८,६४० टन प्रतिवर्ष से बढ़ावान १,३३,००० टन प्रतिवर्ष, रि-सोल्ड स्टील क्षमता - ६७,८०० टन प्रतिवर्ष से बढ़ावान २,५५,००० टन प्रतिवर्ष (४०-हॉट सार्किंग क्षमता - १,०५,००० टन प्रतिवर्ष एवं थू-रि-हीटिंग क्षमता - १,४४,००० टन प्रतिवर्ष) एवं एम.एस. पाईप्स क्षमता - १,२०,००० टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। अगला विस्तार उपरांत परियोजना की कुल शिक्षियोग ३० करोड़ रुपये होगी।

वैदेकी का विवरण -

(अ) तामिल की ४२२वीं वैठक दिनांक ०७ / ०९ / २०२२:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी अनिल चूमार अवाकल, सीई.ओ. एवं मेसाली एनालैन लेसोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड भी और भी भीकाल भी, बागेश्वर, वरिष्ठ नवीवरण वैद्यानिक तथा भी विकास टाकुर, शालाहकार उपरिलक्ष द्वारा। तामिल द्वारा नम्बी, घरुला जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाई गई:-

१. यूर्ज पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण -

- एस.ई.आई.ए.ए. एनालैन गढ़ के द्वापन क्रमांक २१८०, दिनांक ०४ / ०३ / २०२१ द्वारा हैंडी इण्डस्ट्रीयल एरिया बधखोज, खिलाई, जिला-दुर्ग दिया प्लाट नं. १८ इव्वा, कुल शेअफल - २.०२३ हेक्टेयर में प्रथम छरण के अलंकृत क्षमता विस्तार को लाहौ थू-हीटिंग फॉर्मेस बेस्ट ऑन पल्याईज़ कोस अलाइंस रि-सोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता - २१,००० टन प्रतिवर्ष से ६७,८०० टन प्रतिवर्ष तथा द्वितीय छरण उपरांत न्यूल्ड स्टील विलेट क्षमता - ३८,६४० टन प्रतिवर्ष एवं रि-सोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता - ५७,८०० टन प्रतिवर्ष (३८,६०० टन प्रतिवर्ष यू.हॉट सार्किंग एवं २१,००० टन प्रतिवर्ष यू.विलेट्स रि-हीटिंग फॉर्मेस बेस्ट ऑन पल्याईज़ कोस) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। उपरांत एस.ई.आई.ए.ए. एनालैन गढ़ के द्वापन क्रमांक १३८८, दिनांक २१ / ०९ / २०२१ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा यूर्ज में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के जरूरी के पालन में भी गई जार्याही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। तामिल का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एवीकूल शोरीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवाया परिवर्तीन वंशालय, भारत सरकार, राज्यकूर से यूर्ज में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत दिया जाना आवश्यक है।

2. शू-क्षायित्र - यही मेंसले एम.आर. इंटरप्राईजों के नाम पर है। साथ ही पार्टनर्स क्षमा की निर्माण अवधारण एवं की तुसार अवधारण द्वारा पार्टनरशीप की तो प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. जल एवं वायु सम्पत्ति -
- * छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाय मंडल, नवा रायपुर आटल नगर द्वारा इन्हेक्षन पर्नीस (एच.एस.पिलेट्स) कमता - 9,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 36,840 टन प्रतिवर्ष, दि-रोल्ड स्टील कमता - 21,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु उत्तमता सम्पत्ति दिनांक 14 / 07 / 2021 की जारी की गई। रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाय मंडल, नवा रायपुर आटल नगर द्वारा दि-रोल्ड स्टील कमता - 37,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु उत्तमता दिनांक 06 / 12 / 2021 की जारी की गई, जिसकी उपरा कमता दिस्तार के संचालन प्रारंभ माह के प्रथम दिवस से 1 वर्ष (First date of month of commissioning of the plant with expanded capacity) तक की लिए है।
 - * वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाय मंडल द्वारा जली सम्पत्ति शर्ती के पालनार्थ की कठिनाई की विनुदार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। यथिति का गहर है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाय मंडल द्वारा जली सम्पत्ति शर्ती के पालन में की गई कठिनाई की विनुदार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाय मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. समीक्षक निष्ठा विधाकलापी शांकेवी जानकारी -
- * समीक्षक आवादी ग्राम-क्षेत्रों 1 की दूरी पर लिखा है। निष्ठाकलम ऐलो स्टेशन गिलाई नगर 3.5 कि.मी. एवं स्थानी विधेकान्द विधानसभा, गाना, रायपुर 36 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है। विधानसभा नदी 12 कि.मी. एवं लालाब 1 कि.मी. दूर है।
 - * परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिभित में ओर्तर्फ्लोय सीमा, राष्ट्रीय उत्तान अधिकारण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित विलिंकली पील्युटेक एवं पारिवेत्तिकीय रावेदवालील ढोड या चोमिल जीवविविष्टा क्षेत्र लिखा नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
5. सेष्ट एरिया स्टेटमेंट - सेष्ट एरिया क्षेटमेंट की रूपरूप इति भवाया जाना आवश्यक है।
6. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यक्रमाय का विवरण निम्नानुसार है—
- पूर्व में जली पर्यावरणीय नवीकृति दिनांक 04 / 03 / 2021 के अनुसार —
- | First Phase | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| Product | Facility | Existing Capacity (TPA) | After Expansion Capacity (TPA) |
| MS
Ingot/Billets | Induction Furnace and
CCM | 9,000 | - |
| Re-rolled
steel
product | New Re-rolling mill
connected to existing
Billet Reheating | - | 36,800 |

	Furnace		
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000
	Total Re-rolled steel product	57,300	
Second Phase			
Product	Facility	Existing Capacity (TPA)	After Expansion Capacity (TPA)
MS Ingots/Billets or Re-rolled product through hot charging	Induction Furnace and CCM (MS Billets)	9,000	38,640
	Or		
	Re-rolling mill with hot charging of semi-finished steel i.e. Hot MS Billet	-	36,800
Re-rolled steel product through BRF	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000

प्रस्तावित कार्यक्रम दृष्टिकोण :-

Unit	Product	After Expansion Capacity (TPA)	Total capacity (TPA)
Induction furnace	MS Ingots/Billets	1,33,000	1,33,000
Rolling mill	Re-rolled product through hot charging	1,06,000	2,49,000
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	1,44,000	
Pipe Fabrication Unit	MS pipe	1,20,000	1,20,000

7. मालीनियत :-

Material Balance (in TPA)			
For Induction furnace with hot charging mill			
Input		Output	
Sponge Iron	1,36,586	MS Billet and/or Hot Rolled TMT	1,05,000
CI / Pig Iron Heavy Scrap	30,625	Cold billet not possible to re-rolled	25,000
Ferro Alloys & Aluminium	1,897	Defective billets	4,200
Ramming mass and Refractory lining	350	Mill Scale from IF and CCM	2,800
		Slag	24,761
		Refractory Waste	175
		LOI	4,322
Total	1,69,258	Total	1,69,258
For Fuel Fired Rolling Mill			
Input		Output	
MS billet from	1,23,579	Re-rolled steel product	1,44,000

internal and market			
MS billet from internal	28,000	Mill Scale	3,600
Coal	17,280	Miss roll/end cutting	3,979
		Ash	1,728
		LOI	16,582
Total	1,68,869	Total	1,68,869
For Pipe Fabrication Unit (In TPA)			
Input		Output	
Steel strips from self	1,24,800	MS pipe	1,20,000
Welding electrodes required for pipe welding	200	Scrap from pipe mill	5,000
Total	1,25,000	Total	1,25,000

a. यांत्र प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – समता विस्तार उपरोक्त इनहेशन चैर्निस के साथ ही, सीएम. एं यांत्र प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेच फिल्टर मिल सीट्रल रूट वर्क्स विस्तार में एवं विभिन्न की दीवाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है तथा कील ग्रीनफायर री-डिटिंग चैर्निस आवारित सेलिंग मिल में यांत्र प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेच रूट वर्क्स एवं विभिन्न की दीवाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। समता विस्तार उपरोक्त इनहेशन चैर्निस एवं सेलिंग मिल से पाइंक्यूलेट गेटर का उत्तरार्द्ध 30 मिलिमीटर/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रतुषिटिंग रूट रूटार्जिन नियंत्रण हेतु जल डिफ़ॉवर की व्यवस्था की जाती है।

b. दोस्रा कार्बोरेट अपवहन व्यवस्था –

S.No	Item	Qty (TPA)	Disposal
1.	Defective Billets	4,200	Will be partially used in own induction furnace and remaining will be sold to re-rolling mills.
2.	Slag	24,761	Will be internally used for metal recovery or given to metal recovery units.
3.	Refractory Waste	175	Will be given to authorized recyclers.
4.	Mill Scale	8,400	Will be sold to ferro alloys/Pellet plant etc.
5.	Miss Rolls/End cutting	3,979	Will be reused in own induction furnace.
6.	Coal Ash	1,728	Will be given to brick manufacturer and for road making and plinth filling.
7.	MS Scrap From Pipe mill	5,000	Will be internally re-used remaining will be sold to other units.

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल संकट एवं स्थोल – वर्तमान में कौरियोजना हेतु 61 घनमीटर प्रतिदिन (परेशु उपयोग हेतु 9 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 45 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के परबाट परियोजना हेतु 180 घनमीटर प्रतिदिन (परेशु उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 170 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड बीटर अधीसिटी से 90 घनमीटर इत्तिहासिक भी अनुमति प्राप्त की गई है। ऐसे जल की आपूर्ति हेतु भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - भू-जल उपयोग इकायन – उद्योग संकट सेन्ट्रल ग्राउण्ड बाटर बोर्ड के अनुसार सभी लिंगिकल जीव में आता है। जिसके अनुसार-
 - (अ) यहां एवं वहां उद्योगी की कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्वाप्त एवं पुनरुपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड बाटर रिचार्ज हेतु अवगाई गई जलनीक जल ऐनवाटर हार्डिंग / औटिलिशियल जल रिचार्ज के अधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड बाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने वाले प्राक्कान हैं। उद्योग की ऐनवाटर हार्डिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
 - जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रतिनिधि से दूषित जल उपचल होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरोक्त प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनर्कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रतिनिधि से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनर्कुलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में परेशु दूषित जल के उपचार हेतु सोलिक टैक एवं लोकप्रिय नियोग किया गया है। शून्य नियन्त्रण की किसी भी जाहाजी।
 - रेन बीटर हार्डिंग व्यवस्था – उद्योग परिसर में वर्षीय जल का कुल रनऑफ 18.641 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन बीटर हार्डिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नम रिचार्ज बैल (थायां 1 बीटर एवं बहराई 3 बीटर) एवं 2 नम रिचार्ज पिट (3 बीटर बहराई, 2 बीटर बीड़ाई, 2 बीटर बहराई) नियमित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन बीटर हार्डिंग व्यवस्था परबाट परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रोक्सर्स इस प्रकार नियमित किए जाएंगे कि इनमें वर्तमान जल में वर्षीय जल का बहाव ही सके।
11. विद्युत आपूर्ति रखोल – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु 15 मेनुओट विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति ग्रामीणकालीन राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु भी जी. सीट रूपायित किया जाएगा। जी.जी. सीट को एकीकिटकर्त्ता इवलीजर में क्षमायित किया जाएगा। वर्तमान में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है।
12. वृक्षारोपण संबंधी ज्ञानकारी – इसी चिट्ठिका के विकास हेतु कुल शेषजल के 0.82 हेक्टेयर (34 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 0.668 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। छिंटीय चरम में ऐसे 0.15 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण की दौरान बताया गया है कि ईआईए टीपार किये जाने हेतु बेसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक किया गया। लासमय बेसलाइन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा विचार किए उशरात सर्वसम्मति से प्रकरण चैंपिटेंगरी का होने की कारण भारत सरकार, परिवर्त्य, बन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकल्पित रटेलर्ड टमरी औफ रिफरेंस (टीओआर) पौर ईआईए./ईएम.पी. रिपोर्ट पौर प्रोजेक्टद्वारा एकटीरिटीव रिलायंसिंग इन्डियलोट कर्लीयरेस अफर ईआईए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्तित खेती 3(ए) का कटौतरी टीओआर (लोक सुभवाई सहित) नेटालसिंकल इण्हलटीज (फेरस एण्ड नीन-फेरस) हेतु मिल आलीरिका टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई।

- i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- iii. Project proponent shall submit the existing and proposed layout plan with KML file.
- iv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation (for existing & proposed).
- v. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall submit NOC from competent authority for usage of water (for after expansion quantity).
- viii. Project proponent shall submit existing and proposed land area statement.
- ix. Project proponent shall submit details of coal consumption in per ton of products.
- x. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.
- xi. Project proponent shall submit the Environmental audit report.
- xii. Project proponent shall submit the action plan for energy conservation.
- xiii. Project proponent shall submit the details of plantation / greenbelt in the EIA report along with detailed information (Size, species, number, width etc).
- xiv. Project proponent shall submit details of Traffic Impact Study Report (for existing & proposed plan).
- xv. Project proponent shall submit the detailed Social Impact Study Report.
- xvi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

- xvi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xvii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xviii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xix. Project proponent shall submit an action plan to mitigate the impact of CO₂ emission from the plant operation, the measures undertaken in the process and by the manufacture to minimize fossil fuels. Consumption and optimize combustion, the project proponent shall submit a study report on the decarbonization programme which would essentially consists of company's carbon emission, carbon budgeting/carbon balancing, carbon sequestration activities & carbon off setting strategies. Further, the report shall also contain time bound action plan to reduce its carbon intensity of its operation & supply chain, energy transition pathway from fossil fuel to renewable energy etc. All these activities / assessment should be measurable & monitorable with the define time frame, when project proponent comes for EC proposal these studies shall be formulated keeping in view India's Net Zero commitment at the COP26 Climate Summit.
- xxi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xxii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xxiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर जापिकरण की दिनांक 19 / 10 / 2022 की संघर्षन 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किए हुए समसांग सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलपान विभागों में जलवा, गवा राष्ट्रीय खट्टा नगर से ज्ञात किया जावे। साथ ही अनुशासित अतिरिक्त टी.ओ.आर. गर्त के बिन्दु अन्तर्गत 1 के नियमकरण हेतु पूर्ण अनिमत अनुशासा सुझाइ प्रेषित किया जावे।

उपरोक्त शब्दों के परिषेद में परीक्षण समरात उपयुक्त अनुसंधा किये जाने हेतु प्रकरण को एसडीएसी, छत्तीसगढ़ के सभा प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

(३) समिति की 447वीं बैठक दिनांक 13 / 01 / 2023:

समिति द्वारा नक्ती, प्रस्तुत जानकारी का जलवायिकन एवं परीक्षण करने से बर चाहा गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 13/01/2023 द्वारा पूर्ण हो जानी पर्यावरणीय एकीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार शही क्रमांक 6 (v), 8(i), 8(ii), 8(iii), 9 (iv), 10 (v), 10 (vi), 10 (vii), का अपूर्ण पालन एवं शही क्रमांक 9 (v), उन आंशिक पालन किया जाना बताया गया है। समिति का भल है कि उक्त शही के अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन को पूर्ण कर इंडिए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विषयी उपरोक्त सर्वेसम्मिति से समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022 को किये गये अनुसंदेश के आधार पर टी.ओ.आर शही विषये ज्ञाने की अनुसंदेश की गई। पूर्व में अनुसंदेश टी.ओ.आर के अंतिरिक्त टी.ओ.आर के विष्यु छानांक (i) को विस्तोरित करनी हुये एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर से द्वारा प्रतिवेदन में शही के अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन के परिवेद्य में वलोंगर रिपोर्ट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए की शही के साथ पूर्ण में निर्धारित किये गये अन्य शही यथावत् रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 को संवाद 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नक्ती का जलवायिकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन में शही के अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन किये जाने का लेख है। इस संबंध में प्राधिकरण का भल है कि उक्त अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन शही का पालन पूर्ण करकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विषयी उपरोक्त सर्वेसम्मिति से उपरोक्त उभयों के वरिवेद्य में परीक्षण उपरोक्त अनुसंदेश किये जाने हेतु प्रकरण की इस ई.ए.सी., उत्तीर्णगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

(स) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

समिति द्वारा नक्ती, प्रस्तुत जानकारी का जलवायिकन एवं परीक्षण करने से बर चाहा गया कि उक्त अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन शही का पालन पूर्ण करने के संकेत में परिवर्तन करना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/03/2023 को मालयम से प्रस्तुत जानकारी/दस्तखतेज में कहाया गया कि उद्घोग द्वारा किये गये एकान्न टेकन रिपोर्ट भी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर को प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना का आ. रु.1(अ), दिनांक 12/03/2020 एवं परिपत्र (Circular) दिनांक 08/08/2022 के अनुसार कर्यालय उद्घोग को कमता विचार हेतु त्वरित टी.ओ.आर जारी करने का प्रारम्भन है।

साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 08/08/2022 अनुसार “At the time of issuance of expansion ToR, the MoS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall

approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same.” का उल्लेख है। रायगुंजुसार ही समिति द्वारा पूर्व में स्टैफ्फर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया था। समिति का यह भी बता है कि यह अपनी चलन एवं आधिक पालन शर्तों के पालनार्थी एवं चलन टेक्निकल रिपोर्ट (ATR) को एसईआईएए. छ.ग. में जान किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त अधिसूचना, परिपेक्ष (Circular) एवं ओडम के परिपेक्ष में समिति द्वारा विचार दिनहीं उपरोक्त नार्कसमिति से पूर्व में समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022 में यह अई अनुशासन के अधार पर स्टैफ्फर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने वही अनुशासन की यही भी एवं अपनी पालन एवं आधिक पालन शर्तों के पालनार्थी एवं चलन टेक्निकल रिपोर्ट (ATR) को एसईआईएए. छ.ग. में अवश्यक रूप से जान किये जाने की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकाशण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/08/2023 को संवेदन 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार दिनहीं उपरोक्त नार्कसमिति से समिति की अनुशासन की स्वीकार करते हुये शिख उत्तरिका शर्तों की अवीन टम्सी ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने निर्णय लिया गया—

“Project proponent shall submit Action Taken Report (ATR) at the time of final EIA presentation.”

परिवेशना प्रस्तावना की सातह टम्सी ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

11. मेसर्स ईंट विल्स अर्केक्ट क्यारी माइनिंग ब्रोडेक्ट एवं विवरणी विक एंटर्प्राइज (प्रे.—सी. पीयरसन एंडोफर), शाम—झेर तहसील व ज़िला—गढ़गढ़गुंद (समिवालय या नस्ती क्रमांक 1612)

अीनलाईन आवेदन — पूर्व में प्रपोज़िल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 61881/2021, दिनांक 16/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। इसीमें प्रपोज़िल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 419665/2023, दिनांक 26/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित गिट्टी उत्तरानन (गीण खानिज) खादान एवं विवरणी ईंट उत्पादन इकाई है। खादान शाम—झेर, तहसील व ज़िला—गढ़गढ़गुंद विवरणी उत्तरानन क्रमांक 3615, 3618, 3649, 3650, 3651, 3652, 3658, 3661, 3662, 3663, 3722/1, 3664/1, 3664/2, 3666, 3722/2, एवं 3723, कुल सेक्षणल — 6.93 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खादान की आवेदित उत्तरानन क्षमता — 6.102 प्रामीटर प्रतिकर्त्ता है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 883, दिनांक 28/04/2021 द्वारा प्रकाशन 'बी' बोर्डरी का होने के कारण भाला सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बोर्डलय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैफर्ड हमी ओफ रिफरेंस (टीओआर) कोर इ.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट कोर ग्रोउथक्स/एलटीपीटीज रिफरामरिंग इन्डस्ट्रीज एंड एक्स्पोर्ट फैसिलिटीज अफर इ.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित खंडी 1(ए) का स्टैफर्ड टीओआर (सोक सुनवाई महिला) जारी किया गया है।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रकृतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि सुपरिषद नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं चर्चाया करने पर याद गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन लिये जाने के द्वितीय त्रुटि होने के कारण, आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विभांग संबंधानमति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन की फि-सिस्ट / मिस्सन लिये जाने की अनुशंसा की गई तथा इ.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए उत्तराधिन संबंधी तथ्यों का समावेश करते हुये पुनर्जावेदन करने की स्वीकृता की गई।

प्राक्षिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकाशन पर प्राक्षिकरण की दिनांक 07/08/2023 को संघर्ष 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राक्षिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राक्षिकरण द्वारा विचार विभांग संबंधानमति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को फि-सिस्ट / मिस्सन करने का निर्णय लिया गया। याच ही प्रस्ताव को कर्तव्यान्वयन में प्राप्त प्राक्षय में यथावत् फि-सिस्ट / मिस्सन किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भाला सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बोर्डलय द्वारा जारी इ.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समत-समय पर जारी गाईबलाईन्स की अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उदानुसार सूचित किया जाए।

12. नेहरी साल्हेमाला विकास अधीक्षे कारो न्यूशिंग ग्रोवेल एन्ड किया विमनी विकास एन्ड ग्रोवेल (प्रौ.- ली बुजालाल दीवान), शाम-साल्हेमाला, ताहसील व जिला-महाराष्ट्र (वायिवालय का नस्ती क्रमांक 1408)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीती/ एमआईए/ 61861/2021, दिनांक 16/03/2021 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीती/ एमआईए/ 419825/2023, दिनांक 28/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय बोर्डलय प्राप्त करने के लिए आईन इ.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्तराधिन (नीति विभाग) द्वारा एवं विकास विमनी हैट उत्पादन इकाई है। वाहन शाम-साल्हेमाला, ताहसील एवं जिला-महाराष्ट्र

प्रिया शर्मा कामाक 158/1, 158/2, 158/3, 159, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 198, 201, 202, 203, 204 एवं 205, बुल लैनफ्लॉट-536 इंडोर में प्रस्तुतिंत है। अदान की आवेदित मिट्टी उत्तराखण्ड कामा - 5,102 घणमीटर (51,02,000 नग ईड) प्रतिवर्ष है।

बूँद में एसईएसी, भलीसगढ के जापन कामाक 659 दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकल्प "B1" के टेंयरी का होने के कारण भाल शर्कार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रिल 2016 में प्रकाशित स्टैफ्फर्ड टम्स ऑफ लिफरेस (टीसीआर) कीर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट कीर फ्लॉरेंटस/एक्टोडिलीज रिकार्परिंग इन्वायरनेंट गलीयरेस अपहर है.एई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित थेपी 1(ए) का स्टैफ्फर्ड टीसीआर (लोक सुनवाई समिति) जारी किया गया है।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, भलीसगढ के जापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 45वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का उल्लंघन एवं परिवर्तन बताने पर यादा किया गया कि परियोजना प्रस्तावक के बत दिनांक 18/04/2023 द्वारा शुरू की गयी है कि औनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान त्रुटि होने के कारण, आवेदन को जापन लिखे जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विषय संवर्तन समिति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को कि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुसारा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए उल्लंघन गंभीर तथा का सन्दर्भ करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुसारा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा गली/जानकारी/इकाई का उल्लंघन विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विषय संवर्तन समिति की अनुसारा को स्वीकार करते हुये आवेदन को कि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। सभी ही प्रस्ताव को दर्शान में प्राप्त इसमें विचार कि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भाल शर्कार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिनूसना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाइडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उदानुसार सूचित किया जाए।

13. बैतारी महानीर कोल सीधीज प्रॉफेट लिमिटेड, गान-मेलाई (मुमिं-1), लालसील-बलीदा, जिला-जापानी-चांपा (संकिळित रूप से नस्ती कामाक 2319)

बैतारी महानीर आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ सीएमआईए/ 420038 / 2023, दिनांक 26 / 02 / 2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह शमता विस्तार का प्रकरण है। शाम-भेलाई (शुमिट-1), तहसील-बलीदा, जिला-जाहांगीर जांच स्थित शमता क्रमांक 157/1, 158/3, 160, 161, 162/1 शामिल 163, 162/2, 162/3, 164/1, 165/1, 165/2, 178, 180, 180/1, 180/2, 184, 176, 182, 175 एवं 179, कुल क्षेत्रफल-15.13 एकड़ (8.125 हेक्टेगड़) में संचालित कोल बीसारी शमता-0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। शमता विस्तार उपरान्त परियोजना का विभिन्नीय रूपये 17 करोड़ (वर्तमान में 11.5 करोड़ रुपा शमता विस्तार हेतु 5.5 करोड़) होगी।

तायानुसार परियोजना प्रस्तावक को एक ही रुपीय छलीसगढ़ के जापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैतक का विवरण –

(अ) शमिति की 45वीं वैतक दिनांक 10/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु ची संदीप कुमार बर्द्दा, जनरल मैनेजर उपस्थित हुए। शमिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलीकृत एवं वरीष्या तर्फे पर निम्न शिखित पाइ गई-

1. घूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण–

- एक ही आई.ए.ए. छलीसगढ़ के जापन क्रमांक 400, विवाक 27/11/2009 द्वारा मेसर्टी महादीर बोल बीसारी प्राइवेट लिमिटेड, शाम-भेलाई तहसील ब जिला-जाहांगीर जांच, कुल क्षेत्रफल - 8.125 हेक्टेगड़ (15.13 एकड़) में प्रस्तावित कोल बीसारी शमता- 0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष (200 TPH) हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, गांव सरकार, पर्यावरण एवं जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायनुर अटल नगर द्वारा कोल बीसारी शमता- 0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पति नवीनीकरण दिनांक 01/06/2019 की जारी की गई, जो दिनांक 30/04/2024 तक की आधि हेतु रहा।

2. जल एवं वायु स्थानना सम्पति –

- छलीसगढ़ पर्यावरण संबंध भंडल, नवा रायनुर अटल नगर द्वारा कोल बीसारी शमता- 0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पति नवीनीकरण दिनांक 01/06/2019 की जारी की गई, जो दिनांक 30/04/2024 तक की आधि हेतु रहा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बर्तनान में स्थापित इकाईयों हेतु छलीसगढ़ पर्यावरण संबंध भंडल द्वारा जारी सम्पति रत्ती के बाजनार्थ की जार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। शमिति का तर है कि विन्दुवार में स्थापित इकाईयों हेतु छलीसगढ़ पर्यावरण संबंध भंडल द्वारा जारी सम्पति रत्ती के बाजनान में की नहीं कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी छलीसगढ़ पर्यावरण संबंध भंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल बीसारी शमता-0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु कार्य शमय (Working Hours) 8 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे किया जाएगा।

3. निकटतम शिखित कियाकलापी संबंधी जानकारी –

- निकटतम आवासी भेलपुरी 900 मीटर, असफलता क्षेत्रोंदा 2.6 किमी, एवं रेलवे स्टेशन अकलतरा 1.3 किमी. की दूरी पर किया है। बड़लगाड़ा इकाई अद्यता विद्युतसंचर 44 किमी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किमी. दूर है। हस्तेज नदी 20 किमी. दूर है।
 - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय राष्ट्रान, अभयासम्पूर्ण तेंदीय इन्डूस्यू नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिट्रिक्टी पील्यूटेल थोर, पार्सिरिवलिंगीय सेवेननहीन थोर या घोषित वैयविधिगत होने परिधि नहीं होना प्रतिबोधित किया है।
4. याम पंचायत का अनापहित प्रमाण पत्र – परियोजना स्थापना के संबंध में याम पंचायत का अनापहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 5. चू-स्कॉपिंग – चूपि महादीर कोल वीश्वीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम चर है।
 6. लेप्ट एरिया रेटटेल – कुल क्षेत्रफल 15.13 एकड़ (8.123 हेक्टेयर) है, जिसमें वीश्वी प्लांट का क्षेत्रफल 1.48 एकड़ (9.68 प्रतिशत), री-कोल, स्टीक यार्ड, ब्लॉन कोल एवं रिकेल्डा का क्षेत्रफल 2.79 एकड़ (18.42 प्रतिशत), अन्य व्हीश्वीली का क्षेत्रफल 4.07 एकड़ (26.9 प्रतिशत), बेल्ट चूपि 1.82 एकड़ (12 प्रतिशत) एवं चीन बेल्ट का क्षेत्रफल 4.89 एकड़ (33 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। समिति का बत है कि चीन बेल्ट का क्षेत्रफल 50 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है।
 7. री-गटेशियल – री-कोल 2.46 निलियन टन प्रतिवर्ष सुपर्योग किया जाएगा। याहु बोल 1.966 निलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिकेल्डा कोल 0.436 निलियन टन प्रतिवर्ष सुपर्यन्त होंगा। री-कोल इसईनीएल के निकटतम आवासी गेवार, दिपवार एवं चूपामुण्डा से आपूर्ति किया जाएगा। आवासी से वीश्वी तक री-कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वीश्वी से यार्ड कोल का 30 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों एवं 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिकेल्डा का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।
 8. यानु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – कोल अवास इकाई, रीटरी इकाए एवं ब्लॉन हाफ्टा में ब्लॉट एक्सट्रैक्टर नियंत्रण के सब्द बैग किल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्हौयर ब्लॉटर एवं जावान इकाई इकाए अतिरिक्त बैग किल्टर से संलग्न कर किमीनी से जौहा जाना प्रस्तावित है। परिसर के आरो और 3 मीटर ऊंची बातुपूर्वी बोल का निर्माण एवं ऐन गन के साथ ऊंची बक्कीन स्थापित की जाएगी। सब ही ब्लॉट बायोहॉन / पक्किंगिटिंग ब्लॉट चलायीन के नियंत्रण हेतु जल किल्टाव छी व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।
 9. लोस अपसिष्ट अपवहन व्यवस्था – वीश्वी रिकेल्डा लगभग 0.486 निलियन टन प्रतिवर्ष सुपर्यन्त होंगा। कोल आवासी से उत्पन्न नियंत्रण को कर्कींठ ट्रकों के माध्यम से इंट किमीन इकाई अथवा आस-पास प्लांटी अथवा अन्य उद्योगी की इंजन के सम में उपलोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
 10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- याल स्थान स्वेच्छा - परियोजना के प्रारंभिक दौर में यह टाईन 9,882 घनमीटर जल की आवश्यकता होगी। तदोपरांत परियोजना हेतु गरेलू उपर्योग एवं युक्तारोपण हेतु 56 घनमीटर प्रतिदिन, कहत संप्रेषण हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं बीजीय हेतु 9,800 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। बीजीय ही घनपूर्ण दूषित जल 9,452 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पीप्पल एवं बेल्ट प्रेस से उपचार उपरांत पुनः उपर्योग किया जाएगा, जिससे कि फेश बीटर 450 घनमीटर प्रतिदिन (पिरेलू उपर्योग एवं युक्तारोपण हेतु 66 घनमीटर प्रतिदिन, कहत संप्रेषण हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं बीजीय हेतु 348 घनमीटर प्रतिदिन) याल की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति भू-याल से ही जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राहण बीटर अधीरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 26/06/2018 से 26/06/2023 तक अनुमति प्राप्त की गई है। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राहण बीटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- याल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - हीडी भाइया साधारणीन आवासिक गेट कोल बीजीय स्थापित किया जाएगा। बल्डोइल लूप बीटर शिवटग व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु विकार, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पीप्पल की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औदौर्ध्व इक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपर्योक्त अनुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, कहत संप्रेषण में उत्ता परिसर के भीतर युक्तारोपण में उपर्योग किया जाना प्रस्तावित है। शरेलू दूषित जल के उपचार हेतु ग्रीष्म ट्रिटमेंट प्लाट कागता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की किया रखी जाएगी। शून्य निस्पारण की किया रखी जाएगी।
- भू-याल उपर्योग प्रबंधन - परियोजना वाले बीटल ग्राहण बाटर बीड़ की अनुसार सेह जोन में आता है। जिसके अनुसार-
 - (अ) वृहद एवं अत्यधि उद्धोगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्उत्तमण एवं पुनरुपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राहण बाटर रिचार्ज हेतु अवगाह नहीं ताकीक वज्ञा ऐनवाटर हार्डिस्टेंग / और्टफिलिप्स जल रिचार्ज के अन्तर पर भू-याल निकाले जाने की अनुमति बीटल ग्राहण बाटर बीड़ द्वारा दिये जाने का प्राक्षयान है। अतः उद्धोग को ऐनवाटर हार्डिस्टेंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- 11. ऐन बीटर हार्डिस्टेंग व्यवस्था - ऐन बीटर हार्डिस्टेंग व्यवस्था की विभूत विकार/जागकारी काईनल इ-आईए रियर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
- 12. विद्युत स्थान एवं स्त्रोत - परियोजना हेतु 1,500 के लाई ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छल्लीसाढ़ी साल्व विद्युत विभाग कंपनी से ही जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के लाई ए. सेट क्षमापित किया जाएगा।
- 13. युक्तारोपण की किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना व्यवस्थाक द्वारा युक्त शीजफल में से 4.99 एकड़ (33 प्रतिशत) में 610 नग प्रति एकड़ बीड़ का विकास किया जाना प्रस्तावित है। यारी तरफ कम से कम 20 बीटर बीड़ में हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। समिलि यह यह है कि उद्धोग परिसर में

यूआरोपन के लोकपल में बढ़ि बारहौ तुम्हे 50 प्रतिशत कर संसाधित लै—आपट प्लान के एच.एल. पर्कर्सन सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2022 से दिनांक 15/01/2023 तक किया गया। उक्त का संबंध में दिनांक 29/09/2022 को सूचना दी गई थी।

स्थिति द्वारा दिक्षाद दिग्भाती संपर्कल सार्वभावित से प्रकाशन की—1 कोटीगढ़ी का होगे के कामप माना सुरक्षार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नियालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रवालीता स्टैण्डर्ड टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर इंडिएट/इंडमीट रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स /एक्टीविटीज रिक्वारिंग इन्वायर्मेंट वलीयरेस अम्भर इआईए नोटिफिकेशन, 2006 में चारिंग बिली 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल बीशी कमता—0.66 मिलिमीटर टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.46 मिलिमीटर टन प्रतिवर्ष के ट टाईप होते जाने की अनुसंधान निम्न अंतिरिक्त टीओआर के साथ की गई—

- I. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- II. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- III. Project Proponent shall submit gram panchayat NOC for establishment of coal washery.
- IV. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- V. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water (for expansion quantity).
- VI. Project proponent shall submit proposal for 50% greenbelt area of total land area.
- VII. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.
- VIII. Project proponent shall submit road route alongwith map of transportation of coal.
- IX. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report (for existing & proposed).
- X. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- XI. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition (for existing & proposed).
- XII. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation (for existing & proposed).
- XIII. Project proponent shall carryout Social Impact Assessment & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.

- xiv. Project proponent shall carry out Impact Assessment Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xviii. Project proponent shall submit the layout plan with KML file of 50% of the total area for plantation and earmarking atleast 20 meter wide green belt all along the periphery of the project area. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details of latitude & longitude alongwith photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरीका प्रकाश पर प्राधिकरण की दिनांक 07 / 09 / 2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा विभाजित समस्त संसदीय संस्थानों की अनुबंधता को स्वीकार करते हुए उपरीकान्युसार उसी दीपि रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक गुनवार्ड सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को उसी ओफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक गुनवार्ड सहित) जारी किया जाए।

14. मेसनी महावीर कौल वीश्वीय प्राइवेट लिमिटेड, घास-बैलमुखी एवं सकरी, तहसील-तखातपुर, जिला-विलासपुर (विविचालय का नम्रता अन्वयं 2320)
ऑनलाइन आवेदन — प्रवोजल नम्बर — एसआई/ सीजी/ सीएनआईएन/ 420126 / 2023, दिनांक 27 / 02 / 2023 द्वारा टी.ओ.आर द्वारा आवेदन किया गया है।
प्रस्ताव का विवरण — यह कागजी विकार का प्रबन्ध है। घास-बैलमुखी एवं सकरी, तहसील-तखातपुर, जिला-विलासपुर फ़िल खाली अन्वयं 91 / 1, 92 (जामिल 93), 94 (जामिल 95), 96, 89 / 1, 89 / 2, 87 (जामिल 88), 80 (विटाकिन नम्रता 90 / 3 एवं 90 / 2), 102 / 5, 102 / 1, 102 / 3, 85 / 20, 86 / 21, 85 / 2, 85 / 5, 786, 788 / 2, 783 / 2, 783 / 3, 793, 794, 789 / 1, 788 / 3 एवं 2 / 2, कुल क्षेत्रफल—19.82 एकड़ (8.02 हेक्टेयर) में संचालित कौल वीश्वीय शमला—0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष

से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। शम्भा विस्तार संघरण परियोजना का विनियोग रूपये 14.5 करोड़ (वर्षीयान में 11.5 करोड़ तथा शम्भा विस्तार 3 करोड़) होगी।

तदानुसार परियोजना प्रकल्पक को एसईएसी, उत्तरीसागढ़ के द्वापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनित किया गया।

वैशक बता विवरण –

(१) समिति की ५५वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप कुमार चाहा, जनरल मैनेजर उपसचिव हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन करने पर गिरा खिली पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— एसईआईएस, उत्तरीसागढ़ के द्वापन दिनांक 199, दिनांक 20/11/2012 द्वारा मेसर्च इंस्पायर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, शाम-बैलमुखी एवं सकर्मा, राहसील-तालापुर, जिला-विलासपुर, कुल वीडफल-५.०२ हेक्टेयर (19.82 एकड़) में प्रकल्पित कोल वीडी शम्भा-०.९५ मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। रायपरवाना एसईआईएस, उत्तरीसागढ़ के द्वापन दिनांक ७४०, दिनांक ०८/०८/२०१६ द्वारा मेसर्च महावीर कोल वीडीज इंफ्राप्राइवेट लिमिटेड, शाम-बैलमुखी एवं सकर्मा, राहसील-तालापुर, जिला-विलासपुर के नाम पर हस्तांतरित की गई।
- परियोजना प्रकल्पक द्वारा एकीकृत कोर्टीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलव्यापु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर आटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- अब एवं बायु स्थानका सम्मति—
 - उत्तरीसागढ़ पर्यावरण संबंधी नहाल, नवा रायपुर आटल नगर द्वारा कोल वीडी शम्भा-०.९५ मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं बायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक ०५/१२/२०२० की जारी की गई, जिसकी सम्मति नवीनीकरण दिनांक ३१/१२/२०२५ तक है।
 - परियोजना प्रकल्पक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तरीसागढ़ पर्यावरण संबंधी नहाल द्वारा जारी सम्मति जाती के पालनवाली की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का यह है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तरीसागढ़ पर्यावरण संबंधी नहाल द्वारा जारी सम्मति जाती के पालन में यह नई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी उत्तरीसागढ़ पर्यावरण संबंधी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - परियोजना प्रकल्पक द्वारा बताया गया कि कोल वीडी शम्भा-०.९५ मिलियन टन प्रतिवर्ष से २.४८ मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु कार्य वर्ष (Working Hours) ६ घंटे से बड़ावान ३० घंटे किया जाएगा।

4. निकटतम विकासकार्यों संबंधी जानकारी—

- निकटतम आवासी बेलडुडी 1.5 किमी, निकटतम राहर विलासपुर 10 किमी, एवं ऐस्टर्डे फॉल्स विलासपुर 16 किमी की दूरी पर स्थित है। अगलातल विलासपुर 10 किमी, चक्रमाला हवाई अड्डा विलासपुर 12 किमी दूर है। शहरीय राजमार्ग 1.5 किमी दूर है। भविष्यती नदी 2.7 किमी दूर है।
 - परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर का द्वाता 10 किमी, जो परिवहन में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अधिकारीय प्रदूषण नियंत्रण कोड़े द्वारा घोषित किटिकली पील्युटेल कोड़े, पारिवहनिकीय सावेदनशील कोड़े या घोषित रोडविधिका कोड़े स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
5. शाम पंचायत का अन्वयिता इमारत पक्का – चरिशोजना स्थापना को संबंध में शाम पंचायत का अन्वयिता इमारत पक्का प्रचलित किया जाना आवश्यक है।
6. बू-स्वामील - भूमि नहावीर कोल बीकारीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है।

7. लेख एवं रिपोर्ट संटोषीत -

S.No.	Land Use	Area (in Acre)	Area (%)
1	Washery Plant	2.36	12.01
2	Raw coal, Stock yard, Clean coal & Rejects	5.55	29.00
3	Other Facilities (Internal road, staff Ctr, WTP, Rain water harvesting etc.)	3.95	19.98
4	Green belt development / Plantation	8.55	33.05
5	Vacant land	1.38	06.96
Total		19.82	100.00

8. री-मट्टेरिकल – री-कोल 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपलब्ध किया जाएगा। राहुल कोल 1.984 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपलब्ध होता। री-कोल एक्स्प्रेसोहन के निकटतम खादनों गेवना, दियका एवं कुसमुन्हा से आयुर्वि किया जाएगा। खदान से बीकारी तक री-कोल का परिवहन सड़क मार्ग से दोनों हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। बीकारी से वाहन कोल का 30 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग से दोनों हुये वाहनों एवं 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से दोनों हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।
9. बायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – कोल छत्तर हवाई, सोलरी ब्रेकर एवं स्लीन हार्ड्स में रस्ट एवं स्ट्रॉकहान शिल्पों के साथ बैग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कान्फ्रेंट बैल्ट्स एवं जैवशान चार्ट्स को दूका जाकर अतिरिक्त बैग फिल्टर से संलग्न कर गिरनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के बारों और 3 मीटर ऊँची बाल्डुडी बील का निर्माण एवं ऐन गन के साथ ही ही कठीन स्थापित की जाएगी। साथ ही रस्ट सप्रेशन / पर्युजितिय रस्ट उत्तराखण को निरंतरण हेतु यस शिल्पकार की व्यवस्था किया जाना प्रवलालीत है।

10. लोहा अवलोकन व्यवस्था – बीजिंग रिजेक्टस लगभग 0.486 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होता। लोह वाहनी से उत्पन्न रिजेक्टस को कम्हूच द्वारा के न्यूयर्क से ईट निर्माण इकाई आम-पास यात्रा प्लांटों अथवा अन्य उद्योगों को ईच्छन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

11. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल व्यवस्था एवं बड़ोता – परियोजना के ज्ञानिक दौर में कम टाईन 9,882 घनमीटर जल की आवश्यकता होती। तदोपरांत परियोजना हेतु चरेलू उपयोग एवं बृक्षारोपण हेतु 56 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट संप्रेषण हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं बीजिंग हेतु 9,800 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती। बीजिंग से उत्पन्न दूषित जल 9,882 घनमीटर प्रतिदिन को सीटालिंग बीच्छ एवं बैलू ब्रेस से उपचार उपर्यात पुरा उपयोग किया जाएगा, जिससे कि फेल बैटर 410 घनमीटर प्रतिदिन (चरेलू उपयोग एवं बृक्षारोपण हेतु 56 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट संप्रेषण हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं बीजिंग हेतु 348 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती, जिसकी आपूर्ति भू-जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल प्राचुर्य केंद्र अवॉरिटी ने 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 08 / 12 / 2019 से 07 / 12 / 2022 तक दी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल प्राचुर्य केंद्र अवॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – हीवी ग्रीडिंग साथस्लीन आवश्यकता बैट कोल बीजिंग लक्षित किया जाएगा। बहीज्ह लूप बैटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रतिनदी से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु लिक्नर, बैलू ब्रेस एवं सीटालिंग बीच्छ की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपर्यात पुनः प्रक्रिया में, डस्ट संप्रेषण में जाना परिवर्त द्वारा उपरोक्त उपचार में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। चरेलू दूषित जल के उपचार हेतु लीकेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्तारण की शिखिति रखी जाएगी।
- भू-जल उपयोग प्रबंधन – परियोजना स्थल सेंट्रल प्राचुर्य काटर बैर्ड के अनुसार सेमी लिट्रीजल जीन में आता है। जिसके अनुसार—
 - (अ) बृहद एवं नम्बर उद्योगों वाले कम से कम 50 प्रतिलल दूषित जल का पुनःउत्पादन एवं पुनरुत्पादन किया जाना है।
 - (ब) शाढ़ी वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई लक्षनीक यथा रेनवाटर हार्डिंग / बीटिंगिशियल जल रिचार्ज के आवार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल शाढ़ी वाटर बैर्ड द्वारा दिये जाने का प्राक्कान था। उद्योग को रेनवाटर हार्डिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- 12. रेन बैटर हार्डिंग व्यवस्था – रेन बैटर हार्डिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईल ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
- 13. विद्युत व्यवस्था एवं स्वील – परियोजना हेतु 1,500 कोर्टीए विद्युत की आवश्यकता है। जिसकी आपूर्ति उत्तीर्ण राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। विद्युतिक व्यवस्था हेतु 500 कोर्टीए का बीजी बैट स्थापित किया जाएगा।

14. सुखारीपथ की लिखिति – कुल शेजरल में से 6.56 एकड़ (33.06 प्रतिहार) में 810 नग प्रति एकड़ गोली का विकास किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ तक कि से कम 20 बीटर गोलाई में हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। जाखिली का मत है कि उचित परिवर्तन में सुखारीपथ के शेजरल में गुदि करने हुये 50 प्रतिहार कर संशोधित हो—आठट प्लान के एवं एल. पर्फूल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीवन्दन के दोस्रान परियोजना इलावक हालत बताया गया कि देसलाईन छाटा कलेचरल का कार्य दिनांक 01/12/2022 से दिनांक 28/02/2023 तक किया गया। उक्ता के संबंध में लक्षणमय सुधना दी गई थी।

जाखिली हाला विचार कियही रामरात्रि भावितावली से प्रकरण है—i. कंटेंगरी का होने के कारण भाला सरकार परविरत्य बन और जलवायु परिवर्तन नोडल्य हाला अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैचल्ड टारी ऑफ रिकरेंस (टीओआर) और ईजाईए/ईएनवी रिपोर्ट फौर प्रोजेक्टस/एकटीविटीज रिकार्यरिंग इन्डायरेंट कलीयरेस अम्बर ईजाईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित केवी 2(ए) का स्टैचल्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल गोलाई हामता—0.95 विलियन टन जलियरी से बढ़ाकर 2.48 विलियन टन प्रतिवर्ष के ट टाईप हैंगु जारी किए जाने की अनुमति गिर्म अस्तित्व टीओआर के सभ की गई—

- i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- iii. Project Proponent shall submit gram panchayat NOC for establishment of coal washery.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water (for expansion quantity).
- vi. Project proponent shall submit proposal for 50% greenbelt area of total land area.
- vii. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.
- viii. Project proponent shall submit road route alongwith map of transportation of coal.
- ix. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report (for existing & proposed).
- x. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- xi. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition (for existing & proposed).
- xii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation (for existing & proposed).

- xiii. Project proponent shall carryout Social Impact Assessment & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.
- xiv. Project proponent shall carry out Impact Assessment Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xviii. Project proponent shall submit the layout plan with KML file of 50% of the total area for plantation and earmarking atleast 20 meter wide green belt all along the periphery of the project area. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details of latitude & longitude alongwith photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्रायोगिक द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त इकान्त पर प्रायोगिकता की दिनांक 07 / 06 / 2023 की संघर्ष 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्रायोगिकता द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्रायोगिकता द्वारा विचार किसी उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा नहीं स्वीकार करती हुई उपरोक्तानुसार टम्सी औफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई समिति) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टम्सी औफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई समिति) जारी किया जाए।

16. **मेलर्स बदुराबहार ऑर्डिनेशन स्टोर एम्परी परमिट क्वारी (मेलर्स ट्रिलपर्टि बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्री.— बी यदव बुमार लिंक्डिनग), धाम—बदुराबहार, राहसीन—परधालगांव, जिला—जशपुर (प्रायोगिकता का नस्ती क्रमांक 2323)**
ऑफलाइन आवेदन — अधोजल नम्बर — एसआईए/सीजी/एमआईए/420640/2023, दिनांक 01/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय सीखृष्टि हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित सामारण्य पहलव (गौल खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बटुराबहार, लहसील-पश्चिमगांव, जिला-जासपुर रिप्पत खदान क्रमांक 1041, कुल संख्या-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित कल्पना क्रमांक-1,00,084 टन प्रतीवर्ष है।

सदानुसार परियोजना प्रस्तावक थो एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैधत का विवरण –

(अ) समिति की 45वीं बैठक दिनांक 10/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी दीपक चतुर्वेदी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिविति पाइ गई-

1. 500 मीटर की परियोजने में सिवित खदानों की जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-जासपुर के ज्ञापन क्रमांक 440/ख.सा./2022 जासपुर, दिनांक 28/11/2022 की अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर कार्यालय 3 खदानों, कुलफल 3,508 हेक्टेयर का उल्लेख है।
2. समिति के संझान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दूर्ज में नेलस टिक्कपति डिल्फॉन ड्राइवेट लिमिटेड (बटुराबहार और्हिनी रेटोन खदानी, ग्रौ- भी पदन युमार सिंघानिया) के नाम से एसआईए/ सीवी/ एनआईएन/ 416260/2023, दिनांक 21/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था, जिसका नसी प्रस्तुतीकरण 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 को हुआ। उसके प्रकल्प में 500 मीटर की परियोजने में सिवित खदानों की जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-जासपुर के ज्ञापन क्रमांक 544/ख.सा./2023 जासपुर, दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानों, कुलफल 8,812 हेक्टेयर का उल्लेख है।
3. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का कुलफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु औनलाईन आवेदन किया जाना या पत्तनु उनके द्वारा पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु औनलाईन आवेदन किया जाता है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय में औनलाईन आवेदन में प्रस्तुतीकरण के द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-जासपुर द्वारा दिनांक 09/01/2023 की जारी नवीन 500 मीटर की जानकारी को प्रस्तुत नहीं करते हुये संगमन 3 माह त्रुपारी जानकारी प्रस्तुत कर समिति को भविता किया गया है। समिति का मत है कि उक्त को संबंध में परियोजना प्रस्तावक [मेलसी बटुराबहार और्हिनी रेटोन ट्रैक्सी परमिट खदानी (मेलसी टिक्कपति डिल्फॉन ड्राइवेट लिमिटेड, ग्रौ-भी पदन युमार सिंघानिया)] के प्रस्ताव में कलरटर की उसारियति से समिति को अवगत करने हेतु सामाजिकलय, भौमिकी एवं राजनीकी नवा राज्यपुर डटल नगर को दर लेखा किया जाना आवश्यक है।

उपरीवत तथ्यों के परिणेत्र में समिति द्वारा विवार विक्षी उपर्युक्त सर्वेक्षणों से आवेदित प्रबन्धन की डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुसारा भी गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2026 (यथा संसीधित) के उल्लं प्रबन्धन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुसारा की गई। साथ ही यह भी निर्वाच सिवित किया जाया आवश्यक है।

संघीय में परियोजना प्रस्तावक मिसानी बटुराबहार ओडिशा स्टोन ईमारत करारी (पैलासी लिमिटेड बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, प्री-बी पद्मन बुमार लिमिटेड)] के प्रस्ताव ने बल्लुक्ष्मि से समिति को अवगत कराने हेतु संचालनालय, भौमिकी ददा खानिकर्म, नवा राष्ट्रपुर झट्टल नगर को पत्र लेखा दिया जाए।

प्राधिकरण द्वारा ऐलाक में विधार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं ऐलाक में विधार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवीनी/जानकारी/दस्तावेज का अलीग्राहन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विधार दिनांक उपरोक्त सर्वसम्मिति से समिति की अनुसंधान को शीकार करते हुए आवेदन को फि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय दिया गया। सभ्य ही प्रस्ताव को वर्तीनाम में प्राप्त प्रारूप में यथावत् फि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है क्योंकि वर्तीनाम परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, नर्यावरण बन और यात्रायु संशोधन ग्रन्थालय द्वारा जारी हुआ है। अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) एवं समव-समय पर यारी गाँड़लाईन को अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एकेंच्छा आवटन क्रमांक-३

जली पर्यावरणीय स्थीर्यता की विधा के बाब्त में निर्णय दिया जाना।

- मेसास श्री दिनेश चंद नवारा (पिनकापार लाईम स्टोन करारी), ग्राम-पिनकापार, राहसील-झीप्हीलोहारा, जिला-बालोद (स्थियालय का नवीनी क्रमांक 1463)

आवेदन - चूर्ण में प्रधोखल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 182421/2020, दिनांक 07/11/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्थीर्यता हेतु अनिल्लवन आवेदन दिया गया था। कठीमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्थीर्यता में वैधता पूछि किये जाने हेतु दिनांक 23/05/2023 की अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण -

- खाद्यान ग्राम-पिनकापार, राहसील-झीप्हीलोहारा, जिला-बालोद विधात खसरा क्रमांक 1104, 1108, 1109, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1128 एवं 1129 में विधा दुष्क पर्यावरण (पीप स्यनिक) खाद्यान कुल क्षेत्रफल-2.17 हेक्टेयर, क्षमता - 1,35,000 टन प्रतिवर्ष जी है।
- एसईआईए, घालीसगढ़ की ज्ञापन क्रमांक 1577, दिनांक 28/12/2020 द्वारा मेसास श्री दिनेश चंद नवारा (पिनकापार लाईम स्टोन गाँड़न) की याम-पिनकापार, राहसील-झीप्हीलोहारा, जिला-बालोद के विधा खाद्यान क्रमांक 1104, 1108, 1109, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1128 एवं 1129 में विधा दुष्क पर्यावरण (पीप स्यनिक) खाद्यान कुल क्षेत्रफल - 2.17 हेक्टेयर, क्षमता - 1,35,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीर्यता जारी की गई है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लिखित तथा निम्नानुसार है:-

"In the issued environment clearance the validity is marked only for two years. Now the lease has been executed for 30 years and the reserves are not yet excavated with full efficiency. Thus, we request you to consider the period of EC for 30 years from date of issue and kindly arrange to provide revised EC for further lease period. We would also like to submit that as per

MOEF OM dated 13.12.2022, the validity of EC which had not expired as on date of publication of notification dated 12/04/2022, shall stand automatically extended to respective increased validity i.e. for quarry projects is 30 years.

Thus, I am herewith requesting you to kindly consider our application and arrange to issue the EC with 30 years validity or issue a letter to OMINI the first condition of the issued EC which states its validity for two years only, at earliest & oblige please.

प्राप्तिकरण द्वारा बैठक में निचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राप्तिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में निचार किया गया। प्राप्तिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज वा अवलोकन किया गया। प्राप्तिकरण द्वारा निचार नुसारत संवैधानिकी से उपरोक्त सभ्यों के वरिष्ठत्व में परिषद उपरांत उपरोक्त अनुशासन किये जाने हेतु प्रकरण को एसआईएसी_छत्तीसगढ़ के सम्भा प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

एसआईएसी_छत्तीसगढ़ द्वंद परियोजना प्रस्तावका को लादानुसार सूचित किया जाए।

एवेंग्ड अधिकारी क्रमांक-4

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वाचित जानकारी/दस्तावेज/पत्र प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन परिवार् निचार कर पर्यावरणीय स्थीरता / टीओआर / और आवश्यक निर्णय किया जाना।

- मेसन बी.एस. टैक्नोशॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कौमन बीयो नेश्नल ऐस्ट ट्रीटमेंट फैसीलिटी), ग्राम-पूर्वीपथरा, लहसील-कामनार, जिला-रायगढ़ (संचिकालय का नस्ती क्रमांक 1312)

ओनलाईन आवेदन - यूई में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 53362/ 2020, दिनांक 26/06/2020 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। यानान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 53362/ 2020, दिनांक 26/11/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता प्राप्त करने के लिए जाहीरन है आईए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह नवीन बीयो नेश्नल ऐस्ट ट्रीटमेंट फैसीलिटी (सीजीएमएसटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम-पूर्वीपथरा, लहसील-कामनार, जिला-रायगढ़ विधान वाट और खसरा क्रमांक 116/1, कुल हरिया- 04062 हेवटेकर (1 एकड़ह) में प्रस्तावित है। नवीन कौमन बीयो नेश्नल ऐस्ट ट्रीटमेंट फैसीलिटी (सीजीएमएसटीएफ) परियोजना इकानशन एक्स्प्रेस - 100 विलोहाम इलीचटा, बॉर्टोबोर धनमता - 100 हीटर प्रतिवेव द्वंद्व संकर धनमता - 100 विलोहाम इलीचटा के पर्यावरणीय स्थीरता प्राप्त करने के आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का किमियोग रूपर 2.76 करोड़ होगा।

एसआईए सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 30/09/2020 द्वारा प्रकरण बी-1 कोटेजी का होने के कारण जलत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बोर्ड द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित हैम्पहर टीवी और रिफरेंस (टीओआर) पर इआईए/इएमपी रिपोर्ट जीव प्रौद्योगिकी, एजटीपीटीज रिक्वारीरिंग इन्वायरमेंट बोर्ड आप्लाई हैआईए नोटिफिकेशन, 2008 में कौमन हजारीर्डस ऐस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एवं डिस्पोर्ल फैसीलिटी (टीएसडीएफएस) (Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)) हेतु वर्गीकरण नं. 7(3) का स्टैणडर्ड टीओआर

(लोक नुसारी भौतिक) New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अन्तर्गत इंकारन स्वास्थ्य प्रयोगशाला/सेवा – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, औदौत्कर्ष समता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा एवं डोउर समता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा हेतु दीक्षित जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एकहस्ती, उल्लीलांगड़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी प्रोटोकॉल, शीक्षणिकटर एवं पर्यावरण सलाहकार के सभे में सहसं एवं दो हजार रुपयोगी टेक एवं दो हजार नियमरक्षा प्राईवेट लिमिटेड की ओर से दो बड़त नामक उपस्थित हूए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाई गई:-

1. स्थानीय नियम क्रियाकलापी संकेती जानकारी –

- स्थानीय आवादी ग्राम-पूर्णपात्र 1.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन भूपदेवपुर 14.2 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 किमी. एवं राजमार्ग 350 बीटर दूर है। बुजुर्ग नदी 7.9 किमी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राधान, अमरावत्य, कोन्टीय उद्योग नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचित क्रिटिकल पील्युटेक एरिया, परियोजनाकी संवेदनशील क्षेत्र का संचित जैवक्रियाता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतीक्षित किया गया है।
- कार्यालय मुख्य विकिस्ता एवं स्थानीय अधिकारी रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक /एनएचएम/बीएमडब्ल्यू/2020/3177 रायगढ़, दिनांक 20/02/2020 द्वारा दोनों मंडिकल बेस्ट ट्रीलमेट फैसीलिटी (सीरीज़एमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना के संशालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

2. भूमि उपयोगिता संकेती विवरण – आमुक्त, नवर पालिका विकास, जिला-विलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2084/सामान्य/2019, दिनांक 25/11/2019 को एलओ.आई. मैसरी छोटी-सीपट प्राइवेट लिमिटेड की जारी की गई है। राज्य ही किये गये 'एमओ.ए.यु.(अनुमति) मास्टर सर्विस एक्सीमेट' के सरल क्रमांक 6 के अनुसार 'Project Activities and Timeline: The contract signed with DMC shall be valid for a period of 6 months installation from land allotment and environmental clearance by DMC and 36 months of erection post commissioning of the CBWTF. The contract may be extended for another 24 months and thereafter further extension is dependent upon mutual agreement between DMC and the qualified bidder, based on satisfactory performance' का उल्लेख है। उक्त के सदर्म में कार्यालय मुख्य विकिस्ता एवं स्थानीय अधिकारी, जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक /एनएचएम/बीएमडब्ल्यू/2020/3177 रायगढ़, दिनांक 20/02/2020 द्वारा रायगढ़ जिले में संपूर्णता जैव विकिस्ता अपशिष्ट उपचार सुचिया हेतु अनुमति प्रदाय की गई है।

3. संग्रह एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Description	Area(in SQM)	Area (%)
1.	Incinerator plant	206	5.1

2.	Shredder area	54	1.3
3.	Sterilization room	54	1.3
4.	Control room	36	0.9
5.	Treated waste storage room	80	2.0
6.	Hazardous waste storage room	54	1.3
7.	Red waste storage room	28	0.7
8.	Yellow waste storage room	28	0.7
9.	Other waste storage room	28	0.7
10.	E.T.P. Area	56	1.4
11.	Utility Area	70	1.7
12.	Vehicle wash Area	64	1.6
13.	Vehicle Parking Area	165	4.1
14.	Office	65	1.6
15.	Security Cabin	18	0.4
16.	Green Belt	1,340	33.0
17.	Collection and Segregation Area	120	3.0
18.	Roads Area and Open Space Area	1,594	39.2
Total Site Area		4,062	100

4. दृष्टि क्षमिता –

- **BRIEF SPECIFICATIONS OF INDUCTION PLASMA PYROLYSIS INCINERATOR**

Specifications Of Induction Plasma Pyrolysis	
Capacity	100 KG Per Hour
Type	Cylindrical Vertical (solid waste feeding)
Volume	3 m ³
Mec (Shell)	SS310- 10mm Thick
Chamber Pressure	10-20 mm WC
Travel Speed	8.02 min/ Hr
Refractory Thick	100 mm
Flue Gas Velocity	1.3 min / Sec
Ash And Residue Separation	Ash Separator With Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage Prevention	Unit High Pressure air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Back Pressure Prevention	From Charging Door Compressed Door Mechanism
Explosion Safety Explosion	Davit Arrangement (internal)
Waster Loading Mechanism	Hoper unit With Safety Door
Waste Feeding Mechanism	Hydraulic Ram
Feeding unit	5HP
Nature / Category of waste	Incinerable bio-medical waste with Maximum 85% moisture Content
Heat Loss Fraction	0.05
Design Temperature	1400 °C
Source Of Energy	Electric

Combustion Efficiency	At Least 99 %
Temperature Resistance (Primary Chamber)	1400°C
Temperature Resistance (Secondary chamber)	1200°C
Preheating Time	Maximum One Hour
Temperature In Primary Chamber	Relevant Temperature
Temperature In Secondary Chamber	1050 + 50 °C and 1050 – 50 °C
O ₂ content in Primary Chamber	6%
Residence time for flue gas in Secondary Chamber	2 sec

*** BRIEF SPECIFICATIONS OF SECONDARY CHAMBER**

Description	Specification
Type	Cylindrical Statical
Inclination	Vertical 90 or horizontal
Volume	3 m ³
MOC(Shell)	SS304 or MS 2082 refractory lined
Chamber pressure	10-20 mm WC
Refractory Thick	100 mm
Flue gas velocity	1.0 mtr/sec
Ash and Residues Separation	Ash Separator with Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage Prevention Unit	High Pressure Air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Explosion Safety	Explosion Damp Arrangement (internal) Top With Counter Weight Linked With PLC Control
Retention time of flue gases in Chamber	2 - 2.2 Second.

*** Autoclave**

Technical Specifications	
Capacity	100 Litre/hr
MOC	SS - 304
Model No.	NEET AC100
Insulation	Ceramic wool on outer side
Pressure	2.1 kg/cm ²
Air Emission	Highly Odorous but Non Toxic
Heating Media	By steam generated from Electric heater arrangement.
Feeding	Hydraulic System
Safety Instrument	Pressure Gauge and Safety Valve
Temperature	121 to 134°C
Design Temperature:	150°C
Water Emission	Odorous May Contain Live Micro Organisms at Base
Treatment Effluent	Low Wet Waste 10 % Heavier air

• Shredder

Technical Specifications	
Capacity	100 Kg/Hr x 1 No
MODEL No	NEET AC100
Waste Materials	Biomedical waste
Power	5 HP
Motor	3 Phase 50 Hz 415 VAC
Hopper Size	300 X 400 mm Height.
Drive	V belt Pulley drive
Required Space	3m ² (only machine)
MOC	MS: Fabricated
MOC of Blade	W.P.S. Hardened changeable Blade
Control Panel	Dual starter ON/OFF switch
Shredding Size	25 X50 mm Waste Cutting
Bearing	SKF/ZKL Ball Bearing.
Cutting Blade	5 Nos.(3 moveables & 2 fix blade)

5. प्रोजेक्ट के त्रु आवश्यक तथा – प्रसारित परियोजना में सामग्रीय अवस्थाएं, प्राइवेट अवस्थाएं, पैदोलीनी तेज, बहु दिन एवं सामग्रीय चप-समान कीन्ह आदि में केवल की संख्या एवं वीवी संकेत ऐसे तरह हिस्ते जाने सकती जानवरी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. हजारी एवं दौसा अपरिषट अपवहन अपवहन –

Hazardous & Solid Waste Management				
CAT. NO.	TYPE OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE	SOURCE	QUANTITY GENERATED (Kg/Day)	METHOD OF DISPOSAL
36.2	Ash	Incinerator	500	Sent to TSDF
34.3	ETP Sludge	ETP area	75	Sent to TSDF site for landfilling or cement co-processing
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	500	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	300	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	As generated	Sent to foundry for metal recovery / TSDF
5.1	Waste oil	From Plant & Machineries	10	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries		As	Sent to Authorized

7. पाल उत्पादन व्यवस्था –

- पाल उत्पादन एवं स्रोत – चरियोजना हेतु कुल 10 किलोलीटर प्रतिदिन जिसमें से पैक बीटर 6.5 किलोलीटर प्रतिदिन एवं रिसाईफन बीटर 4.5 किलोलीटर प्रतिदिन (इनसिनेटर/स्क्रबर में 4.7 किलोलीटर प्रतिदिन, पैक बीटिंग में 0.9 किलोलीटर प्रतिदिन, बीकल बीटिंग में 1 किलोलीटर प्रतिदिन, सील्यूसन बनाने में 0.1 किलोलीटर प्रतिदिन, बटीय जगहोन में 0.1 किलोलीटर प्रतिदिन, गार्डिनिंग में 2.5 किलोलीटर प्रतिदिन एवं सेंट्रु 0.8 किलोलीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक पाल की आपूर्ति बोरिंग से की जाएगी। हाल हेतु केंद्रीय भू-पाल प्राधिकरण (COPWA) से अनुमति लिया जाएगा।
- पाल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – योग्य दूषित पाल की जाता 0.6 किलोलीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित पाल की जाता 4.6 किलोलीटर प्रतिदिन होती है। योग्य दूषित पाल के उपचार हेतु रोटिंग टैक/सोक पिट का नियन्त्रण किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक दूषित पाल के उपचार हेतु इन्फ्रारेड ट्रॉटमैट प्लाट शाफ्ट-10 किलोलीटर प्रतिदिन की उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। इन्फ्रारेड ट्रॉटमैट प्लाट के अंतर्गत कलेशन कम एक्सालाप्टोरियन टैक, फैक्ट्री गिरावट एवं पलेश्टलेट, प्राईनी सेटिंग टैक, रूटिंग टैक, सेक्षन टैक, हार्डिंग टैक, बी.एस.एफ. एवं प.सी.एफ., कैमिकल डिस्ट्रिब्यूशन चैम्पिनी (सोडियम हाइपोक्लोराइड/ब्लॉरिन/बोटेंशियलपर ऐगेनेट का उपयोग किलोलीटर बीडिंग की तरह किया जाएगा), ट्रॉटेल बेस्ट बीटर टैक आदि उत्पादित किया जाना प्रस्तावित है। उपयोगित दूषित पाल को नियन्त्रण करने में उपयोग किया जाएगा। यांत्र नियन्त्रण की विधि नहीं जाएगी।
- भू-पाल उपयोग उत्पादन – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड बाटर बोर्ड के अनुसार सभी डिट्रिक्शन जीन में आता है। जिसके अनुसार –
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगी को कम से कम 30 प्रतिशत दूषित पाल का पुनरुत्पादन एवं पुनरुपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड बाटर रिकार्ड हेतु अवार्ड गई तकनीक द्वारा ऐनबाटर हार्डिंग / बोटेंशियल घास रिकार्ड की आवार एवं भू-पाल नियन्त्रण जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड बाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्राक्षयन ज्ञा। उद्योग को ऐनबाटर हार्डिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- ऐन बीटर हार्डिंग व्यवस्था – उद्योग परिवर्त में वर्षी के पानी का कुल रनओफ 1.345 धनलीटर है। ऐन बीटर हार्डिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 नग रिकार्ड पिट (लंबाई 3.6 नीटर बीमाई 2 बीटर एवं गहराई 0.2 नीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। ऐन बीटर हार्डिंग व्यवस्था परिवर्त की पूर्ण रनओफ को रिकार्ड किया जा सकेगा। रिकार्ड रद्दवर्ती इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें सम्भान जाता है कि वर्षी पाल का बहाव हो सके।
- 6. यांत्र प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – Induction Plasma Pyrolysis में यांत्र प्रदूषण नियंत्रण हेतु लियोपर के साथ पैल्स बैक स्क्रावन एवं वैन्युले स्क्रबर द्वारा की गई गार्ड 30 नीटर उत्पादित किया जाना प्रस्तावित है। बी.जी. सेट में रिकार्ड की गई गार्ड 12 नीटर होगी। उक्त रिकार्ड से पार्टिक्युलेट मेटर का उत्पादन की जाता

- ८० निलियांग प्रति वास्तव्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। पहुंचिटिय शब्द उत्तराखण्ड नियोजन के अनुसार इन विभिन्न कार्यक्रमों के लिया जाना प्रस्तावित है।
९. परिषेक व्यवस्था – औद्योगिक उत्तराखण्ड का विद्युत एवं परिषेक औद्योगिक व्यवस्था अवधिकार प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।
 १०. विद्युत व्यवस्था एवं संचयन – परियोजना के बूल १५० कोडीए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति उत्तराखण्ड वायर विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु १५० कोडीए. वा एक दी.ती. सेट अनावया जाना प्रस्तावित है।
 ११. यूआरीपण की विधि – बूल दीवाल में वी लगभग १,३४० कार्गीटर (लगभग ३३ प्रतिशत) में यूआरीपण किया जाना प्रस्तावित है।
 १२. प्रस्तावित कामता विस्तार कार्यक्रमाव के उपरोक्त विनियोग की कुल जानका २.७५ करोड़ होना चाहा गया है, जिसका ब्रैक-अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 १३. १० विलोमीटर की परिवर्ति में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा दीव वी वय प्राणी संस्थान योजना तीयार कर, विविक्त सकाम प्राविकारी (प्राचान मुख्य वन संलग्नत्वात्) सह कुछ वनप्राणी से अनावलित प्रवाण्य पञ्च प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 १४. दी.ओ.आर. हेतु प्रस्तुत ऑफलाईन लाइव्स ने एवं जारी दी.ओ.आर. में ऑटोकलेव कामता – १०० विलोमाम प्रतिवेद्य का उल्लेख है। जबकि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में ऑटोकलेव कामता – १०० लीटर प्रतिवेद्य वा उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 १५. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विवरण –
 - I. जल एवं बायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – भौगोलिक कार्य १८ अक्टूबर, २०२० से १५ जनवरी, २०२१ के मध्य किया गया है। १० विलोमीटर की ओरपैठ १० स्थानों पर वरिष्ठीय वायु गुणवत्ता मापन, १० स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, १० स्थानों पर व्यावेशी सत्र मापन, १० स्थानों पर सालही जल गुणवत्ता तथा १० स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विवरण में किया गया है।
 - II. भौगोलिक परिषेकों के अनुसार वी.एम. १४.८ से ११ मार्ड्कोशाम/घनमीटर वी.एम. ५६.४ से ५५ मार्ड्कोशाम/घनमीटर, एन.ओ. ३.६ से २५.३ मार्ड्कोशाम/घनमीटर तथा एन.ओ. ७.८ से ३२ मार्ड्कोशाम/घनमीटर वायू गई है। जो उक्त सेत्र के भित्तित मानक के अनुकूल है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वरिष्ठीय वायू में जी.एल.सी. (GLC) की मात्रा का जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के इस्तेम होने के उपरोक्त वी.एम. की मात्रा ०.१६ मार्ड्कोशाम/घनमीटर की तुलि, लाईट्वीकलोरिक एसीइ की मात्रा ०.१८ मार्ड्कोशाम/घनमीटर की तुलि एवं एन.ओ.एम. की मात्रा १.२५ मार्ड्कोशाम/घनमीटर की तुलि होगी।
 - III. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भासीय मानक के अनुसार है।

- iv. परियोजना व्यवस्था के सार (Day time) 49.5 हीटीए तो 64.2 हीटीए एवं व्यवस्था के नाम (Night time) 38.4 हीटीए तो 43.7 हीटीए कहा गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्दिष्ट यांत्रिक के अनुसार है।
16. लोक सुनवाई दिनांक 11/08/2021 द्वारा 11:00 बजे स्थान क्षेत्र के गढ़िर परिवार के समीप बाम—ताचाईनल, गहसील—तामनार, जिला—दायगढ़ में संचलित हुई। लोक सुनवाई इसक्षेत्र सहस्र ग्रामीण, प्रतीक्षागढ़ पर्वतीरण नामका मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर के पश्च दिनांक 23/10/2021 द्वारा प्रवित किया गया है।
17. जनसुनवाई के द्वारा मुख्य काम से जिम्मा सुझाव/विचार इस्तेवा किये गये हैं—
- इस क्षेत्र में हावीदों के आवास के लिये धरमगढ़गढ़ से बनुतसिया तक ऐसिकोट कौरिहोर बनाया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र में ऐसिकोट खींच हीषर भी बनाया गया है।
 - प्रस्तावित क्षेत्र के समीप केसी नदी एवं कुरकोट नदी 7 कि.मी. है। परियोजना से दूषित जल नदियों में प्रवाहित किया जाएगा।
 - प्राथमिकता के आवार पर प्रस्तावित बांधों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।
- लोक सुनवाई के द्वारा उठाये गये जिम्मा मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्योजना संबंधी जागकारी जिम्मानुसार है—
- प्रस्तावित क्षेत्र बांधों नियंत्रित केसट ट्राईपोट बांध को ऐसिकोट कौरिहोर के बाहर है।
 - जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ईटीपी लगाया जाएगा जोपना सब ही हिस्सी प्रकार का दृष्टित जल परियोजना क्षेत्र के बाहर नहीं नियंत्रित किया जाएगा।
 - नियंत्रित बैरीजनारी को जीवन्ता के आवार पर स्थानीय लोगों को आरक्षणानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
18. कॉर्पोरेट पर्वतीरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु संचिति के तमाक नियंत्रार तो यहां उपरांत जिम्मानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
275	2%	5.50	Following activities at Government Primary School, Village- Punjipathars Rain Water Harvesting System	0.36

			Roof top Solar Panel System	3.12
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.78
			Digitization of School Projectors, Computers, Tablets	1.24
			Total	5.50

सुबह प्रकल्प को समिति द्वारा अमान्य किया गया है। समिति का मत है कि 'परिवर्तन' के छह अंग (आवेदन, बड़ी पीपल, नीम, आम, लाल, अरुण, बैल आदि) द्वारा पंचाक्षर की सहभागी चारों यथायोग्य स्थान (जैसवावार विवरण सहित) में दूसरोंपास हैं तो पौधों, पेंसिन, खाद एवं सिवाई तथा रस्ता-रखाव के लिए ५ वर्षी का घटकम्भार एवं जैववाचन विधि का विवरण विश्वास प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तमव रार्डसमिति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

- पूर्व में टी.ओ.आर. हैंदु प्रस्तुत औंगलाईन उत्तेजन में एवं जली टी.ओ.आर. में औंटोक्सेप शमता - 100 डिसीप्राम प्रतिवेद का उल्लेख है। जबकि काईनल हृष्टार्क रिपोर्ट में औंटोक्सेप शमता - 100 लीटर प्रतिवेद का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में उपर्युक्तप्रस्तुत किया जाए।
- प्रस्तावित परियोजना में शासकीय ऊर्जावाल, प्राइवेट ऊर्जावाल, फैब्रोलीनी सेव बल्ड वैक एवं शासकीय रुप-समाज केन्द्र आदि में बैठ की संख्या, बीजो मेडिकल बैस्ट की मात्रा एवं संदर्भ किये जाने के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। सब्द ही सुबह संस्थाओं से यांत्रिक बीजो मेडिकल बैस्ट की मात्रा अनुसार बीजो मेडिकल बैस्ट परिचिलिती किया जा रहा है अथवा नहीं? के संबंध में यानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- पिनियोग की कुल लागत का ट्रैक-अप प्रस्तुत किया जाए।
- 10 डिस्ट्रीटर की परियोजने में हाथियाँ का आवाहन होना पाये जाने के कारण आवेदक संख्यान द्वारा संचय की बन्ध प्राणी संख्या लोजना तीव्र बन, विशेषतः सक्षम प्राणिकरणी (ज्ञान मुख्य तथा संचाक(व.प.) सह गुरुत्व बन्धप्राणी) की अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- मूर्मि संबंधी दस्तावेज जारी नवाचा (वी-१, वी-२) प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना के रकमना हैंदु संबंधित ग्राम वंशायता का अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- उद्योग एवं उद्योग वरिष्ठ की जारी और एम.पी.एन. (Most Probable Number) संख्यी प्रतिवर्षी किए जाने हैंदु रापथ पत्र (Under Taking) प्रस्तुत किया जाए।
- प्रत्येक ६ माह में उद्योग एवं परियोजना की आस-पास निवासन स्थानों का एलटी एवं फैब्रोजनिक प्रमाण की सटीक करने हैंदु रापथ पत्र (UnderTaking) प्रस्तुत किया जाए।
- प्रस्तावित परियोजना में लिलने वालित ऊर्जावल के क्षम में कार्य करेंगी एवं उनके सुरक्षा हैंदु वज्र व्यवस्था की जाह्नी? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

- प्रस्तावित परियोजना एवं अस्त—पाल की संत्र का ऐरो—बैटोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु राष्ट्रव्य पञ्च (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
- प्रस्तावित परियोजना की सहज परिसंकटमय डायरिक्ट एवं दौस अपशिष्ट के निपटान हेतु टी.एस.डी.एफ., सीमेंट इकार्ड्सी में बो—प्रोसेसिंग के लिए एवं अधिकृत रिसाईवलर से अनुबंध के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- बी.ई.आर. वा दिस्तुत प्रस्ताव “परियोजना के सहज (आंकड़ा, बड़ा पीपल, गीम, आम, अनुसूचि, बेल आदि) दाम पक्षावल के राहगति उपरांत यथाव्यवहार स्थान (असारनाम विवरण राहिल) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फॉसिंग, खाद एवं रिसाईवल तथा बहु—रक्षाव के लिए ५ वर्षी का घटकावर एवं राष्ट्रव्यवाह व्यव या विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

सुवर्णोक्त वाचित जानकारी/दस्तावेज छाप होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तात्पुरताव इसर्वेत भी... छलीसाव के ज्ञान दिनांक ०१/०४/२०२२ के परिवेष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक २७/०४/२०२२ को प्रस्तुत किया जाए है।

(३) समिति की ४१०वीं बैठक दिनांक १५/०५/२०२२:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी वा अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाइ गई गिरिः—

- पाल की समत्व को १ घनमीटर बाना गया है। जिससे औटोवहेच की समता वी ईकाई किलोग्राम ड्रिलिंग एवं लीटर प्रतिवेच वा उपयोग किया गया है, जो कि समान है। आटोवहेच मज्जीन में स्टीम (steam) का उपयोग रुच दाव में प्रेशर एसेट के अंतर्गत हानिकारक फैक्टरीया, वायरस, फैक्स एवं बीजानु जी मालों के लिए किया जाता है। औटोवहेच वी समता कक्ष के आयलन के बतावर होती है। औटोवहेच वी प्रतिवेच को ड्रिलिंग द्वारा बताया गया है।
- प्रस्तावित परियोजना द्वारा बताया गया कि कॉन्ट्रीव प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईकलाईन अनुसार १ बीयो—मेडिकल वेस्ट फैक्ट्री में ७६ कि.वी. वा ही एवं १०,००० बेडों वी संख्या लिये जाने का चलावेता है। तात्पुरताव परियोजना प्रस्तावक द्वारा वायरस जिले के कुल १८४ हेल्प केंपर फैक्ट्रीलिटी (HCFM) में बेडों वी संख्या १,७२२ लिया जाए है। जिससे उपर्युक्त बीयो मेडिकल वेस्ट की गाड़ ५१८६ किलो, ड्रिलिंग (गाईकलाईन अनुसार ३०० वाम प्रतिवेच प्रतिदिन) को संचालन किया जाएगा।
- जिनियोग की कुल लागत वा ब्रेक—अप प्रस्तुत किया जाए है परन्तु भूमि के मूल्य को सामिल नहीं किया जाए है। भूमि के मूल्य को सामिल करते हुए जिनियोग की कुल लागत का ब्रेक—अप प्रस्तुत किया जाना चाहिएक है।
- १० किलोमीटर वी परियोजना में हावियों का आवानगमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा ही वन्य प्राणी संख्या बीजना सैदार कर, जिनियोजन अवान ग्राहिकारी (ज्ञान मुद्रा वा संस्कारवाप्रा.) वह मुख्य वन्यप्राणी से अनापलित प्रभाव या पञ्च प्रस्तुत किया नहीं किया गया है।

5. भूमि खाता क्रमांक 116/7 (खाता क्रमांक 116/1 का मान) सामाजीय मुद्दे हैं जो संदुक्षता वैदिकिया अवधिकार उपचार सुक्रिया (CURE) इकाई की स्थापना हेतु आवश्यक है।
6. परियोजना के स्थापना हेतु इस प्रकार समझना कि दिनांक 21/12/2021 का अनावश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. उद्योग एवं उद्योग परिवर्त के बारे और एम.पी.एन. (Most Probable Number) सटीक प्रतिवर्ष किए जाने हेतु वर्षन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. प्रत्येक 8 वर्ष में उद्योग एवं परियोजना के आस-पास निकालते लोगों का एलाजी एवं फैक्टोरियल प्रमाण की सटीकता कराने हेतु वर्षन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. प्रस्तावित परियोजना में कुल अधिक 6, अधोकुल अधिक 8 एवं अधकुल अधिक 12 व्यक्ति कार्यवाल के रूप में जारी करेंगे एवं उनके सुझाव हेतु सुन्चालक उपाय अपनाया जाएगा साथ ही प्रत्येक 8 वर्ष में अभियोग का फैक्टोरियल ट्रैक करनाया जाएगा।
10. प्रस्तावित परियोजना एवं आस-पास के क्षेत्र का ऐरो-बायोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) करने हेतु वर्षन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. ही.टी.पी. स्लज, इन्सीनियरिंग एवं एटीएल शार्प की मैसारी रामकी इन्कावटी इंजीनियर्स, जिला-बलोदाबाजार की उपलब्ध करता जाएगा। वर्तमान में मैसारी रामकी इन्कावटी इंजीनियर्स जिला-बलोदाबाजार का संचालन नहीं है। संचालन प्रारंभ होने तक उपलब्ध अपरिहित योगी मैसारी रामकी इन्कावटी इंजीनियर्स विकासपुरा, न.प्र. की उपलब्ध करता जाएगा। मैसारी रामकी इन्कावटी इंजीनियर्स, जिला-बलोदाबाजार से अनुकूल पर्यावरण स्वीकृति एवं पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति उपलब्ध अवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद वी जाएगी (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सम्मानन के अधीन)। रिसाइकल ब्लास्टिक एवं ग्लास वेस्ट की समीपस्थ अधिकृत रिसाइकलर की उपलब्ध कराया जाएगा (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सम्मानन के अधीन)। घूम्ह फैटीज योगी स्टार ही-ग्रोसरीज चान-बकाहा, तहसील-आरंग, जिला-दायपुर की उपलब्ध कराया जाएगा (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सम्मानन के अधीन)।
12. कौपरिट एवं पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही ईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्मान विस्तार से वर्ती समर्थन निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities of,				
275	2%	5.50	Pavitra van niman	5.50
			Total	5.50

13. सीईआर के अंतर्गत "परिवर्तन बन नियोग" के तहत (आवला, बड़ा पौपल, नैम आम, लकड़ून, बेस आदि) मुख्यालय हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव राजनुसार 400 रुग पीढ़ी के लिए राशि 40,000 रुपये, रिंचाई तथा प्रोटेक्शन (Protection) के लिए राशि 36,000 रुपये, फीट मैटिंग तथा खाद के लिए राशि 36,000 रुपये, रह-रखाव के लिए राशि 52,000 रुपये, हरा छातार प्रधान वर्ष में कुल राशि 1,58,600 रुपये तथा आवासी 4 बड़ी में कुल राशि 3,81,400 रुपये हेतु प्रत्यवाचार यज्ञ का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर के तहत परिवर्तन नियोग बन हेतु शाम पंचायत समाजमा को पश्चायोग्य रखान प्राप्त करने के लिए पश्चायोग्य किया गया है जिसकी प्रति प्रस्तुत भी गई है। समिति का मत है कि शाम पंचायत से पश्चायोग्य रखान (छातार नंबर एवं रकमा सहित) प्राप्त कर प्राप्त पंचायत का शहरगति पञ्च प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा लक्षणका वार्तालालिता वी नियन्त्रित किया जाए—

1. भूमि के मूल को शामिल करती हुए नियोग की कुल लागत का डेक्स-अप प्रस्तुत किया जाए। लाभ ही कुल नियोग में वृद्धि होने पर राजनुसार सीईआर के अंतिरिक्ष कर्तव्य हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा हेतु की वन्य प्राणी संख्या योजना हेतुर कर विभिन्न रखान प्राधिकारी (व्यान मुख्य बन संख्याकरण) सह मूल्य वन्यप्राणी अधिकारी से प्रमाणित करनाकर अनुरोदित द्वारा यज्ञ सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. सीईआर के अंतर्गत "परिवर्तन बन नियोग" के हेतु प्राप्त पंचायत से पश्चायोग्य रखान (छातार नंबर एवं रकमा सहित) विवरण प्राप्त कर शाम पंचायत का शहरगति पञ्च प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. लोक सुनवाई के दौरान उठाये वये विभिन्न मुद्राओं के नितान्तरण की दिला में परिवर्तनाना प्रस्तावक द्वारा दिये गए जाताव (उपरोक्तनुसार विन्दु क्रमांक 1 एवं 2) का शपथ यज्ञ प्रस्तुत किया जाए।
5. अभियों के सुख्ख हेतु सुख्खात्मक उपाय आवाये जाने एवं प्रत्येक 6 माह में अभियों का पैदीजीनिक टेस्ट करता रखाये जाने करतु शपथ यज्ञ प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रस्तावित परिवोजना एवं जाता-जात को हेतु का ऐसी-बीयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) करनाने हेतु शपथ यज्ञ (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
7. रिसायफ्वेल प्लास्टिक एवं ग्रास बेस्ट को सारीपरम अधिकृत रिसायफ्वेलर को उपलब्ध कराये जाने तथा यूज बेटरीज को कठार ई-प्रोसेसर द्वारा-द्वारा, राहसील-आरंग, गिला-राहपुर को सुपलब्ध कराये जाने द्वारा शपथ यज्ञ (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त सभी पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आवासी कार्यकारी भी जाएगी।

राजनुसार एस.ई.प.सी., उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/07/2022 के परिपेक्ष में परिवर्तनाना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(म) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

संभिलि द्वारा नवली, प्रसरुत जानकारी का उपलब्धोक्तन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार
मिथिलि पाई गई गई कि:-

- भूमि के मूल्य को शामिल करते हुए विनियोग की कुल लागत 275 करोड़ का
है। अप्रसरुत किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

B.No.	Details	Cost (in Lakh)
1.	Site clearing, excavation, leveling construction work and other civil work	50.00
2.	Plant and Machineries and other equipment including taxes and duties	150.00
3.	EMP including water pollution control, air pollution control, firefighting system, OHC, laboratory etc.	50.00
4.	Other misc. cost	25.00
Total		275

उद्योग की प्रस्तावित कुल विनियोग 275 लाख अनुसार ही पूर्व में श्रीईआर. का
प्रस्ताव प्रसरुत किया गया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 17/08/2022 के पात्रम से 10
किलोमीटर की चरिहि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के बाबत
आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना टैक्सर लिये जाने हेतु
संभागीय वन्यजनक अधिकारी को लेख किया गया। विन्यु वन्य प्राणी संरक्षण
योजना हेतु प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रसरुत नहीं किया गया है।
- श्रीईआर. की अंतर्गत 'पश्चिम वन नियन' की हेतु ग्राम पंचायत से वज्रायोग्य
रथान (जगता नंदर एवं रक्षा सहित) पिंडरम प्राण कर द्वारा पंचायत का
सहमति पत्र प्राप्त कर प्रसरुत नहीं किया गया है।
- लोक सुनवाई के दौरान उत्तरों गये विभिन्न मुद्दों की विवादजनक दिशा में
परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गए जगत (उपरोक्तानुसार विन्यु क्रमांक 6 एवं 7)
का विवर पत्र प्रसरुत किया गया है।
- भूमि के सुनवाई सुलक्षणक उपाय अपनाएं जाने एवं इत्येक 6 वर्ष में
भूमिकों का पैदोजीनिक टैक्सर कराकर जाने वाले शपथ पत्र प्रसरुत किया गया
है।
- प्रस्तावित परियोजना एवं आस-पास की क्षेत्र का ऐरो-बॉयोलॉजिकल स्टडी
(Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रसरुत किया गया है।
- रिसावकोवल पत्तास्टिक एवं ग्लास वेवट को सार्वप्रथम अधिकृत रिसाईवलर को
उपलब्ध कराये जाने तक यूज वैटरीज को स्टार ई-प्रीसेवर द्वारा-वकलारा,
लाइसील-आरन, जिला-शायपुर को उपलब्ध छनाये जाने वाले शपथ पत्र
(Affidavit) प्रसरुत किया गया है।

शामिलि द्वारा संसाचय सर्वसम्मति से निम्नलिखित किया गया था:-

- 10 किलोमीटर की चरिहि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के बाबत
आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना टैक्सर कर विभिन्न
वन्य प्राणिकारी (जगता मुख्य वन संरक्षकर्यप्रा.) सह मूल्य वन्यप्राणी अधिकारक
से प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र लिखित प्रसरुत किया जाए।

2. सीईआर के अंतर्गत "परिवर्तन निर्माण" के हेतु याम पंचायत से बद्धायोग सम्भाल (जानकारी नवीन एवं रक्षा संस्कृति) विवरण द्वारा यम याम पंचायत का सहभागि पक्ष द्वारा कम प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

लदानुसार एसडीएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2022 के परिणय में समिति द्वारा प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/12/2022 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(३) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई:-

1. 10 किलोमीटर की परिसी में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा हीन की बन्ध प्राप्ती संस्थान योजना तैयार कर, विशिष्ट रक्षण प्राधिकारी (याम मुख्य वन संस्थानकार्यपाल) सह मुख्य वनप्राप्ती अधिकारी से प्रश्नागति करनाल अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किये जाने चाहत डिपियनल फॉरेस्ट ऑफिस, रायगढ़ में दिनांक 06/09/2022 की आवेदन किया गया है, जो कि प्रक्रियालीन है। उस अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वारा होने के उपरांत जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लक्षी पर्यावरणीय स्थीरता की विषये जाने हेतु अनुदेश किया गया है।
2. सीईआर के अंतर्गत युक्तिपान में "परिवर्तन निर्माण" हेतु याम पंचायत सम्भालना से यायाचार्य सम्भाल (जिससा क्रमांक ०३, रक्षा ६.३८ हेतुविवर) का विवरण प्राप्त कर पाय पंचायत का सहभागि पक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा संस्थान सहित सम्भाली हुई विवरों के बारे में कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिसी में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा हीन की बन्ध प्राप्ती संस्थान योजना तैयार कर, विशिष्ट संस्थान प्राधिकारी (याम मुख्य वन संस्थानकार्यपाल) सह मुख्य वनप्राप्ती अधिकारी से प्रश्नागति करकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

लदानुसार एसडीएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 के परिणय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 24/02/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(४) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 26/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई:-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिसी में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के संबंध में प्रस्ताव दनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ की दिनांक 05/09/2022 की प्रेषित किया गया है। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संस्थान (बन्ध प्राप्ती एवं उत्तीर्ण विभिन्न संस्थान) द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित बन्ध प्राप्ती संस्थान योजना अनुमोदित की गई है।

तदीपसांत बगमप्पहलाधिकारी, रायगढ़ बगमप्पहल, रायगढ़ से अनापति प्रभाव पर प्राप्त किया गया है।

- प्रधान मुख्य बन संचालक (वन जलीय संचालक विभिन्न संस्थाएं), बड़े गुरुत्व वन्यप्राणी अधिकारी, नवा रायगढ़ झटक नगर के आदेश क्रमांक/ब.पा. /प्रक्रम-603/41 नवा रायगढ़ दिनांक 30/01/2023 द्वारा वन्य प्राणी संचालन योजना के संबंध में आदेश जारी दर की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार अनुमोदित योजना में हाथी ट्रॉकिंग हेतु मजदूरी चुगलान, सूखना लेंड हेतु पुरकार तथा एवं जग आवश्यकता अनियान हेतु राशि का विवरण निम्नानुसार है—

S.No.	Activities	Budget Provision (In Rs. Lakhs)			
		Years from cleaning the area			
		1 st	2 nd	3 rd	Total
1.	Wages/Honorarium of Hathi Tracking Team (2 Person@9000.00 per month)	2.16	2.16	2.16	6.48
2.	Rewards for informers	0.05	0.05	0.05	0.15
3.	Elephant Awareness Creation Measures	0.10	0.10	0.10	0.30
	Total				6.93

- कार्यालय बगमप्पहलाधिकारी, रायगढ़ बगमप्पहल, रायगढ़ के हाथान क्रमांक/हक. अंकि./1136/2023/रायगढ़, दिनांक 22/02/2023 से जारी अनापति प्रभाव पर में उल्लेखित तद्य निम्नानुसार है—

“आदेश को देख की एसियल डिस्ट्रीब नरदीकी बनकोप से लगभग 1.00 लिंगी है। उक्त ग्रुप बन अधिष्ठत्य की ग्रुप नहीं है। अतः जारीकीय ग्रुप जारी नं. 116/7 (विसरा नं. 116/1 का नाम) रखना 0.406 है। ग्रुप में वन्यजीव देव विभिन्न अपेक्षित उपचार सुविधा (CBWTF) इंकार्ड की स्थापना के इस विभाग को कोई आपति नहीं है। यदि उक्त ग्रुप होटे-बैठे जाने की जंगल गद की ग्रुप हो तो उन संक्षय अधिनियम 1990 के प्रावधान अनुसार जर्य किया जाना आवश्यक है।”

- परियोजना बहतावक द्वारा प्रस्तावित परियोजना के अनुकूल की अवधि में विस्तार होता है तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित वन्य द्वाणी संस्थान योजना के अनुसार ही ज्ञानार्थी कार्य किया जाएगा। इस हेतु जापद्ध पर (Amendment) प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तद्य निम्न है—

If VMTSPL's contract of CBWTF Continues after its validity with the Chairman Divisional Monitoring Committee, Bilaspur Division (Biomedical Waste) then VMTSPL will revalidate the Conservation Plan as per the rules and regulations along with the prescribed fee set forth by the Wildlife Conservator, Raipur CG at that time.

समिति द्वारा विचार निम्न संपर्क संविहानित से नेतरसी वी.एन. टेक्नोवॉफट इंडिया लिमिटेड (कौमन वायो बैकिंग ऐल ट्रीटमेंट फॉर्मोलिटी) को इस—जूबीपथा, लहसील—हमनगार, जिला—रायगढ़ विधान पाट ऑफ खसरा क्रमांक 116/1 में कूल एसिया— 0.4062 हेक्टेयर (1 एकड़), नवीन कौमन वीयो बैकिंग ऐल ट्रीटमेंट फॉर्मोलिटी (सी.सी.एम.एस.एन.पूटीएफ) परियोजना इंवेशन प्लाना पायरोलाईलिंग — 100

विनोदीयाम प्रतिष्ठान, औटोमोबिल कागजाना – 100 लीटर इलियेंस एवं फैक्टर कामता – 100 विनोदीयाम प्रतिष्ठान हेतु पर्यावरणीय स्टीम्कृषि दिए जाने की अनुसंधान की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संघन 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नली का अवशोषण लिया गया। प्राधिकरण द्वारा उत्तमतय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. वाष्णविक प्रदूषण भार वाली गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. इन्हायरीमेंट मैगेजमेंट प्लान कर जापावार विस्तृत प्रस्ताव (क्रिक-डाय) प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना के संचालन से होने वाले दुर्घट की समस्या के रोकथाम हेतु प्रस्तावित व्यवस्था वाली जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. वीयो मेडिकल वीस्ट के हथालन एवं कलेक्शन बैंडूट में निर्धारित व्यक्तियों के ट्रैनिंग वाली व्यवस्था एवं उनकी सुरक्षा हेतु वीयोही किट के संकेत में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. Persistent Organic Pollutants (Dioxins and Furans) की प्रमाणी नियंत्रण के संकेत में प्रस्तावित व्यवस्था की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

एकीकृत वाष्णवित सुसंगत जानकारी/वस्तावित प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एसडीआईएए. छलीसबड़ के द्वारा दिनांक 08/05/2023 के चरित्रेय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/वस्तावित प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संघन 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/वस्तावित का अवशोषण किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया था—

1. वाष्णविक प्रदूषण भार वाली गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार—

Estimation of Annual Carbon emission from proposed new project of Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF)

S. No.	Source	Assumptions / Considerations	CO ₂ Emission (MT/Annum)		Mitigation Measures for Carbon Sequestration/ Reduction	CO ₂ can be reduced (MT/Annum)	Total CO ₂ Emission by mitigation and fuel alternative (MT/Annum)
			Direct	Indirect			
1.	Electricity Consumption (Overall)	Electricity Consumption:120 KWh Working	-	864	Unit shall install 20 KW Solar panel to reduce daily electricity	31	833

		Hours: 20 CO ₂ emission factor = 1 kg/kW			requirement for proposed project		
2.	Transportation of Employees	Total Employees = 25 No. Of Two- wheeler = 10 No. Of Four- Wheeler = 2 No.	-	0.7	Common Transportation of workers instead of two-wheeler (ex: Bus)	1.2	5.4
3.	Transportation of Bio Medical Waste from HCFS to site and transportation of Hazardous Waste	Total fuel consumpti on liters/ annum = 4493.6 CO ₂ emission factor = 2.65 kg/liters	-	11.9	Exhaust manifold can be utilised which can reduce about 28 to 50% carbon emissions.	-	-
4.	ETP and STP	Effluent Load = 4.5 KLD	-	0.1	It is proposed to provide green belt in an area of 1340m ² . Around 285 nos. of native plant species will be developed. In one year, a mature tree will absorb more than 48 pounds (22 Kgs) of carbon dioxide	5.8	-11.7
Total		882.7			Total	37.7	833

Interpretation: From the above table, it is estimated that by providing mitigation measures as mentioned i.e., usage of renewable energy resources such as solar energy, usage of public transport instead of individual vehicles for workers, by development of greenbelt etc. unit can reduce annual carbon emission from 882.7 MT/Annum to 833 MT/Annum, which is around 4.2% reduction in total carbon emission level from the proposed project activities.

2. इन्हापरीमेट मेनेजमेंट प्लान का व्यवहार विस्तृत प्रसार (ईया—या) प्राप्तुग रिक्त
गया है, जो निम्नानुसार है:-

Budgetary Allocation for EMP:

S. No.	Description	Capital Cost		Recurring Cost	
		Rs. In Lakh	Basis	Rs. In Lakh per annum	Basis of Cost Estimation
1.	Air Pollution	11	Installation of	0.5	Power consumption

	Control	Air Pollution Control System		and maintenance of APCM
2.	Water Pollution Control	10	Construction / Installation of ETP	0.5 Cost of chemicals, power consumption, maintenance cost of ETP
3.	Hazardous / Solid Waste Management	1	Membership of TSDF/CHWIF	7 Transportation and disposal cost
4.	Noise Pollution	1	Acoustic enclosure for D.G. Set, Pumps housing	0.5 Maintenance cost
5.	Occupational Health facility	1.5	Occupational Health Facilities/First Aid Center	2.5 Hiring of panel doctors, medical examiners and expenses
6.	Environmental Monitoring	3.5	In-house lab with monitoring and testing facilities	8.9 Third party cost for environmental monitoring and statutory compliance and chartered services.
7.	Green Belt Development	4.9	Cost of saplings, soil transportation, pit making, fertilizer cost and water supply cost	2.7 Cost of Gardner's Salary, Fertilizer, water supply & trees protection
Total		32.9	Total	20

3. परियोजना के संचालन से होने वाले दुर्गम की समस्या के शोकदाम हेतु प्रस्तावित समस्या की जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

विभिन्न लोगों के काबरे के लिए भवान्य सेवा निर्धारित करने का प्रस्ताव है। अधिकारीहरनल फॉस के दीर्घ दुर्गम की परेशानी के बचाने के लिए काबरे को एक बड़े क्षेत्र में नकारात्मक दबाव के साथ संयोजित किया जाएगा। विहीन हवा का प्रवाह इन्टीनरेटर के माध्यम से किया जाएगा, जो अद्वितीय गंधी (unpleasant odours) को वातावरण में जाने से रोकता है।

नियमित अंतराल के दीर्घ वायो ऐक्सिल बैरेट के भवान्य क्षेत्र के आसपास इक्सीसोर्व (जैविक और वायो-डिफेंडल ऐक्सिल) जैसे गंध को कम करने वाले का सफलीय किया जाएगा।

इसके अलिंगिक, परिसर में ग्रीनबैल्ट के लिए 33 प्रतिशत क्षेत्र प्रस्तावित किया है। ग्रीनबैल्ट आवश्यक वर उपनी सतह पर गंभीर गैस को अवहोनित करने में सक्षम होते हैं, इससे संगत परिवार के बाहर ग्रीनबैल की परेशानी कम होगी।

सत्त्व ही, इंसीनिएटर को सीधीसीधी की दिला-निर्दिशों और यांडुलाईन में हिए गए यानकी की अनुसार किया जाएगा।

4. बीबी बैंडिकॉल वेस्ट की उत्पत्ति एवं उत्पादन प्लाईट में निर्धारित व्यक्तियों के ट्रैनिंग की आवश्या एवं उनकी सुलभ हेतु बीबीई फिट के संकामे में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
5. Persistent Organic Pollutants (Dioxins and Furans) के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में प्रस्तावित व्यवस्था की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा नियाम दिग्भात उपलब्ध जारीकरण की वर्तमान तथ्यों के विवेद्य में पूर्व में समिति की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023 में की गई अनुशंसा के अन्वान पर नियन अतिरिक्त जारी के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया—

"Project proponent shall study the Persistent Organic Pollutants (Dioxins and Furans) and submit monitoring report quarterly to SEIAA after commissioning of the plant."

परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. मेसरी लिवार्टी कौल बैंडिकॉलिसिटेशन लिमिटेड (बीबीईटर— की जारीक कुमार), छाम—लिम्हा, तहसील व जिला—जिलासापुर (समिक्षालय का नम्बर क्रमांक 2396) अनुशंसन आयोग— प्रपोजल नम्बर — एसआई/ बीबी/ अटीएनडी/ 410583 / 2023, दिनांक 01/02/2023 द्वारा दी.ओ.आर हेतु जारीदग किया गया है।
प्रस्ताव का विवरण — यह कानून विस्तार का प्रकल्प है। छाम—लिम्हा, तहसील व जिला—जिलासापुर स्थित ज़ज़सरा क्रमांक 62, 63, 65 एवं अन्य 46 ज़ज़सरे, कुल हीफल—8.068 हेक्टेएर (19.93 एकड़) में संचालित कौल बीबीरी क्षमता — 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। कानून विस्तार उपलब्ध परियोजना का विविधोंग रूपके 17 करीब होगा।

लानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआई.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 21/03/2023:

जलसालीकरण हेतु बीबीईक कुमार, बीबीईटर लज्जा बीबी चंद्रकुमार, सी.ई.ओ. एवं पर्यावरण सलाहकर के समूह में मेसरी पी.एच.एन सील्युसन, नौएक, उत्तरप्रदेश की ओर से बीबीईसी ज्याहुदीन उपनिषद हुए। समिति द्वारा नक्ती, प्रस्तुत यानकारी का अवलोकन हेवं परिक्षण करने पर नियन लिखी गई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

1. पूर्व में सम्बन्ध स्तर पर्यावरण नामांकन नियरिंग प्राधिकरण (एसआई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 22/01/2018 को मेसरी लिवार्टी कौल बैंडिकॉलिसिटेशन लिमिटेड, छाम—लिम्हा, तहसील व जिला—जिलासापुर स्थित

- वारसा ब्रम्मांक 82, 83, 85, (88/2, 87), 88, 89, 70/2, 38/2, 42/1, 42/2, 44/1, 49/3, 73/1, 73/2, 75, 79, 74, 76, 84, 77, 87, 38/1, 78, 37/4, 37/6, 47/1, 47/2, 49/1, 50, 51, 52, 53, 55, 56/1, 56/2, 56/3के, 56/3व, 56/4, 56/5, 57, 58, 59, 60, 61/3, 66/1, 71, 72 एवं 37/2, कुल कोलपत्र – 8,068 हेक्टेयर (19,93 एकड़) में प्रस्तावित कोल बौशी समता–0.98 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरता जारी की गई है। तत्परतात् एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 95, दिनांक 09/05/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता में संशोधन जारी किया गया।
- ii. प्रस्तुतीकरण के बौशी परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि एकीकृत कोशीय कार्बोलिय, भास्तु संस्कार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंडलाय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने वाला दिनांक 13/02/2023 को आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि यूके यह कामता विसार का प्रकरण है। अतः बौशी परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत कोशीय कार्बोलिय, भास्तु संस्कार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंडलाय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. वात एवं वायु सम्पत्ति –

- उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा कोल बौशी समता–0.98 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्पत्ति दिनांक 18/05/2019 को जारी की गई। तत्परतात् उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जल एवं वायु स्थापना सम्पत्ति में संशोधन दिनांक 13/06/2019 को जारी किया गया।
- उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जल एवं वायु स्थापना सम्पत्ति में क्षेत्र वृद्धि दिनांक 18/11/2022 को जारी किया गया।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बर्तनाम में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल द्वारा जारी सम्पत्ति लाती के पालनार्थी वर्ष कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि बर्तनाम में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल द्वारा जारी सम्पत्ति लाती के पालन में जी गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल द्वारा प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि रु०-कोल बौशी समता – 0.98 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु नियोग कार्य किया जा रहा है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि कोल बौशी समता–0.98 मिलियन टन प्रतिवर्ष ही 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष यित्ते जाने हेतु कार्य समय (Working Hours) 8 घंटे से कामकाज 20 घंटे किया जाएगा।

३. निकटतम लियोल्डलाई जांचकी जानकारी –
- निकटतम जांचकी स्थान–लिम्हा १ किमी., लहुप विलासपुर २७ किमी. दूर ऐसे कट्टजाम नेला १८.५ की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग ९० मीटर दूर है।
 - परियोजना प्रस्तावक द्वारा १० किमी. की परियोजने में अंतर्गत जीवा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कैन्फ़ीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित निकटतम पौल्युटेक क्षेत्र, पारिविवरिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
४. इस प्रधानका का अनापत्रित प्रमाण पत्र – जनियोजना स्थापना के संबंध में यह प्रधानका का दिनांक १५/०९/२०१५ का अनापत्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
५. भूमि स्थानिक –

नाम	खाली क्रमांक
श्री अग्नीक कुमार दुलयानी (आयरेक्टर)	६२, ६३, ६५, (६६/२, ६७), ६८, ६९, ७०/२
श्री रवि कुमार दुलयानी (आयरेक्टर)	५४, ७७
मेसर्स लियार्ट कॉल एनिलिनिंग्स लिमिटेड	३८/२, ४२/१, ४२/२, ४४/१, ४९/३, ७३/१, ७३/२, ७५, ७९, ८०, ३८/१, ३७/४, ३७/८, ४७/१, ४७/२, ४९/१, ५०, ५१, ५२, ५३, ५५, ५६/१, ५६/२, ५६/३k, ५६/३kh, ५६/४, ५६/५, ५७, ५८, ५९, ६० (६१/३ Included), ६६/१, ७१, ७२, ७४, ७६, ४६/२, ७८

श्री अग्नीक कुमार दुलयानी (आयरेक्टर) एवं श्री रवि कुमार दुलयानी (आयरेक्टर) द्वारा मेसर्स लियार्ट कॉल एनिलिनिंग्स लिमिटेड को २९ वर्षीय की अवधि हेतु जारी लोज की प्रति प्रस्तुत की गई है।

६. सेवन एवं प्रस्तुत –

S.No.	Description	Area (Acres)	%
१.	Washery Plant	४	२०
२.	Raw Coal, Stock Yard, Clean Coal & Reject	३.५	१७.५
३.	Other facilities (Internal Roads, WTP, Staff Ctr, Rain Water Harvesting etc.)	२	१०
४.	Green Belt Development/Plantation Area	१०.५	४७.५
५.	Vacant Land	०.९०	५
Total		२४.९०	१००%

समिति का भत्ता है कि कुल क्षेत्रफल के ५० प्रतिशत क्षेत्र में पूर्णरूपन किया जाना आवश्यक है। अतः रियाईज़ लैन्ड एवं प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

७. री-कॉल २.४८ मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। यात्रा कॉल १.९५४ मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रियोक्सा कॉल ०.४३६ मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग होगा। री-कॉल एवं री-कॉल कॉल के खदानों द्वारा, योवरा एवं कुसमुक्का से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से बीजारी एवं री-कॉल का परिवहन सड़क नार्म से ढंके हुए याहनी द्वारा किया जाएगा। बीजारी से यात्रा कॉल का ३० से ४० प्रतिशत परिवहन सड़क नार्म से ढंके हुए याहनी

एवं ८० से ७० प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सहक मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

८. बागु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — कोल क्रमार इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं रेलीन हाउस ने डस्ट एफस्ट्रेचरन सिस्टम के लाल बैग किल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्फ्रेशर बैल्ट्स एवं जंक्शन प्लाईट्रा को इका जाकर अतिरिक्त बैग किल्टर से सालग लार किमगी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिवार के बारी और ३ बीटर लैंपी बारपट्टी बीज का निर्माण एवं ऐन गन के साथ लैंपी रेलीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही बैल लाइन / क्षुजिटिव डस्ट एलार्जी के नियंत्रण हेतु चरिसर के भीतर एवं पहुंच मार्ग में जाल छिपाकर वी व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।
९. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था — बीकारी रिजेक्टस लगभग ०.४९३ मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होता। कोल याकारी से उत्पन्न रिजेक्टस को कर्वीन ट्रकों के भारतम से हेट निर्माण इकाई अपवा आस—यात्रा पावन प्लांटो अवज्ञा उत्पन्नों को ईसन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
१०. जल प्रबंधन व्यवस्था —

- जल संपर्क एवं बचाव — बीकारीजना के प्रारंभिक दौर में जल टाईम ०.४६२ घनमीटर जाल की आवश्यकता होती। लदोपराल परियोजना हेतु बैलू संपर्क एवं सूखारीया हेतु ५५ घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट लाइन डेटु ८ घनमीटर प्रतिदिन एवं बीकारी हेतु ७.४०० घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती। बीकारी से उत्पन्न दूषित जल ३.५६७ घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग बीचु एवं बैल बैग से उत्पन्न संपर्क संपर्क पूर्ण संपर्क किया जाएगा, जिससे कि फैक्ट्र बीटर ४१० घनमीटर प्रतिदिन [गिरेलू उपरोक्त एवं सूखारीया हेतु ५५ घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट लाइन डेटु ८ घनमीटर प्रतिदिन एवं बीकारी हेतु ३४४ घनमीटर प्रतिदिन] जल की आवश्यकता होती, जिसकी आवृत्ति भू—जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आवृत्ति हेतु बीन्टूल बाहुमन बीटर अवॉरिटी से अनुकूल प्राप्त कर प्राप्तुत किया जाएगा आवश्यक है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — हेटी बीकिया संपर्क संपर्कलीन आवासित बैट कोल बीकारी रेलीनित किया जाएगा। बैलूल लूप बीटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के संपर्क बैलू बैल बैग एवं सेटलिंग पीछे की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल की उपरोक्तानुसार संपर्क संपर्क सुन: प्रक्रिया में उपरोक्त किया जाना प्रस्तावित है। बैलू दूषित जल के उपरोक्त हेतु बीकेज ट्रिलमेट ड्स्ट लाइन ३० घनमीटर प्रतिदिन वी रूपसंपर्क की जाएगी। सून्दर निस्मारण की विवरी रखी जाएगी।
- भू—जल उपरोक्त प्रबंधन — परियोजना उत्तर बीन्टूल बाहुमन बाटर बीचु के अनुसार लैंगी किटिकल जौन में आता है। जिसके अनुसार—
 - (अ) बूहद एवं मध्यम उत्तोगों को जल से कम ६० प्रतिशत दूषित जल का पुनरुत्पादन एवं पुनरुत्पर्योग किया जाना है।
 - (ब) बाहुमन बाटर रियार्ज हेतु अपनाई गई लकड़ीक गत्ता ऐनबाटर हाईसिट्स / आर्टिफिशियल जल रियार्ज के आवार पर भू—जल निकाले जाने वी

जनुमति सैटल ग्राहण काटने कोई द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः संशोधन की ऐनवाटर हार्डिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

11. ऐन बीटर हार्डिंग व्यवस्था - ऐन बीटर हार्डिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईल ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
12. विस्तृत खपत एवं रक्षण - परियोजना हेतु 1,500 कोडीए. विस्तृत की आवश्यकता है। विलही आर्कूल चलाईसगढ़ राज्य विस्तृत विवरण खपती से की जाएगी। ईकाइक व्यवस्था हेतु 600 कोडीए. का कीजी शेट लघुसित किया जाएगा।
13. मुख्यालय की विस्तृति - कुल क्षेत्रफल में से 18.83 एकड़ में से 9.5 एकड़ (47.5 प्रतिशत) में 610 नग प्रति एकड़ बीची का विकास किया जाना प्रस्तावित है। सभिति का मत है कि उद्योग परिसर के बारी तरह कम से कम 20 मीटर की छोड़ी पट्टी में मुख्यालय जागानी बहनशून में करते हुए बीची में संख्यांकन (Numbering) एवं बीची की नाम का चलाईख किया जाकर प्रोटोकाल सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त मुख्यालय प्रबन्धन वर्ष में ही पूर्ण किया जाए तथा मुख्यालय को ले-आउट प्लान के एवं एल. कार्हल लॉहिं प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही मुख्यालय का विस्तृत विवरण/जानकारी फाईल ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। सभिति का मत है कि यीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 60 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है।
14. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वेसलझून झाटा कलेक्शन का कार्य 01 दिसंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक किया गया। उक्त का संकेत में दिनांक 12/12/2022 को सूचना दी गई थी।

सभिति द्वारा विवार विभारी उपरांत लर्वसम्मति से प्रकल्प की-1 केंटेनरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण बन और जलवायु वरियांन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित रेटेकर्ड टम्ही ऑफ लिलेस (टीओआर) कीर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फौर प्रोजेक्ट/एकाइकिटीज लिकार्डरिंग इन्वायरनमेंट बलीबोरेस अप्रैल ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में बतित थीनी 2(र) का रेटेकर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल बीकारी कमता-0.06 मिलियन टन प्रतीवर्ष से बढ़ाकर 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष बेट टाईप हेतु जारी किए जाने की अनुसन्धान निम्न अंतिरिक्त टीओआर के साथ ही गई:-

- i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- iv. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.
- v. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.
- vi. Project proponent shall submit road route alongwith map of transportation of coal.

- vii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report (for existing & proposed).
- viii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- ix. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.
- x. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation.
- xi. Project proponent shall carryout Social Impact Assessment & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.
- xii. Project proponent shall carry out Impact Assessment Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit the layout plan with KML file of minimum 50% of the total area for plantation & earmarking the reservoir/pond property inside the plant premises and also earmarking atleast 20 meter wide green belt all along the periphery of the project area.
- xv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xviii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा ऐडक में विवार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26 / 04 / 2023 गत समिति 145वीं बैठक में विवार विभा गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा उत्तमता सहीसामग्री से निपटनुपार विविध लिया गया था।—

- एकीकृत होशीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से चूर्ण में जारी समस्त पर्यावरणीय स्वीकृतियों का वास्तव प्रतिवेदन जाना कर प्रस्तुत किया जाए।
- कच्छे नाम से लेकर अग्रिम उत्तराध तक को झोलीमा पलोचाट में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- छिंगनी की ऊंचाई की गणना एवं प्रदूषण भार की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- बीख कोल के परिवहन बार्थ को ले-आउट प्लान में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वाइल जानकारी/दस्तावेज द्वारा होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.प., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/05/2023 को परिषेक में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/05/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विवाद – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संघन 147वीं बैठक में विवाद किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया गिरि-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत होशीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से चूर्ण में जारी समस्त पर्यावरणीय स्वीकृतियों का वास्तव प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 13/02/2023 की आवेदन किया गया है।
- कच्छे नाम से लेकर अग्रिम उत्तराध तक को झोलीमा पलोचाट में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- छिंगनी की ऊंचाई की गणना एवं प्रदूषण भार की जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कोल दीशमी में केंद्र फिल्टर के साथ 30 बीटर छांती छिंगनी स्थापित किये जाने से पाटिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/मान्यता घनमीटर के अनुसार उत्तराध की गणना की जाएगी।
- बीख कोल के परिवहन बार्थ तक ले-आउट प्लान में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विवाद विमर्श उपरांत राईभाष्यकी से उपरोक्त उच्चों के परिषेक में पूर्ण में समिति की 455वीं बैठक दिनांक 21/03/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर टज्ज्ञ और ऐक रेफरेन्स (टी.ओ.आर) (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टज्ज्ञ और ऐक रेफरेन्स (टी.ओ.आर) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

- मेलसे जारी वटील इन्डस्ट्रीज, इन्कार्ट्रीयल एरिया सोनभोगरी, जिला-रायपुर (संविधालय का नस्ती क्रमांक 2387)

श्रीनगरार्डन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसएसएस/ सीजी/ आईएनसी/ 415588 / 2023, दिनांक 23/01/2023 द्वारा दी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

इसाव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रसारित कार्यकलाप के लहूत खासा लम्बाक 688/6, 688/7, 688/8 एवं 688/13, इनकर्टीवल एरिया श्रीनगरार्डन, जिला-रायपुर, कुल क्षेत्रफल-०.५०३ हेक्टेयर में रि-रोल स्टील प्रोडक्ट्स कम्पनी-८,००० टन प्रतिवर्ष के लिए दी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रूपये 1 करोड़ होगा।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसएसएसी, उत्तीर्णनक के लापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैदिक का विवरण –

(अ) समिति की विविध वैदिक दिनांक 21/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु दी.ओ.आर नीति विभागीय कार्यालय, अधिकृत प्रतिमिति उपसिद्धि द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का उत्तीर्णनक एवं प्रतिवर्ष छन्दों पर विचार किया गई गई।

- खल एवं कायु सम्पत्ति – दी.ओ.आर नीति विभागीय कार्यालय, उत्तीर्णनक पर्यावरण संबंध विभाग-रायपुर से रि-रोल स्टील प्रोडक्ट्स कम्पनी-८,००० टन प्रतिवर्ष हेतु खल एवं कायु सम्पत्ति नीतीनीकरण दिनांक 12/07/2018 को जारी की गई है, जिसकी विधा 31/07/2023 तक है।
- गिकटलम स्थित कियाकर्ताओं संबंधी जानकारी –

- सालीपरव आकादी कर्वीर नगर ६०० मीटर दूर रायपुर ४०० मीटर की दूरी पर स्थित है। गिकटलम रेलवे स्टेशन रायपुर ३.७ किमी, एवं स्थानीय विकासन्दर्भ विमानस्थलन, माना, रायपुर १७.५ किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग ३९ किमी. दूर है। आसन नदी ६.६ किमी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिसरी में अंतर्राज्यीय रीम, राष्ट्रीय राजमार्ग, अपायारम्भ, केन्द्रीय प्रदूषण विवरण बोर्ड द्वारा प्रोतिष्ठित किटिकली पौल्युटेंड एरिया, पार्सिस्टिलियो नीलंदनक्कील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- गू-व्यापिल – मूले हेतु काच-विकाय इसावीज प्रस्तुत किया गया है। याथ ही जारीनर दीड (श्रीमती बबल दीडी गोदयानी, श्री मनोज कुमार गोदयानी एवं श्री सुरेन कुमार गोदयानी) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- सेव्ह एरिया क्षेत्रफल –

S.No.	Land use	Area (SQM)	Area (%)
1.	Rolling Mill Shed	607.5	15
2.	Raw Material Area	202.5	5
3.	Finished Goods Area	202.5	5
4.	Green Belt Area	1,336.5	33
5.	Road Area	1,093.5	27
6.	Open Area	607.5	15
	Total	4,050	100

३-मट्टियल –

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets	8,200	Open Market	By road
2.	Coal	1,000	E-Auction/ Open Market	By road

६. जनरलिंग इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products - 8,000 TPA

७. चम्पु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – प्रस्तावित कार्बनजाप हेतु उत्तर दक्षिण का सहभार सम्भवा गया है। प्रस्तावित कार्बनजाप उपरान्त जिमनी से चाटिक्यूलेट मेटर का उत्सर्जन ५० मिलियन/साल का घनमीटर रखा जाएगा। अनुचितीय इकट्ठ उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल प्रिक्षमय की व्यवस्था है।
८. लोस अपशिष्ट आवश्यक व्यवस्था – सेलिन मिल से मिल एकेले – १२० टन प्रतिवर्ष एवं एचड एकेले – ४० टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के साथ में उत्पन्न होता। मिल एकेले एवं एचड एकेले को समीपस्थि स्टैंक उद्योग इकाई को दिखाय दिया जाएगा। साथ ही यूज़ और और एकल ०.५ टिलोलीटर प्रतिवर्ष अपशिष्ट होना जिसका उपयोग असीनी में लुप्तीकरण के लिए किया जाएगा।

९. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल उपयोग स्रोत – परियोजना हेतु प्रारम्भ में कुल १० घनमीटर (एक टाईन) जल की आवश्यकता होती है। परियोजना हेतु फैक्ट्री बीटर कुल ८ घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु ३.५ घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु १.५ घनमीटर प्रतिदिन) एवं यीन बैल एवं लास्ट स्टेशन हेतु १.५ घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की अपूर्ति गृ-जल से की जाएगी। गृ-जल की उपयोगिता हेतु सेट्रल शाउच वाटर लवरीटी से ०.५ घनमीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक २८/०२/२०२३ तारीख जाने अनुमति पत्र की प्राप्ति प्रक्रिया की गई है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरान्त जल दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेटिक टैक एवं सोक पीट की स्थापना की जाएगी। शून्य गिरिसारण की स्थिति रखी जाएगी।
- गृ-जल उपयोग प्रबंधन – परियोजना स्थाल सेट्रल शाउच वाटर बोर्ड के अनुसार किंटिकाल ज्ञान में जाता है। जिसके अनुसार-
 - (अ) यूहाद एवं नव्यम उद्योगी की कम से कम ५० प्रतिशत दूषित जल का पुनर्उत्करण एवं पुनरुत्पयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्रामपाल वाटर रिचार्ज हेतु अपगाई गई लकड़ीक यथा ऐनवाटर हाईरिटेंग / ओर्टिफिशियल जल रिचार्ज के अधार पर गृ-जल निकाले जाने की अनुमति सेट्रल शाउच वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग त्रासा परियोजना में ऐनवाटर हाईरिटेंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- ऐन ऑटर हाईसिटिंग अवलम्बा — ऐन ऑटर हाईसिटिंग अवलम्बा की विस्तृत पिलाना/खलनकारी पर्यावरण इंआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
- 10. विद्युत आपूर्ति स्रोत — परियोजना हेतु कुल 1 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति घरेली सागर तथा विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी।
- 11. गुडारोपन संबंधी जागरूकारी — हरिल परिटका की विकास हेतु कुल शैक्षण्य के 0.133 हेक्टेयर (33 ब्रिंदावन) भौम में 330 नव घीरे नोपित किया जाना प्रस्तावित है। कर्तमान में उच्चीय परिसर के भीतर 100 से 200 नव घीरे नोपित किये गए हैं।
- 12. प्रस्तुतीकरण की दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऐसलाईन छाता बल्लेक्षण का जारी 01 जिसनवं र 2022 से 28 फरवरी 2023 तक किया गया।
- 13. भारत लकड़ार, पर्यावरण, वन एवं जलव्यवस्था परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार इंष्टर्हर्ड टार्हे ऑफ रिफरेंस (टीओआर) कोर इंआईए./इ.एम.की. रिपोर्ट पॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिकार्डिंग इनावर्गेट वलीयरेस अप्लार इंआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित अंकी अंकों का रटेन्हर्ड टीओआर (किना लोक सुनवाई) मेलालपिंकल इण्डस्ट्रीज (फैक्ट्री एड नीन-फैक्ट्री) हेतु निम्न अंतिरिक्ष टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुसंधा की गई—
 - i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.
 - ii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
 - iii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - iv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
 - v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
 - vi. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

- vii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- x. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xi. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 28/04/2023 को संघन्न 145वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा सत्तान्य सार्वजनिक सम्मेलन का निर्णय लिया गया था—

1. उद्योग के समस्त इकाईयों को ले—आउट प्लान में दस्ती हुई कै.एम.एस. परिषेवा सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. विमनी की लंबाई की बगता एवं प्रदूषण भार की जानकारी प्रस्तुत किया जाए। सुपरोक्त वाहिना जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्रवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए. खलीशनद के ज्ञापन दिनांक 29/05/2023 के परिषेवा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/05/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संघन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि—

1. उद्योग के समस्त इकाईयों को ले—आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।
2. विमनी की लंबाई की बगता एवं प्रदूषण भार की जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित कार्यकालाप हेतु रि-हीटिंग कर्नेस में साथ उभता का स्थान एवं 30 बीटर ऊंची विमनी स्थापित किये जाने से पाटिक्कलेट बैटर का उत्तर्जन्न 50 मिलीमीटर/सामान्य एलगीटर के अनुसार उत्तर्जन्न की मात्रा 5.328 मि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।

प्राधिकरण द्वारा विचार विभाग उपरी समिति से उपरोक्त टम्पी के विशेषज्ञ में पूर्व में समिति द्वारा 455वीं बैठक दिनांक 21/03/2023 में की गई अनुसंधान के आलाएं पर निम्न अतिरिक्त जाती के अधीन टम्पी और रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (विना लोक सुनवाई) जाती किये जाने का निर्णय लिया गया—

- i. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.
- ii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

परिवेशना प्रस्तावक की सार्व टम्पी और रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (विना लोक सुनवाई) जाती किया जाए।

हेतुक घन्यवाद, ज्ञापन के साथ संक्षेप है।

(आर.डी. लिवारी)

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवालीय दाम)

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डी. दीपक सिन्हा)

राज्य

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़